खण्ड-220, अंक-8
शुक्रवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1883
(24 मार्च, 1961 ई0)

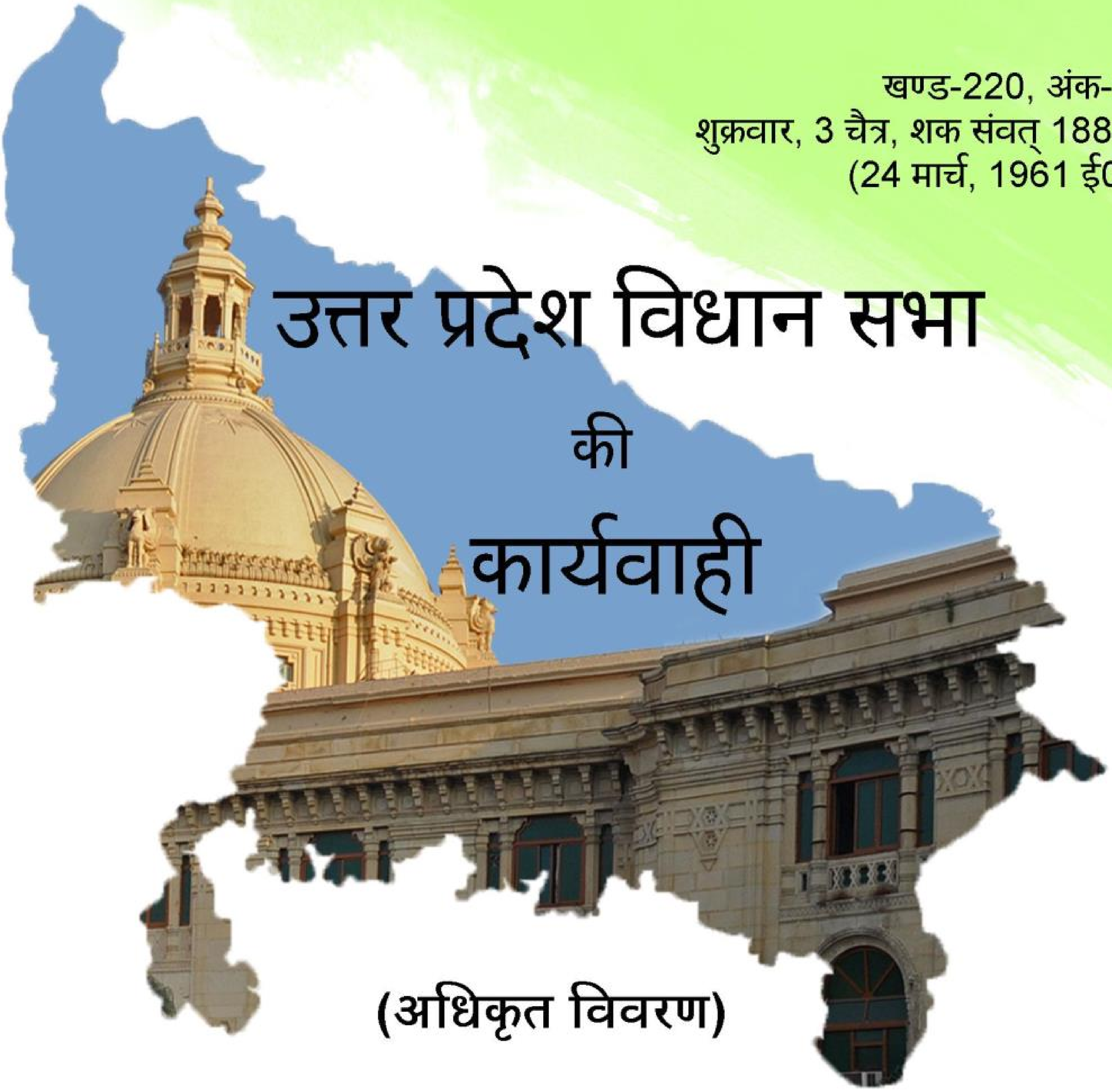

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 220 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २४ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कलमकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर , श्री
केशव पांडेय श्री
केशवराम, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयदेवसिंह, आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल, श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बदलूराम, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बदामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमति दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री

बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह, चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विद्यावती वाजपेई, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री

सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २४ मार्च, १९६१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न
विश्वविद्यालय आयोग

**१—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आमजगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या राज्य सरकार द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय आयोग का सरकार ने विस्तार कर दिया है और उसके विचारणीय विषय (Terms of Reference) में भी परिवर्तन कर दिया हैं ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां।

२५ फरवरी, १९६१ को एक राजकीय संकल्प द्वारा उक्त परिवर्तन किये गये हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न स्थितियों को देखते हुये यह आवश्यक समझा गया कि आयोग का प्रतिवेदन जल्द से जल्द उपलब्ध हो।

**२—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त आयोग में किन नये व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है और प्रतिवेदन देने के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—

१—डा० ए० सी० चटर्जी,
२—श्री परमानन्द, और
३—श्री मदनमोहन।

आयोग से ७ अगस्त, १९६१ तक प्रतिवेदन देने को कहा गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बात सही है कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो पहले हुई है और जिसके टर्म्स आफ रेफरेंस में १२ चीजें थीं उनमें से ८ आइटम्स को सरकार ने परिवर्तित कर दिया है जिनमें से मुख्य आइटम्स ये थे—वर्तमान राज्य सरकार के अधीनस्थ विश्वविद्यालयों के संबंध में एक विशद बिल आये, उनके फाइनेन्सेज के संबंध में बात थी, कोषाध्यक्ष के आल्टरनेटिव सजेश्चन की बात थी जो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिश थी ? यदि ऐसा किया गया है, तो क्यों किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—लगभग ५ टर्म्स हटा दिये गये हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा एक टर्म बिल की तैयारी के संबंध में हटा दिया गया है। दूसरे वर्क लोड अध्यापकों का देखना यह सम्भव नहीं था, उसे हटा दिया गया। यदि ये १२ टर्म्स रखे जाते तो २, ३ वर्ष में भी प्रतिवेदन पेश नहीं हो सकता था। कमीशन जल्दी अपना प्रतिवेदन दे सके इसलिये कुछ टर्म्स को खत्म कर दिया गया है और एक आध टर्म बढ़ा भी दिया गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---टर्म्स आफ रेफरेंस में जो नया टर्म सरकार ने बढ़ाया है उसे सरकार बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह विचार किया जाय कि क्या आटोनामस कालेजेज की व्यवस्था की जा सकती है, यह बात टर्म्स आफ रेफरेंस में बढ़ाई गई है ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--- जिस समय इस आयोग की स्थापना हुई थी उस समय विश्वविद्यालयों में जो हालत थी और जो हालत आज है इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ जिसके कारण टर्म्स आफ रेफरेंस में परिवर्तन किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--जिस समय यह आयोग स्थापित किया गया था उस समय यह खयाल किया जाता था कि एक कोई काम्प्रिहेंसिव बिल लाने की जरूरत पड़ेगी । अब हमने यह सोचा कि काम्प्रिहेंसिव बिल लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई कमीशन्स इस पर अपनी राय दे चुके हैं और एक बिल हम इस समय लाये भी हैं जो इस समय सदन के विचाराधीन है । इसलिये यह जरूरी नहीं समझा कि कोई काम्प्रिहेंसिव बिल बनाने के लिये इस आयोग से कोई राय ली जाय । अन्य विषयों पर भी विचार हुआ था जैसे कि क्या एकेडेमिक स्टैंडर्ड होना चाहिये, क्या टीचर्स पर लोड होना चाहिये । ये कई ऐसे विषय थे जिनके बारे में यह खयाल हुआ कि शायद यह बाडी उस हद तक इस बीच में न जा सके जितना कि एक बाडी को इस विषय में जाना चाहिये । टीचर्स पर कितना लोड होना चाहिये, रिसर्च होना चाहिये या नहीं और एकेडेमिक मामले ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर ज्यादातर विश्वविद्यालय ही अपनी राय दे सकता है, उनकी एकेडेमिक कौंसिल राय दे सकती है । इसलिये इस खयाल से कि समय ज्यादा लगेगा और सम्भव है यह आयोग इस काम को पूरे तौर से न कर सके इसके टर्म्स को हमने कम करके यह कोशिश की है कि इतने टर्म्स रखे जायं जिनके संबंध में यह आयोग अपनी राय दे सके ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विचारणीय विषयों में जो परिवर्तन किये गये हैं वे मुख्य मुख्य क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने बता दिया कि अमुक अमुक ड्राप कर दिये गये हैं और जो ऐड किया गया है वह भी बता दिया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---कारण बताने से पहले बता दिया ?

श्री अध्यक्ष---जी हां ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहले आयोग के टर्म्स आफ रेफरेन्स में जो एक स्पेसिफिक टर्म आफ रेफरेन्स यह था कि राज्य के अधीनस्थ जितने विद्यालय हैं उनकी मौजूदा स्थिति को देखते हुये एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाना है और जो मौजूदा बिल पेश है उस संबंध में भी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि एक काम्प्रिहेंसिव बिल लायेंगे, तो क्या मौजूदा आयोग के टर्म्स आफ रेफरेन्स में फिर इस बात पर जोर दिया जायगा कि वह यूनिवर्सिटीज के संबंध में एक काम्प्रिहेंसिव बिल पर भी सुझाव दें ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने जवाब दे दिया कि यह उनका इरादा नहीं है ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहले आयोग के टर्म्स आफ रेफरेन्स में पिछले ८ वर्षों में लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों ने कर्जा कर लिया है उसके जांच की जो बात थी वह अब वापस कर ली गई है ?

आचार्य जुगल किशोर—जी नहीं, वह टर्म आफ रेफरेन्स खासतौर से रखा गया है ताकि किसी को इस बात की आपत्ति न हो कि जो उस समय ट्रेजरार थे वह आज मुख्य मंत्री हैं इसलिये उसको हटा दिया। यद्यपि हम समझते थे कि उसमें भी एक लम्बा समय लगेगा फिर भी हमनें लखनऊ इलाहाबाद और अन्य यूनिवर्सिटियों के बारे में जो उनके खर्चे आदि की जांच करानी है उसमें वह भी रखा है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यूनिवर्सिटी कमीशन के परसोनेल में भी सरकार ने कोई वृद्धि की है? यदि हां, तो वह किस आधार पर की गई है और क्या कमीशन से कोई अन्तरिम रिपोर्ट भी मांगी गई है?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने तीन नाम बतला दिये।

श्री चन्द्रजीत यादव—किस आधार पर मैं पूछ रहा हूं और क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट भी मांगी गई है?

आचार्य जुगल किशोर—कोई अन्तरिम रिपोर्ट तो नहीं मांगी गई है। उनसे यह दरख्वास्त की गई है कि ७ अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दे दें।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २५ फरवरी, १९६१ को सरकार ने जो टर्म्स आफ रेफरेन्स में परिवर्तन करने की सोचा वह शिक्षा विभाग की सलाह पर किया या कैबिनेट के फैसले से किया गया?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार का ही निर्णय होता है।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने विशेष कारण बतलाये हैं, परिवर्तन करने के, उसमें एक यह भी कारण है कि उस समय जो सरकार थी उसकी नीति में और आज की सरकार की शिक्षा संबंधी नीति में कुछ खास परिवर्तन हो गया है?

आचार्य जुगलकिशोर—श्रीमन्, कोई नीति के परिवर्तन का सवाल बिलकुल नहीं है। सिर्फ इस खयाल से कि जो विज्ञप्ति निकली है उसको नोटीफाई करने की, उसमें बताया गया है कि ज्यादा समय लगता और खर्चा भी बहुत ज्यादा होता और शायद उनकी सिफारिशें जब तक हमारे पास आतीं तब तक उतनी उपयोगी नहीं हो पातीं। उनकी सिफारिशों के आने से पहले हम चाहते थे कि गवर्नमेंट कुछ कामों के संबंध में अपना निर्णय ले सके, इसलिये हम चाहते थे कि जितने कम समय में और जितने कम विषयों पर वह अपनी सिफारिशें दे सकते हों उतना ही अच्छा रहेगा और हमारे लिये आसानी रहेगी कि हम उन पर कार्यवाही कर सकें।

रिहन्द विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता

*३—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रिहन्द विद्युत् गृह में अप्रैल से एक विद्युत् टर्बाइन चलने लगेगा और उससे ५५ हजार किलोवाट बिजली पैदा होने लगेगी और प्रति माह एक टर्बाइन लगाकर वर्ष के अन्त तक बिजली का पूरा उत्पादन होने लगेगा? यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि अल्मूनियम फैक्टरी इस वर्ष बिजली नहीं लेगी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

संसदीय विषयक उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—रिहन्द विद्युत् गृह में अप्रैल, १९६१ से बिजली बनने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः दूसरे प्रश्न नहीं उठते।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अप्रैल, १९६१ तक बिजली के बनने की सम्भावना नहीं है, तो कब तक बनने लगेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ऐसा पहले खयाल किया गया था कि अप्रैल, १९६२ तक हमारे यहां बिजली बनने लगेगी। जैसा निर्धारित था, मैं समझता हूं कि इससे पहले ही बिजली बन सकेगी।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय यह योजना बनी उस समय कितनी बिजली पैदा करने की योजना थी और आज उतनी पैदा कर सकेंगे या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जो योजना थी उसी हिसाब से बिजली बन रही है और ढाई लाख किलोवाट बिजली पैदा होने की बात है। उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जो ५ टरबाइन लगने वाले हैं उनमें से तीन तैयार हो चुके हैं और अप्रैल से वहां चालू नहीं होने जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इसका यह कारण है कि ३८ ब्लाकों में बांध के लीकेज हो गया था, इससे सरकार को भरोसा नहीं है कि यह काम ठीक से कर सकेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सवाल ऐसा नहीं है। हमारी स्कीम के हिसाब से जैसा कि मैंने कहा १९६२ तक तमाम बिजली के तैयार होने की बात है। वहां लीकेज होने की कोई बात नहीं है। हमारे जो टरबाइन्स लगने की बात है, एक टरबाइन लग कर तैयार हो गया है, लेकिन उनके लगने से ही बिजली तैयार नहीं होती है बल्कि अन्य व्यवस्था और परीक्षण होते हैं; तो वह होंगे और जो हमारा शिड्यूल था उसके मुताबिक काम ठीक हो रहा है। उसमें कोई भेद नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जहां पर ढाई लाख किलोवाट बिजली तैयार होने की बात थी और केवल एक लाख ५ हजार किलोवाट बिजली तैयार हो रही है, तो जो ६० फीसदी डेफीसिट पड़ रहा है इसकी जिम्मेदारी सरकार की है या बिजली तैयार करने वालों की है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैं समझता हूं कि इसमें आप थोड़ा सा भूलते हैं। जो टरबाइन लगे हुये हैं उनमें से हर एक ५० हजार किलोवाट बिजली तैयार करता है और ढाई लाख किलोवाट बिजली पैदा करने के टरबाइन्स आज भी लगे हुये हैं और १ लाख ५ हजार के नहीं हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक लाख ५ हजार किलोवाट के ही टरबाइन्स चलेंगे, क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास नहीं है। बिजली की ऐसी बात है कि कभी आप ज्यादा बिजली लेते हैं और कभी कम लेते हैं। इसलिये जब ज्यादा आवश्यकता होगी तो ढाई लाख किलोवाट बिजली के पूरे टरबाइन्स चलेंगे और जब आवश्यकता नहीं होगी तो जैसा कि मैंने कहा कि २४ घंटे दो टरबाइन्स नहीं चला करेंगे।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि १९६२ तक बिजली का उत्पादन पूरा हो जायगा, और इस समय एक टरबाइन से ५० हजार किलोवाट बिजली रिहन्द डैम में पैदा हो रही है, इसका कारण यह है कि अल्मूनियम फैक्टरी ने इस साल बिजली लेने के लिये इंकार कर दिया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सवाल यह था ही नहीं। हमने उनसे वादा किया था कि हम अप्रैल, १९६२ में ही उनको बिजली देंगे। इस वक्त जो टरबाइन लगाये गये, उनमें बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो हम अभी पूर्ण नहीं कर सके और पूर्ण होने की बात भी नहीं थी। जो दिक्कतें हुई हैं वह फारेन एक्सचेंज न मिलने के कारण हुई हैं, लेकिन टाइम डे शेड्यूल से पिछड़े नहीं हैं।

तारांकित प्रश्न

[समाज कल्याण उपमंत्री की प्रार्थना पर १० मार्च, १९६१ के स्थागित प्रश्न]

* * * *

अनैतिक व्यापार करने वाली वेश्यायें

*१०—श्री ऊदल तथा श्री गनेश चन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में इस वक्त अनैतिक व्यापार करने वाली वेश्याओं की संख्या जिलेवार कितनी है ? इनको सुधारने के लिये सरकार ने स्त्रियों के अनैतिक व्यापार को रोकने का कानून लाग होने से अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

समाज कल्याण उप मंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—वांछित †सूचना संलग्न है ।

*११—श्री ऊदल तथा श्री गनेश चन्द्र काछी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कानून के लागू होने से अब तक वेश्यालयों से कितनी स्त्रियों को उबारा गया है और उन्हें कहां-कहां रक्षा-गृह बना कर रखा गया है एवं उनकी रोजी तथा पुनर्वास के लिये किन-किन कारोबार की शिक्षा दी जा रही है ? प्रतिवर्ष उन पर कितना खर्च पड़ रहा है ? क्या सरकार इस वर्ष भी कुछ रक्षा-गृह खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—वांछित †सूचना संलग्न है ।

*१२—श्री ऊदल तथा श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि प्रदेश की सारी वेश्याओं के लिये रक्षा-गृह बना कर, उन्हें दस्तकारी वगैरह सिखा कर स्वावलम्बी बनाया जाय ? क्या इस कार्य में केन्द्रीय सरकार भी कुछ सहायता कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—वांछित †सूचना संलग्न है ।

श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में अनैतिक व्यापार करने के सम्बन्ध में जो कानून बनाया गया है, उसके बारे में क्या रूल्स बना दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्या कारण है कि अभी तक नियम नहीं न बनाये गये ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—यह कानून तो इस समय १५ जिलों में काम कर रहा है । इसके अन्तर्गत नियुक्तियां भी हो चुकी हैं और रूल्स भी बन चुके हैं ।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी जो सूचना संलग्न है उसको संक्षेप में हम लोगों को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह संक्षेप में तो है नहीं । उसमें एक लम्बा स्टेटमेंट है । उसके लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा । वह उनके पास मौजूद है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जैसे कबाल टाउन में यह कानून लागू किया गया है ? अगर नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं किया गया है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—आगरा में यह कानून लागू है ।

श्रीकन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या माननीय मंत्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि लखनऊ में वेश्यालयों के अतिरिक्त जो व्यभिचार के अड्डे हैं, उनकी जांच करवा कर उनको रोकने का सरकार कोई प्रबन्ध करने जा रही है ?

---

† सूचना छापी नहीं गयी ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस प्रश्न में सिर्फ इसी कानून के विषय में पूछा गया है।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि जब से यह कानून इन शहरों में लागू किया गया है तब से इस प्रकार के काम करने वाले लोग, अपने निश्चित स्थानों और क्षेत्रों से भाग कर शहरों में, तमाम मोहल्लों में घुस गये हैं और अनैतिक व्यापार का विस्तार हो गया है? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिये क्या विशेष प्रयास करना चाहती है या कर रही है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—कुछ सूचनाएं तो ऐसी हैं कि ऐसा व्यापार करने वाली या काम करने वाली वेश्याएं मोहल्लों में चली गयी हैं। उसके ऊपर पूरी कार्यवाही भी की जा रही है और उसके लिये प्रबन्ध करने की भी चेष्टा की जा रही है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में एक नये तरीके की जो वेश्यावृत्ति बढ़ती चली जा रही है, जिसकी बड़े-बड़े होटलों में अफवाह है, उस पर भी विचार करेगी कि उसको रोका जाय?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अगर माननीय सदस्य इस विषय में कोई सूचना देंगे तो उसके ऊपर विचार अवश्य किया जा सकेगा?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को इस प्रकार की सूचना मिली है कि लखनऊ में जब से यह कानून लागू हुआ तब से यहां की वेश्यायें बाराबंकी जिले में चली गई हैं और बाराबंकी में मकानों के किराये बढ़ गये हैं?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इस विषय में इस वक्त तो कोई जानकारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य इस विषय में कोई जानकारी करायेंगे तो उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि पिछली मर्तबा आगरा के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया था कि यहां कानून की सब धारायें इसलिये नहीं लागू की जा रही हैं क्योंकि पैसा नहीं है, अधिकारियों को नियुक्त करने के लिये? यदि हां, तो क्या वहां सब धारायें लागू कर दी गई हैं और अधिकारी नियुक्त कर दिये गए हैं?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—सब धारायें लागू कर दी गई हैं यह बताने के लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि कुल सूबे में अनैतिक व्यापार करने वाली वेश्याओं की संख्या कितनी है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—सरकार के पास जो सूचना उपलब्ध हो सकी है उसकी पूरी लिस्ट इसके साथ है। अगर अध्यक्ष महोदय इजाजत देंगे तो मैं पढ़ दूंगी।

श्री अध्यक्ष—आप के पास जोड़ी हुई संख्या है या नहीं? पूरी लिस्ट पढ़ने की इजाजत तो मैं नहीं दूंगा। अगर जोड़ के आप कोई संख्या बताना चाहें तो बता सकती हैं।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—नहीं, जोड़ी हुई संख्या तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो फिर बाद में दीजिएगा।

श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह पन्द्रह जिले कौन से हैं जिनमें वेश्यावृत्ति कानून लागू कर दिया गया है और जो बाकी जिले हैं उनमें कब से लागू कर दिया जायगा?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--लागू तो पूरे प्रदेश में हैं, लेकिन पन्द्रह जिलों में उस पर कार्यवाही हो रही है।

अध्यक्ष--उनके नाम वह जानना चाहते हैं, उन पन्द्रह जिलों के।

आचार्य जुगलकिशोर--लखनऊ, मेरठ, अल्मोड़ा, देहरादून, गोरखपुर, बाराणसी, अलीगढ़, इटावा, मथुरा, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, इलाहाबाद, आगरा और कानपुर।

श्री अध्यक्ष--उनका एक प्रश्न और रह गया कि बाकी जिलों में कब कार्यान्वित करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर--यह मामला विचाराधीन है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद प्रदेश में कितने मुकदमे इस सम्बन्ध में चलाये गये हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वेश्याओं को रिहैबिलिटेट करने के लिये कोई मथुरा में गृह खोलने की व्यवस्था थी और यदि थी, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या काम हो चुका है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--मथुरा में प्रोटेक्टिव होम की स्थापना हो चुकी है। अभी उसके ऊपर आगे कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को पढ़ने में सहायता देने के सम्बन्ध में केन्द्र का पत्र

*१--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या शिक्षा मंत्री १६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २ और ३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार की इच्छानुकूल निर्णय राजनीतिक पीड़ितों की सहायता के सम्बन्ध में लिया गया कि नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां।

*२--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या शिक्षा मंत्री १९४९ में निकाले गये आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--आदेश की अधिक प्रतियां उपलब्ध न होने के कारण उन्हें सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं होगा। परन्तु मेरे कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सरकार को इस नियम के लागू हो जाने पर कितनी सहायता केन्द्रीय सरकार से मिलती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कहा था कि यदि उनके सुझाव स्वीकार कर लिये जायेंगे तो ५० प्रतिशत वह देंगे। अब तक हमारे बजट में १ लाख ९४ हजार ६४० रुपये का प्राविधान था, लेकिन अब हम उसे करीब-करीब दूना यानी ३ लाख ७९ हजार ६८० रुपया कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो धनराशि में बढ़ोत्तरी हुई है वह वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---अब तो आगामी वित्तीय वर्ष में लागू होगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में जो भारत सरकार की इच्छानुकूल फैसला हुआ है वह फैसला किस प्रकार का है ?

श्री रामस्वरूप यादव---एक तो उन्होंने परिभाषा को सीमित कर दिया है । हमारे यहां जो पहले पोलिटिकल सफरर की परिभाषा थी उसमें भाई, बहन जिसके पिता न हो, भतीजा और पत्नी भी आ जाती थी । अब उन्होंने उसको सीमित कर दिया है कि राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे , राजनीतिक पीड़ितों के पौत्र जिनके पिता मर गये हों, गोद लिये बच्चे और राजनीतिक पीड़ितों के सौतेले बच्चे । सीमित परिभाषा करके इनको दिया जा सकेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उनके पास १९५९ में जो जी० ओ० भेजा था उसके बाद १९६० बीता, तो १९६१-६२ में इतनी देर से उसे लागू करने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मुझे स्मरण है जब यह प्रश्न पहले आया था तब यही वजह बतलाई गई थी कि वह सीमित परिभाषा करना चाहते थे । जिससे कुछ लोग वंचित हो जाते, लेकिन १९५९ में अगर चिट्ठी आई तो अभी साल भर ही बीता है, ज्यादा समय नहीं हुआ । अभी परीक्षण होगा । उसके ऊपर निर्णय लिया जायगा तब वह लागू होगा ।

श्री प्रतापसिंह---क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितना अमाउन्ट राजनीतिक पीड़ितों के लिये रखा गया था, प्रदेशीय सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में उसमें से ५० हजार ही बांटा है और इसी वर्ष । में लैप्स होने जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार के सुझाव पर जो यह परिभाषा में परिवर्तन हुआ है उसमें यह भी भाव है कि जो कांग्रेस से सहानुभूति नहीं रखते हैं वे उससे वंचित रह जांय जैसा कि अन्य प्रदेशों में हाल ही में हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसा कभी नहीं था और न होने की आशा है ।

कानपुर में असिस्टेंट जेलर की मुअत्तली

*३---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा) तथा **श्री गौरीशंकर राय**---(जिला बलिया) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेशीय सरकार को एक शिकायती-पत्र इस सम्बन्ध में जांच के लिये मिला है कि कानपुर जिला जेल से रोजाना कई गिरहकट व खतर- नाक कैदी हर सुबह छोड़ दिये जाते हैं जो जनता की गिरहकटी करके व अन्य अपराध करके रुपया लाते हैं जिससे जेल अधिकारियों को बहुत बड़ी आमदनी होती है ?

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)---जी नहीं ।

*४---**श्री गोविन्द सिंह विष्ट** तथा **श्री गौरीशंकर राय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उपर्युक्त मामले की जांच के फलस्वरूप जिला जेल कानपुर के एक सहायक जेलर मुअत्तल किये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि कौशल किशोर नाम के अभियुक्त से या किसी दूसरे आदमी से उनको इस प्रकार की शिकायत मिली है कि इस प्रकार से वहां पर होता है और उन्नाव जेल में आडिट में जांच करने पर १० हजार गज कपड़ा अधिक निकला है ?

डाक्टर सीताराम---अध्यक्ष महोदय, यह सवाल उन्नाव जेल के बारे में नहीं है । कानपुर जेल के बारे में यह सवाल है इसलिये वहां के बारे में मालूम नहीं है । जहां तक कौशलकिशोर की बात कही गई है वह ४२० धारा के अन्दर कानपुर जेल में हैं । उन्होंने शिकायत अवश्य भेजी थी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या उस शिकायत में उन्नाव जेल के बारे में शिकायत दर्ज थी और उस शिकायत के फलस्वरूप कानपुर के डिप्टी जेलर को मुअत्तल किया गया ?

डाक्टर सीताराम---उन्होंने उन्नाव जेल के बारे में शिकायत नहीं की थी बल्कि कानपुर जेल के बारे में उन्होंने भेजा था । डिप्टी जेलर मुअत्तल नहीं हुये हैं बल्कि असिस्टेंट जेलर मुअत्तल हुये हैं । उनको चार्जशीट नहीं दी गई बल्कि डी० आई० जी० जब सरकारी काम से कानपुर गये तब उस समय उनको वह शिकायती पत्र दिया गया । उस पत्र के आधार पर उन्होंने जांच की और तब असिस्टेंट जेलर को वहां पर मुअत्तल किया गया ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायती-पत्र कानपुर में असिस्टेंट जेलर के सम्बन्ध में दिया गया था उसमें क्या चार्ज लगाये गये थे और उनको कब मुअत्तल किया गया ?

डाक्टर सीताराम---उन्होंने जो शिकायती-पत्र दिया था उसमें यह था कि अदालत की जाली मुहर बनाकर, झूठा वारन्ट बनाकर बन्दियों से नाजायज रुपया ठगा जाता है । अचानक छापा मारने पर ऐसे जाली वारन्ट आपको जेल के कार्यालय से अवश्य मिलेंगे । बन्दियों से रुपया लेकर बहुधा उन्हें जेल से बिना किसी अदालत के हुक्म के कचेहरी भेजा जाता है । इस प्रकार के अनेक केस है । इसमें कुछ जेब कटा हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो इन्हीं कारणों से बाहर भेजे जाते हैं । यह शिकायती-पत्र जब डी० आई० जी० वहां पहुंचे थे तो उनको दिया गया था ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनमें से कितने अभियोग सही साबित हुये ? यदि हुये, तो कौन-कौन ?

डाक्टर सीताराम---अभी तक केवल एक अभियोग सही निकला है कि वह जाली मुहर बना कर रखते हैं । इसकी डी०आई०जी० ने जांच की और उसे सही पाया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन असिस्टेंट जेलर महोदय का नाम क्या है और साथ ही यह बतलायेंगे कि वे कब से मुअत्तल हैं ?

डाक्टर सीताराम---वह फरवरी के महीने से मुअत्तल हैं ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि जिस कैदी ने शिकायत की थी उसने एक पाकेटमार के बारे में यह भी शिकायत की थी कि उस पाकेटमार को इसी प्रकार का जाली सार्टिफिकेट बना कर रोज जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल के बाहर कर देता है और फिर वह रोज आ कर जेल में बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो जिस पाकेटमार की यह चर्चा है उसके सम्बन्ध में भी क्या कुछ जानकारी है और क्या जांच में उसकी बाबत कुछ मालूम हुआ कि वह बाहर रहा करता था ?

डाक्टर सीताराम—इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है, लेकिन कौशल किशोर त्रिपाठी खुद धारा ४२० के अन्तर्गत जेल में हैं और उन के बारे में कुछ अधिक यहां कहना ठीक नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह भी सही है कि पाकेटमार को जेल से बाहर करने की जिम्मेदारी जो अलेज्ड है वह सुपरिन्टेन्डेन्ट की थी और उनको न सस्पेंड कर के किसी छोटे कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—इस वक्त यहां पर कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जांच हो रही है और असिस्टेंट जेलर वहां पर मुअत्तल हैं। साथ ही साथ वहां का जो जेलर है उन पर भी चार्जशीट लगायी जा रही है।

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट के परीक्षाफलों का रुकना

*५—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—क्या शिक्षा मंत्री वर्ष १९५९-६० की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के कुछ अभ्यर्थियों का परीक्षाफल रोकने के विषय में प्रश्नकर्त्ता के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ व ४५, दिनांक २४ फरवरी, १९६१ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने शिक्षार्थियों का परीक्षाफल रोक लिया गया था और वह कब सुनाया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—रोके गये परीक्षाफलों की संख्या निम्नवत है:—

हाई स्कूल—३,३२२।

इंटरमीडिएट—१,३८७।

जांच के उपरान्त इन्टरमीडिएट परीक्षा के ४९९ व हाई स्कूल परीक्षा के ५८५ परीक्षार्थी निर्दोष पाये गये, उनके परीक्षाफल भिन्न-भिन्न तिथियों को, अधिकांश दिसम्बर मास से पूर्व ही, घोषित कर दिये गये।

*६—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त शिक्षार्थियों को अगले साल परीक्षा में शामिल होने और पास होने की क्या सुविधा दी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिन परीक्षार्थियों के परीक्षाफल रोक लिये गये थे उन्हें यह आदेश था कि वे अपने विषयों में निर्णय की प्रतीक्षा न करें और अगले वर्ष, अर्थात् १९६१ की परीक्षाओं के लिये आवेदन-पत्र प्रेषित कर दें। कुछ परीक्षार्थी ऐसे थे जो इसका लाभ नहीं उठा सके, उन्हें पुनः अवसर दे दिया गया था और उसकी अन्तिम तिथि १२-१२-६० तक बढ़ा दी गई थी।

जिन छात्रों को कक्षा ११ में प्रवेश लेना होता है उनकी उपस्थित की कमी को बचाने के लिये यह सुविधा दी गई है कि उनकी उपस्थिति परीक्षाफल घोषित होने की तिथि के दसवें दिन से जोड़ी जाती है।

जो विद्यार्थी इन्टर परीक्षा पास कर विश्वविद्यालयों/डिग्री कालेजों में प्रवेश लेते हैं और "सप्लिमेन्टरी" परीक्षा या पुनः जांच कराने के कारण विलम्ब से प्रवेश मांगते हैं, उन्हें आगरा तथा गोरखपुर विश्वविद्यालयों और उनसे मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में पहली सितम्बर तक प्रवेश का अवसर दिया जाता है और उनकी हाजिरी परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से लगाई जाती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षाफल घोषित होने के दो सप्ताह के अन्दर तक प्रवेश मिल सकता है और तभी से उनकी हाजिरी भी जोड़ी जाती है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—मान्यवर, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, पिछले जवाब से मिलाने पर यह सिद्ध होता है कि कुल हाई स्कूल में ३,३२२ और इंटरमीडिएट में १,३८७ शिक्षार्थी रोके गये और जून में सामूहिक रूप से हाई स्कूल में २,०५२ लड़के पकड़े गये दोषी और सजा पाये । ५४२ छुटपुट नकल करते हुये पाये गये तथा ५८२ निर्दोष पाये गये । इस तरह से ३,८८९ लड़कों की तादाद हुई । तो यह बाकी १४५ लड़कों का क्या हुआ और जो उत्तर में बताया गया है ....

श्री अध्यक्ष—आप पहले १४५ के बारे में क्या हुआ, यह प्रश्न पूछ लें ।

श्री रामस्वरूप यादव—उन पर अभी विचार हो रहा है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या इन्टरमीडिएट के बारे में भी विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो ठीक ही है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—जो फाइनल जवाब दिया गया है उसमें यह नहीं लिखा है कि कुछ पर विचार हो रहा है । आज कह रहे हैं कि विचार हो रहा है कुछ पर । तो क्या यह दोनों के लिये सही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं आकड़े दे दूं—इन्टरमीडियट में ४९९ निर्दोष पाये गये थे और उसमें १८६ उत्तीर्ण हुये और ३१३ अनुत्तीर्ण हुये । ७९६ दंडित हुये और १५२ पर विचार हो रहा है । हाई स्कूल में—५८५ निर्दोष पाये गये, २६७ उत्तीर्ण हुये, ३१८ अनुत्तीर्ण हुये, दंडित २,४२८ हुये, और ३०९ पर विचार हो रहा है । देरी इस कारण हुई कि वे लोग ही टाल-मटोल करते रहे और ठीक ठीक जवाब नहीं दिया ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह ४९९ और ५८५ विद्यार्थी दोनों कक्षाओं में निर्दोष पाये गये और इनके बारे में निर्णय लेने में एक साल की देरी हुई जिसके कारण वे ऐडमीशन भी नहीं ले सके, तो क्या वे भविष्य के लिये विभिन्न संस्थाओं को कोई ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे कि जिससे ऐसे कामों में इतनी देरी न हो ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो कुछ भी गड़बड़ी हुई है वह तो विद्यालयों की तरफ से ही हुई है । वहां लड़के नकल करते पाये गये । फिर जब परीक्षाफल घोषित होता है तो उनको ऐडमीशन लेने का अधिकार है, लिहाजा कोई असुविधा तो होती नहीं ।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार को मालूम है कि जो परीक्षा समिति जांच करने के लिये है उसमें ६ सदस्य हैं जबकि नकल करने वालों की संख्या ६ हजार है और समिति शीघ्र जांच नहीं कर पाती है ? तो क्या वे कोई ऐसा सुझाव देंगे जिससे जांच जल्दी हो सके ? इस पर विचार करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस पर विचार किया जा सकता है । मैं इससे सहमत हूं कि जांच जल्दी करनी चाहिये ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—श्रीमन्, यह अभी जवाब दिया गया कि जिन विद्यार्थियों का परीक्षाफल रोक दिया जाता है उनको ऐडमीशन लेने का अधिकार है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिनको अपना परीक्षाफल ही नहीं मालूम है, वे किस क्लास में ऐडमीशन लें ? वे किस दर्जे के लिये अपना प्रार्थना-पत्र दें ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिन्होंने १० वें की परीक्षा दी है वे ११ वें दर्जे में लें और जिन्होंने १२ वें की परीक्षा दी है वे यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं ।

[२४ मार्च, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--[२८ फरवरी, १९६१ को प्रश्न १४-१५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*३--श्री मदन पांडेय--[४ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ६२ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

नवीन विश्वविद्यालय खोलने की योजना

*४--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगामी वर्ष अथवा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रदेश में कहां-कहां पर यूनिवर्सिटियां स्थापित करने की योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मेरठ, कानपुर और नैनीताल ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो तीन यूनिवर्सिटियां मेरठ, कानपुर और नैनीताल में खोली जा रही हैं वह, जिस ढंग की पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं उसी ढंग की होंगी या उनसे कुछ भिन्न होंगी ? अगर फर्क होगा तो क्या होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, मैंने तो अभी यह कहा है कि विचार हो रहा है । यह प्रश्न विचाराधीन है कि आटोनामस कालेज रखे जायं या यूनिवर्सिटियां ही हों, तो जब तक प्रश्न विचाराधीन है, तय नहीं हैं तब तक क्या कहा जा सकता है ।

श्री मदन पांडेय--तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार हो चुका है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न अभी तक क्यों फाइनल नहीं हुआ और कब तक अब होने की आशा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--निर्णय में तो समय लगेगा । जो कमीशन है उसके टर्म्स आफ रेफ्रेंस में भी यह चीज बढ़ा दी है कि आटोनामस कालेज हों या किस तरह से शिक्षा की ठीक ढंग से व्यवस्था हो सकती है । यह भी हो सकता है कि उनको खोलने की जरूरत ही न पड़े ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इस बात को देखते हुये कि इसी सरकार के द्वारा यह घोषणा की जा चुकी है कि कानपुर और मेरठ में ऐसे दो विश्वविद्यालय कायम करने को सरकार ऐडमिटेड है ....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं आपका मतलब "कमिटेड" से है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--जी "कमिटेड" है । तो ऐसी हालत में यह सरकार जो कह रही है कि आटोनामस कालेज भी खोले जायेंगे, इन दो बातों में सरकार किस बात में दृढ़ है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जहां तक मेरठ और कानपुर का सवाल है, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम हुआ होगा, अगली पंचवर्षीय योजना में दोनों यूनिवर्सिटीज के लिये धन का प्रबंध कर दिया गया है, परन्तु अभी इस बात पर निश्चय नहीं कर सके हैं कि यूनिवर्सिटीज का क्या रूप हो । कुछ हम इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि कमीशन वगैरह कुछ इस बारे में अपनी राय दे सकेंगे और हम भी इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि क्या उनको रूप दें ताकि ज्यादा से ज्यादा उपयोगी वह बन सके ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कानपुर में जो विश्वविद्यालय स्थापित होने वाला है वह औद्योगिक विश्वविद्यालय हो ?

आचार्य जुगल किशोर—यह निश्चय नहीं किया गया कि वह औद्योगिक यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन उसमें उद्योग के विषयों को प्रधानता दी जायगी ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करके बतायेगी कि आटोनामस कालेज से सरकार का क्या तात्पर्य है ?

आचार्य जुगलकिशोर—आगरा यूनिवर्सिटी अधिनियम में आटोनामस कालेज और वर्किंग मैन्स कालेज का कुछ प्रबंध किया गया है और कुछ धारायें रखी गयी हैं । "आटोनामस" की डेफिनीशन जो उसमें दी गयी है वह यह है कि वह ऐसे कालेज होंगे जिनके काफी अपने भवन हैं, काफी संख्या में विद्यार्थी हैं, काफी अच्छे स्तर के शिक्षक हैं । ऐसे कालेजों को कुछ ऐसी सुविधायें दी जायेंगी जिससे स्वतंत्र रूप से अपने कोर्स का इंतजाम कर सकें, कुछ इम्तहान लेने का भी अधिकार हो सके । इस तरह से जो यूनिवर्सिटीज काम करती हैं, वैसे ही आटोनामस कालेज अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने शहरों में उस काम को कर सकें, ऐसा विचार किया जा रहा है ।

*५-७—श्री ऊदल—[४ अप्रैल, १९६१ क लिय प्रश्न ३-५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*८-श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[२८ मार्च, १९६१ क लिये प्रश्न ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*९—श्री मदन पांडय—[१० मार्च, १९६१ को प्रश्न ५७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

जेल प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ का पुस्तकालय

*१०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेल प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ के पुस्तकालय में ३१ अगस्त, १९६० को कुल कितनी लागत की कितनी पुस्तकें थीं ?

डाक्टर सीताराम—पुस्तकों की संख्या ५,१८२ तथा पुस्तकों का मूल्य ३०,४५४.९२ रुपये ।

*११—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त पुस्तकालय के लिये गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष कितने रुपये की और कितनी नई पुस्तकें कहां-कहां से खरीदी गयी हैं ? क्या यह सत्य है कि इस पुस्तकालय में कोई पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं है ?

डाक्टर सीताराम—पिछले ५ वर्षों में खरीदी गई पुस्तकों का विवरण सम्बद्ध तालिका में दिया गया है ।

अभी तक पुस्तकालय में कोई पूर्ण सामयिक पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं था केवल अल्पकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष काम करता था । वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुस्तकालयाध्यक्ष का एक अस्थायी पद सृजित किया जा चुका है । इस पद पर नियुक्ति के लिये संबंधित व्यक्ति को नियुक्ति पत्र भी जा चुका है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९०-६९१ पर ।)

*१२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त पुस्तकालय से गत ५ वित्तीय वर्षों में कितने कैदियों ने और कितने बाहरी व्यक्तियों ने प्रतिवर्ष अध्ययन के लिये पुस्तकें प्राप्त की हैं ?

डाक्टर सीताराम—इस विद्यालय में कैदियों के लिये पुस्तकें नहीं रहती हैं। अतएव उनके द्वारा पुस्तकें प्राप्त किये जाने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है।

८ अगस्त, सन् १९५९ के पूर्व के वे रजिस्टर जिन में पुस्तकों का आदान-प्रदान अंकित रहता था नष्ट किये जा चुके हैं। अतएव इस तिथि के पूर्व की सूचना नहीं दी जा सकती। ८ अगस्त, सन् १९५९ से ३१ मार्च, सन् १९६० तक ५ बाहरी व्यक्तियों ने इस पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त कीं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी जेल प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ के इस पुस्तकालय की स्थापना किस सन् में हुई, यह बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—जब से यह ट्रेनिंग स्कूल हुआ तभी से।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि १९६०-६१ के वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट साहित्य के पृष्ठ ५८ पर इस पुस्तकालय में ५० हजार की पुस्तकें बतायी गयी हैं, और उत्तर में ३० हजार और कुछ रुपया बताया गया है, तो इतना फर्क क्यों आया ?

डाक्टर सीताराम—इसकी इत्तला मेरे पास इस समय नहीं है लेकिन मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ८ अगस्त, १९५९ के पूर्व रजिस्टर में आदान-प्रदान किया जाता था इसलिये वे नष्ट कर दिये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—यह कारण नहीं है बल्कि रजिस्टर साल भर के लिये रखे जाते हैं। मई के महीने में जब ट्रेनिंग वाले अभ्यर्थी चले जाते हैं तो जांच के पश्चात् रिकर्ड डिस्ट्राय कर दिये जाते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ८ अगस्त, १९५९ के बाद केवल पांच आदमियों ने पुस्तकों का उपयोग किया, यदि हां, तो इतना कम उपयोग होने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—यह जो लाइब्रेरी जेल ट्रेनिंग स्कूल में है वह आफिसर्स या कर्मचारियों के लिये है, बाहरी लोगों के लिये नहीं है। अगर कोई बाहरी आदमी लाइब्रेरी से पुस्तक लेना चाहे तो आई० जी० प्रिजन्स की पर्मीशन से ही ले सकता है।

*१३-१५—श्री ऊदल—[७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी जिले में मध्य प्रदेश की बस सर्विस

*१६—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की सीमा के अन्दर हो कर किन-किन रूटों पर मध्य प्रदेश की कहां से कहां के लिये कितनी-कितनी बसें सरकारी व प्राइवेट चल रही हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—मांगी हुई सूचना संलग्न सूची "अ" में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९२-६९३ पर)

*१७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त रूटों पर अपने प्रदेश की कितनी-कितनी बसें चलती हैं और यदि मध्य प्रदेश की बसों की संख्या से इस प्रदेश की बसों की संख्या कम है तो इसका क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—आवश्यक सूचना विवरण पत्र "ब" में दी गई है।

अन्तर्राजकीय रूटों पर गाड़ियों का चलना दोनों प्रदेशों के बीच पारस्परिक समझौते के अनुसार है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९२–६९३ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश की ४५ बसों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की केवल १९ बसें निर्धारित करने का क्या कारण है और क्या वह मध्य प्रदेश की बसों की संख्या के बराबर ही इसे बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—समझौते की खास बुनियाद यह होती है कि किस प्रदेश में कितने मील पड़ते हैं। उसी रेशियो से यह है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जितनी माइलेज उत्तर प्रदेश में पड़ती है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की मोटरें चलाई जायं ?

श्री मुजफ्फर हसन—करीब-करीब वही परसेन्टेज है। कुछ और भी फैक्टर्स कन्सीडरेशन में होते हैं लेकिन करीब करीब वही परसेंटेज है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि माइलेज के हिसाब से कुछ ऐसी मुख्य सड़कें झांसी जिले में हैं—जैसे कालपी जाने वाली सड़क—जिन पर सरकार ने बसें नहीं चलाई हैं इसलिये माइलेज कम है ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह तो सवाल से ताल्लुक नहीं रखता। सवाल तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दर्मियान का है। कालपी और झांसी तो यू० पी० में ही हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—कालपी से झांसी और मध्य प्रदेश जो बसें जाती हैं उस रूट को लेकर क्या मंत्री जी मध्य प्रदेश से कोई समझौता करने की बात करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—कालपी और झांसी के सिलसिले में किसी समझौते की बात नहीं है। बाकी हर तीन साल बाद जो दूसरे प्रदेश से बसें चलती हैं समझौते होते रहते हैं।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की मांगें

*१८—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का कोई डेपूटेशन उन से गत ३० जनवरी को मिला था ? यदि हां, तो उसने उनके समक्ष अपनी कौन-कौन सी मांगें प्रस्तुत की थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, मिला था। उन्होंने अपनी निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की थीं :—

(१) प्रत्येक जिला अन्तरिम परिषद् में अध्यापक मण्डल के प्रतिनिधि मनोनीत किये जायं।

(२) अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों का वेतन समय से वितरण नहीं किया जा रहा है, अन्तरिम जिला परिषद्, गोंडा इस मामले में विशेषतः दोषी है।

(३) स्थानीय निकायों के अध्यापकों को, उनके अन्य कर्मचारियों के समान ही महंगाई भत्ते, निर्वाह निधि, मेडिकल अवकाश आदि की सुविधा प्रदान की जाय।

(४) बी० टी० सी० या एच० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त सभी अध्यापकों को, जिसने कि हाई स्कूल पास कर लिया हो, जे० टी० सी० वेतन-क्रम में ही समान वेतन मिलना चाहिये।

(५) प्राइमरी पाठशालाओं के प्रधान अध्यापकों के वेतन में केवल १ रु० वार्षिक वृद्धि अपर्याप्त है।

(६) अध्यापकों को गत पंचायत चुनाव में कार्य करने से संबंधित यात्रा भत्ता नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि चुनाव में उन्हें कार्य करने के हेतु उनसे कम शिक्षित व्यक्तियों के नीचे रक्खा जाता है।

(७) शासन द्वारा ३५ वर्ष से अधिक तथा ५ वर्ष के अनुभव प्राप्त अध्यापकों को प्रशिक्षण योग्यता से मुक्त कर दिया गया है, किन्तु उक्त छूट प्राप्त अध्यापकों को प्रशिक्षित अध्यापकों का वेतन क्रम नहीं दिया जा रहा है।

(८) गत वर्ष जब महंगाई भत्ते के क्रम का पुनरीक्षण किया गया था तो उस समय १०० रु० वेतन पाने वाला अध्यापक कोई लाभ प्राप्त न कर सका।

(९) अन्तरिम जिला परिषद्, गोरखपुर ने अपने अध्यापकों को जुलाई, १९५६ से मार्च, १९५९ तक के महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया। अन्तरिम जिला परिषद्, जौनपुर ने १९४९ में वेतन-क्रम में पुनरीक्षण होने पर अध्यापकों को २ महीने का बकाया वेतन वृद्धि नहीं भुगतान की और यह भी शिकायत प्राप्त हुई कि राजकीय अनुदान का उपयोग दूसरे मदों में किया गया। यही शिकायत अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ के विरुद्ध भी की गई।

(१०) उत्तराखण्ड डिवीजन के कर्मचारियों को सरकार सीमान्त भत्ता देती है, लेकिन अध्यापकों को यह नहीं दिया जाता है।

(११) प्रतिनिधि मण्डल यह भी जानने को उत्सुक था कि राज्यपाल द्वारा अपने भाषण में घोषित ५ रु० ८ आना महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी उन्हें भी मिलेगी या नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मांगों में से उन्होंने कौन-कौन सी स्वीकार करने की कृपा की है और कौन सी विचाराधीन है?

श्री रामस्वरूप यादव—विचाराधीन तो सब ही हैं। १०० रुपये वालों को महंगाई भत्ते वाली मांग पर सरकार विचार कर रही है। कुछ मांगें जो दूसरे विभागों से संबंधित हैं वे उन्हें भेज दी गई हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि विचाराधीन मांगों पर कब तक विचार परिपूर्ण हो जायगा?

श्री रामस्वरूप यादव—समय बताना सम्भव नहीं है। कुछ मांगों के बारे में, जैसे ५।। रुपये वाली हैं, अन्तरिम जिला परिषदों को आदेश जारी कर दिये गये हैं, कुछ पर विचार हो रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—स्वायत्त विभाग के अन्य कर्मचारियों को ३५ रु० और महंगाई देने की बात तय कर दी है, तो क्या सरकार निकट भविष्य में इसे मानने के लिये तैयार है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी, नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि जे० टी० सी० और वी० टी० सी० अध्यापकों में ५ रु० के फर्क की समानता को मानने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री रास्वरूप यादव—जे० टी० सी० हाई स्कूल पास होता है और वी० टी० सी० पहले आठवें या मिडिल पास हुआ करते थे।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यापकों की उन मांगों के सम्बन्ध में, जिनसे सरकार के कोष से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे उनको समय पर वेतन न मिलना आदि, जो प्रशासकीय तरीके से पूरी हो सकती है उनके पूरा करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उचित मांगों के सम्बन्ध में आदेश जारी कर देंगे ।

ग्राम उद्योग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पुखरायां के विरुद्ध शिकायत

*१९—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को या जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर की तहसील पुखरायां, जिला कानपुर के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों के वजीफ़ों को उन्हें न देकर स्वयं ले लेने की शिकायतें १ मई, १९६० से ३१ जुलाई, १९६० के बीच प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, वेतन ग्राम उद्योग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पुखरायां, कानपुर के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर ने इस विषय में जांच कर उचित कार्यवाही की।

*२०—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुखरायां तहसील, जिला कानपुर के मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्यों द्वारा बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के मेडिकल लीव देने, पक्षपात करने आदि के सम्बन्ध में उक्त जिले के किन-किन विधायकों ने १९५९ या १९६० के पूर्वार्द्ध में शिक्षा मंत्री को पत्र लिखे तथा उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—उस जिले के केवल एक विधायक प्रश्नकर्ता द्वारा ही शिकायती-पत्र प्राप्त हुये। विषय में अभी जांच हो रही है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी कृपया बतावेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच करके क्या तथ्य पाये और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—गड़बड़ी तो हुई थी। वहां के प्रबन्धकों न दो लिपिकों की सेवायें समाप्त कर दी हैं जो गड़बड़ी स सम्बन्धित थे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—डिसबर्सिग अथारिटी प्रिन्सिपल होता है, लिपिकों से कोई सम्बन्ध नहीं। ८ महीने का विद्यार्थी का रुपया उसने लिया, तो उसके खिलाफ़ कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट आने पर विचार होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—लिपिकों ने हिसाब की गड़बड़ी की या रुपये का गबन किया और रुपये का गबन किया तो पुलिस के हवाले करके मुक़दमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस पर विचार हो रहा है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि वजीफ़ों में कितने रुपये का ग़बन किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—विधायक प्रश्नकर्ता द्वारा जो मंत्री जी को समय-समय पर पत्र प्राप्त हुये उनकी जांच कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—हम जल्दी ही समाप्त कर लेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—इस सम्बन्ध में प्रिन्सिपल महोदय के खिलाफ़ वहां के पुलिस अधिकारी ने और इंसपेक्टर महोदय ने भी जांच की थी और फ़ैसला दिया, तो अब सरकार दोबारा किस बात की जांच करवा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट नहीं आई है कि उन्होंने क्या फ़ैसला लिया है।

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में वर्कशाप्स

*२१—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज के गोरखपुर रीजन में कितने वर्कशाप्स फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत हैं और उनमें से कितनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ?

श्री मुजफ्फर हसन—नौ ।

इनमें से केवल एक वर्कशाप का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है ।

*२२—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन के अन्तर्गत वर्कशापों में कितनी-कितनी गाड़ियां है और उनकी देख-रेख के लिये कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—४५८ गाड़ियां और ५२९ कर्मचारी ।

*२३—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन में कितने कर्मचारियों को एफीशियेन्सी रिवार्ड १९५९–६० में दिये गये और उनकी धनराशि कितनी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—किसी भी कर्मचारी को नहीं ।

धनराशि का प्रश्न नहीं उठता ।

स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र

*२४—श्री गनेशचद्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की पेंशनों तथा उनकी लड़कियों की शादियों के हेतु सहायता के लिये इस समय कितने-कितने प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)—यह सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि कार्यालय में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का इस प्रकार कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता कि कितने मासिक पेंशन के लिए तथा कितने लड़कियों की शादियों में सहायता के लिये हैं ।

*२५—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष में उपर्युक्त प्रकार के कितने-कितने प्रार्थना-पत्र किस-किस महीने में स्वीकृत किये गये थे ?

श्री कृपाशंकर—यह सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६९४ पर)

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे ५, ६ जिले कौन से हैं जिनमें सबसे अधिक पेंशन और आर्थिक सहायता शादियों में दी हैं ?

श्री कृपाशंकर—जिलेवार नहीं मालूम है। नोटिस चाहिये।

श्री झारखण्डेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि आज़ादी की लड़ाई के सिपाही जो कहे जाते हैं जिन्हें पेंशन या सहायतायें दी जा रही हैं, उनमें आज़ाद हिन्द फ़ौज के सिपाही भी शामिल किये जाते हैं या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी, नहीं।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की लड़कियों की शादी में कम से कम और अधिक से अधिक कितना रुपया दिया जाता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—ज्यादा से ज्यादा ५०० रु० दिया जाता है और उससे कम भी दिया जाता है, ज्यादा नहीं।

श्री झारखण्डेराय—आज़ाद हिन्द फ़ौज वालों को भी इस श्रेणी में रखने के लिये राज्य सरकार की केन्द्रीय सरकार से कोई लिखा-पढ़ी हो रही है या किसी स्टेज पर हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—नोटिस चाहिये।

*२६—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—[१८ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२७—श्री प्रतापसिंह—[७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*२८-२९—श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—[७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

जामडीह में बस स्टेशन खोलने की प्रार्थना

*३०—श्री रामसुन्दर पांडय—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम जामडीह, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के प्रधान का आवेदन-पत्र उक्त ग्राम में रोडवेज़ बस स्टेशन खोलने के लिये सहायक जनरल मैनेजर, आजमगढ़ के पास २१ दिसम्बर, १९६० का भेजा हुआ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, जामडीह को फेयर स्टाप बना दिया गया है और १ अप्रैल, १९६१ से वहां से यात्रियों के टिकट मिलना आरम्भ हो जायेंगे।

बलिया—उजियार मार्ग पर पिपरा पुल का टोल-टैक्स

*३१—श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि क्या आजमगढ़ मण्डल के सहायक सर्वप्रबन्धक ने हाल में कोई ऐसा आदेश दिया है जिसके अनुसार फरवरी, १९६१ से बलिया—उजियार मार्ग पर पिपरा का टोल टैक्स, रोडवेज द्वारा जाने वाले मुसाफिरों से प्रत्येक बस का कंडक्टर वसूल करके ठेकेदार को देता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

*३२—श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री परिवहन कृपया यह भी बतायेंगे कि उपर्युक्त ठेकेदार उक्त सेवा के लिये विभाग को क्या देता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—कुछ नहीं। बस ज्यादा देर तक न रुके इसलिये यह इन्तजाम किया गया।

*३३—श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि इन टोल टैक्स वसूली के लिये परिवहन विभाग की ओर से रसीद छपवाई गई है या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

नोट—तारांकित प्रश्न २५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं, जब कि टैक्स ठेकेदार के लिये वसूल किया जाता है तो परिवहन विभाग की ओर से रसीदें छपाने का प्रश्न नहीं उठता।

मैनपुरी—लखनऊ मेल बस सर्विस

*३४—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला मैनपुरी से लखनऊ तक मेल बस चलाने हेतु १९५९ तथा १९६० में कुछ प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजे गये हैं? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। परीक्षण के लिये एक बस सर्विस चला दी गई है।

*३५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

रोडवेज़ विभाग में अनुसूचित तथा बैकवर्ड क्लास के कर्मचारी

*३६—श्री रामदीन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ३१ दिसम्बर, १९६० को रोडवेज विभाग के अन्तर्गत कितने अधिकारी तथा कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे और उनमें कितने परिगणित जाति के तथा कितने बैकवर्ड क्लास के थे?

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना निम्न प्रकार है:

		पूर्ण संख्या	अनुसूचित जाति	बैकवर्ड क्लास
अधिकारी	..	८२	शून्य	शून्य
कर्मचारी	..	१६,४६३	१,३९९	१,८९६

अनिवार्य शिक्षा देने वाली नगरपालिकायें तथा महानगरपालिकायें

*३७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितनी नगरपालिकायें तथा नगर महापालिकायें ऐसी हैं जहां बालकों, बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य है?

आचार्य जुगलकिशोर—९० नगरपालिकाओं तथा ५ नगरमहापालिकाओं में बालकों की तथा ७ नगरपालिकाओं तथा ३ नगर महापालिकाओं में बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य है।

*३८-३९—श्री प्रतापसिंह—[७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*४०—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २४ नवम्बर, १९६० से ७ दिसम्बर, १९६० तक प्रदेश में कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन (Political Sufferers Pensions) दी गई?

श्री मुजफ्फर हसन—२४ नवम्बर, १९६० से ७ दिसम्बर, १९६० तक किसी राजनीतिक पीड़ित को पेंशन नहीं दी गई है।

*४१—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—[७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*४२—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला कारागार, प्रतापगढ़

*४३—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला कारागार, प्रतापगढ़ को किसी अन्य जगह स्थानान्तरित करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कहां?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

*४४-४६—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—[७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती-दुधारा-मेंहदावल सड़क पर बस सर्विस की आवश्यकता

*४७—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह बस्ती दुधारा-मेंहदावल सड़क पर जो अब बनकर तैयार हो गई है, रोडवेज की बसें चलाने का विचार कर रही है? अगर हां, तो कब से बसें चलने लगेंगी?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*४८-४९—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—[७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों व क्लर्कों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की सिफारिश

*५०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह प्रदेश के गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का भी महंगाई भत्ता राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के समकक्ष करने जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

धनाभाव के कारण।

*५१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों में काम करने वाले लिपिकों की दशा सुधारने की भी योजना सरकार के विचाराधीन है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां।

लिपिकों को चिकित्सा संबंधी सुविधा प्रदान करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

*५२—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—[११ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ९९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नगरपालिकाओं के अन्तर्गत स्कूलों के शिक्षा नियमों में परिवर्तन की जानकारी

*५३—श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह राजाज्ञा डी० वाई १/१६२/१५-८००-८५-६०, दिनांक ३ मार्च, १९६० को नगरपालिकाओं के अन्तर्गत काम करने वाले अध्यापकों पर भी लागू करने के लिये शिक्षा नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने पर विचार कर रही है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी, नहीं।

सरकारी कर्मचारियों के पास शराब के परमिट

*५४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्यनिषेध क्षेत्र (Dry area) के किस-किस जिले में कितने-कितने सरकारी कर्मचारी शराब के परमिट लिये हुये हैं ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुक्तेश्वर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के राजकीयकरण पर विचार

*५५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या प्रदेशीय सरकार के शिक्षा विभाग के पास केंद्रीय सरकार के कृषि एवं खाद्य मंत्रालय के कोई पत्र आये हैं कि इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुक्तेश्वर में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा जनता की सुविधा हेतु खोले गये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का राजकीयकरण किया जाये ? यदि हां, तो प्रदेशीय सरकार इस हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

*५६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि केंद्रीय सरकार ने उपर्युक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु साठ प्रतिशत धन प्रदेशीय सरकार को देने का आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो प्रदेशीय सरकार उक्त भवन निर्माण हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

अभी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ।

अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन पर राज्य का व्यय

*५७—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के लिये जो दिसम्बर, १९६० के अंतिम सप्ताह में हुआ था, सरकार ने कितनी धनराशि दी और वह किस मद में खर्च की गई तथा इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था ?

आचार्य जुगलकिशोर—अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन को शासन द्वारा १०,००० रुपये की धनराशि दी गई जो सम्मेलन संबंधी विभिन्न मदों में व्यय की गई ।

इस सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा संबंधी विविध पहलुओं पर विचार विनिमय था ।

*५८—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री ने उक्त सम्मेलन में भाग लिया और अंग्रेजी भाषा में भाषण दिया तथा उक्त सम्मेलन के अध्यक्ष (मद्रास के शिक्षा मंत्री) ने अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन देने की बात कही ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

शीरे का उत्पादन

*५९—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि शीरे (मोलेसेस) का उत्पादन प्रदेश की प्रत्येक चीनी मिल में अलग-अलग गत चार वर्षों में प्रतिवर्ष कितना-कितना हुआ और उसका क्या उपयोग हुआ ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना संलग्न‡ तालिका में दी हुई है।

*६०—श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि गत वर्ष कई मिलों में शीरे की बड़ी क्षति हुई? यदि हां, तो उसका क्या कारण है?

डाक्टर सीताराम—जी हां, गत वर्ष शीरे की क्षति का कारण अधिक उत्पादन तथा चीनी मिलों द्वारा खुली टंकियों में संचय करना है।

*६१—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसका क्या कारण है कि शीरे के मूल्य में कोई परिवर्तन कई वर्ष से सरकार नहीं कर ही है जबकि आम बाजार में नियंत्रित मूल्य से बहुत ऊंची कीमत पर शीरा बिक रहा है?

डाक्टर सीताराम—केवल डिस्टिलरियों को शीरा निर्धारित दर पर सप्लाई किया जाता है तथा चीनी मिलों को मुक्त किये गये शीरे का कोई मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है।

मुस्लिम इंटर कालेज, फतेहपुर के अध्यापकों का प्रार्थना-पत्र

*६२—श्री प्रतापसिंह—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुस्लिम इंटर कालेज, फतेहपुर के शिक्षकों का प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है कि उनको ४ माह से वेतन नहीं मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां।

शिक्षा अधिकारियों के प्रयत्न के फलस्वरूप शिक्षकों को तथा अन्य कर्मचारियों को माह दिसम्बर, १९६० तक का वेतन दिया जा चुका है।

सहारनपुर म्युनिसिपल बोर्ड के अन्तर्गत हरिजन शिक्षक

*६३—श्रीमती शकुंतलादेवी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सहारनपुर म्युनिसिपल बोर्ड, शिक्षा विभाग में वर्तमान समय में प्राइमरी स्कूलों में प्रतिशत के हिसाब से कितने हरिजन हेडमास्टर और मास्टर नियुक्त हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—सहारनपुर म्युनिसिपल बोर्ड, शिक्षा विभाग में वर्तमान समय में प्राइमरी स्कूलों में हरिजन हेडमास्टर ९ प्रतिशत हैं तथा मास्टर ७.५ प्रतिशत हैं।

राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तेंदुवाई कलां के अध्यापकों का प्रार्थना-पत्र

*६४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तेन्दुवाई कलां, पो० देवरिया, जिला फैजाबाद के कुछ अध्यापकों का १० सितम्बर, १९६० का कोई लिखित प्रार्थना-पत्र शिक्षा संचालक के पास आया है जिसमें अवैधरूप से अध्यापकों को रखने एवं निष्कासित करने की शिकायत की गई है?

आचार्य जुगलकिशोर—छानबीन हो रही है और निश्चित रूप से अभी यह कहना संभव नहीं कि शिकायती पत्र शिक्षा निदेशक के यहां प्राप्त हुआ अथवा नहीं।

---

‡ छापी नहीं गई।

झांसी जिले में प्राइवेट बस सर्विस

*६५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में प्राइवेट बसों के किस-किस रूट पर कितनी-कितनी बसें चलती हैं और उक्त रूट कितने-कितने मील कच्चे व पक्के हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—आवश्यक सूचना संलग्न विवरण पत्र "अ" में है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६९५–६९७ पर)

*६६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५८-५९, १९५९–६० व १९६०–६१ में उपर्युक्त बसों की किस-किस रूट पर कितनी-कितनी संख्या किस आधार पर बढ़ाई गई ? क्या उसके पास उक्त रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के कोई आंकड़े थे ? यदि हां, तो क्या वह उनको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—इन तीनों वर्षों में केवल एक बार अगस्त, सन् १९५९ में आर० टी० ए०, कानपुर में झांसी जिले के २० रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाने का निश्चय किया जिसका विवरण संलग्न सूची "ब" में है, यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुये उक्त संख्या बढ़ाई गयी, यात्रियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६९५–६९७ पर)

*६७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने उक्त रूटों में से किन-किन रूटों पर बसों की संख्या में पुनः कितनी-कितनी और वृद्धि करने के लिये जुलाई, १९६० में प्रार्थना-पत्र मांगे थे और क्या वे प्रार्थना-पत्र गजट में प्रकाशित हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—पुनः कोई वृद्धि नहीं की गयी। जुलाई, सन् १९६० में मांगे गये प्रार्थना-पत्र, अगस्त, १९५९ में बढ़ाये गये स्थानों को भरने के लिये थे, ये प्रार्थना-पत्र प्रकाशित करने के लिये प्रेस को भेज दिये गये हैं।

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की सूची

*६८—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की सूची सरकार की ओर से बनाने की कोई योजना है ?

डाक्टर सीताराम—सन् १९२१ से १९४२ तक के राजनैतिक बंदियों की जिलेवार सूचियां बनाई जा रही हैं।

*६९—श्री रामदुलारे मिश्र—यदि हां, तो वह किस आधार पर बनायी जायेंगी ?

डाक्टर सीताराम—यह सूचियां जेल रिकार्ड तथा जिलाधीश और पुलिस के पास उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर बनाई जा रही हैं।

*७०—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार मैनपुरी, काकोरी, मेरठ तथा अन्य षड़यंत्र केसों के आजादी के सिपाहियों को जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उपर्युक्त सूची में शामिल करेगी ?

डाक्टर सीताराम—इन षड़यंत्र केसों के बंदियों का रिकार्ड उपलब्ध होने पर सरकार को उनका नाम शामिल किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

विनियोग लेखे १९५९–६० तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६१*

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार के विभागीय लेखे १९५९–६०, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६१ सहित तथा वित्त लेखे १९५९–६०, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६० सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, यह एप्रोप्रियेशन की जो जिल्द हमें अंग्रेजी में मिली है उसके बारे में पिछले वर्ष आपने यह व्यवस्था दी थी कि इसको हिन्दी में करा दिया जाय, जो हमें साल भर के बाद मिली। मुझे आशा है कि आप इसके बारे में भी यही व्यवस्था देंगे, लेकिन उसके साथ आप ऐसी भी व्यवस्था देने की कृपा करें कि वह एक महीने के अन्दर हमको मिल जाय, नहीं तो बेकार हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—इसमें बड़ी कठिनाई होगी।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—अध्यक्ष महोदय, ये किताबें हमें अंग्रेजी में दे दी जाती हैं जिसे हम पढ़े नहीं, हमारे बाप पढ़े नहीं। इसमें बेकार पैसा क्यों खर्च किया जाता है। अंग्रेजी में छापने से बिला वजह किसानों और मजदूरों का पैसा खर्च हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—संविधान के अनुसार महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट अंग्रेजी में ही देते हैं, उनको हम हिन्दी में देने के लिये बाध्य नहीं कर सकते। पारसाल सुविधा के लिये मैंने यह कह दिया था कि पहले इसको अंग्रेजी में ही पेश कर दिया जाय जिससे तत्काल ही लोगों को इसकी जानकारी हो जाय और जिससे पी० ए० सी० भी अपनी कार्यवाही उस पर करना आरम्भ कर दे। और हिन्दी अनुवाद करके देने के लिये बाद में कह दिया। अब अनुवाद में समय लगता है, क्योंकि एक तो किताब ही काफी मोटी है और सरकार के पास इतनी बड़ी तादाद में अनुवादक भी न होंगे। इसलिये एक माह में उसको दे सकना सम्भव न हो सकेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—श्रीमन्, ए०जी० का आफिस उत्तर प्रदेश में ही है। क्या उनके दफ्तर में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि वहां एक हिन्दी का अनुवादक रख दिया जाय जो साथ-साथ हिन्दी में अनुवाद करता रहे और हिन्दी अंग्रेजी साथ साथ या १०-१५ दिन के अन्तर से हमें मिल सकें।

श्री रामस्वरूप यादव—इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—इस पर विचार करके किसी दिन उत्तर दे दीजिये।

उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१

सचिव विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ मार्च, १९५१ की बैठक में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के २३ मार्च, १९६१ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १७ मार्च, १९६१ की बैठक में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन-विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के २३ मार्च, १९६१ को वापस प्राप्त हो गया है।

---

*मेज पर रखी गई।

आश्वासन समिति का नवम् प्रतिवेदन†

*राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से इस समिति का नवम् प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रस्तुत प्रतिवेदन में २३५ आश्वासनों का समावेश है। यह आश्वासन विधान सभा में ९ फरवरी, १९६० से ५ मई, १९६० तक की अवधि में सरकार द्वारा दिये गये थे। इन आश्वासनों में से समिति ने १३७ आश्वासनों की या तो पूर्ति मानी या सरकार द्वारा दिये गये तत्सम्बन्धी उत्तरों को संतोषजनक माना, शेष ९८ आश्वासन अब भी ऐसे हैं जिनकी पूर्ति अभी तक नहीं हो पायी है।

मुझे इस बात को कहने में प्रसन्नता है कि इन आश्वासनों के सम्बन्ध में समिति ने यह महसूस किया कि इनकी पूर्ति की दिशा में विभागों ने सामान्यतया कुछ अधिक तत्परता से कार्य किया और समिति को इस पर संतोष है। समिति आशा करती है कि भविष्य में भी विभाग अपनी इस कार्य तरत्परता का परिचय बराबर देते रहेंगे जिससे आश्वासन की पूर्ति में कम से कम समय लगे और इस प्रजातंत्रात्मक शासन में सदैव सार्वजनिक हित का ध्यान रहे।

अन्त में समिति सरकार के विभिन्न विभागों को उनके सहयोग तथा सहायता के लिये धन्यवाद देती है। श्रीमन्, दो शब्द आपकी आज्ञा से मैं और कहना चाहता हूं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जो टार्जेट समिति ने तय किया था कि वर्ष भर में काम अप टु डेट कर दिया जाय और कम से कम ५ प्रतिवेदन सदन के सम्मुख रखे जायं, माननीय सदस्यों के सहयोग और उनकी सद्भावना तथा सहकार्य से यह कार्य पूरा हो गया है। इसके लिये मैं उन सारे सदस्यों और सारे अधिकारियों का आभारी हूं और श्रीमन् के मार्ग दर्शन के लिये भी आभारी हूं, क्योंकि आपके द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चल कर ही हम लोगों ने कार्य को पूरा किया।

नियम ५२ के अन्तर्गत जिला आजमगढ़ के ग्राम अदरी में रविदास जयंती महोत्सव को भंग करने के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार जो विषय ध्यान आकृष्ट करने के सम्बन्ध में मेरे पास भेजे गये हैं उनमें से मैंने श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्रामराय तथा श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव द्वारा भेजे गये विषय को स्वीकार किया है जो इस प्रकार है—

"ग्राम अदरी, जिला आजमगढ़ में १६ मार्च, सन् १९६१ को गत वर्षों की भांति इस ग्राम के तथा सन्निकटवर्ती सैकड़ों ग्रामों में हजारों हरिजनों द्वारा रविदास जयन्ती मनाने का विशाल आयोजन किया गया था जिसकी स्वीकृति जिलाधीश आजमगढ़ से प्राप्त की गयी थी। किन्तु स्थानीय पुलिस व अन्य अधिकारियों द्वारा रुकावट डालने तथा अविवेकपूर्ण व्यवहार के कारण महात्मा रविदास का जुलूस एवं उनके जीवन पर प्रकाश डालने हेतु आयोजित सभा भंग कर दी गयी तथा जयन्ती के प्रमुख सहायक एक प्रजा समाजवादी कार्यकर्त्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध स्वरूप महात्मा रविदास की रथी अपने नियत स्थान पर पड़ी हुई है। हरिजनों को नाना प्रकार की धमकी पुलिस तथा हाकिम परगना मोहम्मदाबाद व घोसी द्वारा निरन्तर दी जा रही है। अधिकारियों के उक्त पक्षपातपूर्ण एवं गलत कृत्यों के कारण आजमगढ़ तथा पड़ोसी जनपदों के हरिजनों तथा जनसाधारण में अत्यधिक रोष तथा क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त है। शान्तिभंग की पूर्ण आशंका हो गयी है।

अतएव माननीय मंत्री का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट किया जाता है।"

इस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री कोई वक्तव्य देंगे ?

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मुझे तो नहीं मालूम है जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा कि कोई सभा भंग की गयी और गिरफ्तारी हुई। रोज सभायें होती हैं, कोई भंग नहीं की जातीं। अब इसमें क्या विशेष कारण है इसको तो मेरे माननीय मित्र ने बतलाया नहीं और मेरे पास भी इसकी कोई इत्तला नहीं है। मंगलवार, २८ मार्च तक का समय मुझे इस पर वक्तव्य देने के लिये दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप २८ तारीख को वक्तव्य देंगे।

जिला जालौन के रेढ़र, समेहरा आदि गांवों में डाकुओं के अत्याचार एवं आंतक के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब श्री वीरेन्द्रशाह द्वारा दिनांक १५ मार्च, १९६१ को दी गयी सूचना पर जिला जालौन में स्थित ग्राम पारोन, थाना रेढर तथा ग्राम सिमेहरा, थाना चुर्खी में डाकुओं द्वारा की गयी लूटमार आदि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, एक गांव पारोन, थाना रेढर, जिला जालौन में है जहां ४ फरवरी, १९६१ को ५ १/२ बजे डाका पड़ा और दो घंटे तक पड़ता रहा। मालूम यह हुआ कि श्रीपाल गड़रिया और फिरंगी सिंह जो बदनाम डाकू लाखन सिंह का भाई है, वह, अपने बड़े भाई के तथा दूसरे बचे खुचे गिरोहों का लीडर बना हुआ है, तो इन दोनों गिरोह के आदमियों ने यह डाका डाला था। बताया गया कि ३०–३५ डकैत थे जिनमें से अधिकतर पुलिस यूनिफार्म में थे। उनमें से कुछ के पास टी० एम० सी० गन यानी टामीगन थे, कुछ के पास मामूली गन और राइफल भी थे। इस डकैती में कोई मरा नहीं और न कोई कत्ल हुआ, ५ आदमियों को मामूली चोटें आयीं और २५,००० रु० के सामान १८ मकानों से लूटे गये और इसकी रिपोर्ट उसी रोज थाने में ८ बजे लिखायी गयी। उसी वक्त एस० ओ० और सेकेंड आफिसर कुछ पुलिस फोर्स लेकर मौके पर गये, लेकिन उससे पहले यह जो डकैत थे मध्य प्रदेश में चले गये। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, यह गांव सीमा के ऊपर ही है। वहां एक आर्म्ड पुलिस गार्ड उस गांव में लगा दिया गया है।

३ मार्च को दूसरी डकैती पड़ी। चौथी फरवरी को पहली डकैती पड़ी थी। और यह तीसरी मार्च को ढाई बजे दोपहर से तीन घंटे तक पड़ी। गांव का नाम है सिमेहरा शेखूपुर, थाना चुर्खी और जिला जालौन। इसमें भी श्रीपाल गड़रिया और फिरंगीसिंह, मध्य प्रदेश के उन्हीं गिरोहों के १३ डाकू थे और अधिकतर पुलिस यूनिफार्म में थे और टी० एम० सी० यानी टामी गन, राइफल और गन इनके पास थीं। दो आदमी मारे गये, दयाराम और उमाशंकर। दो महिलाओं के हल्की चोटें आयीं। २३ हजार का सामान लूटा गया, इसके अन्दर एक गन भी है श्री रामप्रकाश जी की। १६ घर लूटे गये। ४ मार्च, को १२ १/२ बजे यानी आधी रात के बाद यह रिपोर्ट लिखाई गई। उसी वक्त एस० ओ०, जो आदमी मारे गये थे उनके सिलसिले में रिपोर्ट तैयार करके, फौरन मौके के लिए रवाना हुआ। रेविस, खोहों के अन्दर यह गांव है छोटा सा, १० मील है पुलिस स्टेशन से। वहां ९ बजे के करीब सबेरे बीच में तहकीकात और मालूमात करता हुआ थानेदार पहुंचा। संदेह यह किया जाता है कि यह गिरोह या ये डाकू जिन्होंने सिमेहरा शेखूपुरा में डाका डाला इन्हें गांव में कुछ आदमियों ने पार्टी बंदी के कारण बुलाया था जो कि गांव पंचायत के एलेक्शन की वजह से हो गई थी। डिप्टी एस० पी० और सर्किल आफिसर भी पुलिस फोर्स को लेकर मौके पर गये थे और वहां गश्त वगैरह उन लोगों ने की, लेकिन गैंग से कोई सम्पर्क स्थापित न हो सका।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि दिनांक १९ मार्च, १९६१ को फिर ग्राम असहना, थाना रामपुरा में दिन को चार बजे डकैती पड़ी और उसमें एक हजार रुपये का माल लटा गया ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह तो किसी और मामले की बाबत सवाल हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि बहुत-सी डकैतियां पड़ीं, उनमें से दो-तीन ही बताईं ।

श्री चरणसिंह—दो ही डकैतियों का तो सवाल था । पहले दो ही डकैतियों का तो नोटिस था, वह मैंने जबाव दे दिया ।

राजा वीरेन्द्रशाह—अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आप कहते हैं कि प्रबन्ध हो गया, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रबन्ध जिला पुलिस के द्वारा अभी तक किया जा रहा है वह नाकाफी है । मेरे सवाल में यह भी था कि जब तीन थाने जिले के—रेढ, किड़रिया और रामपुरा डाकुओं के आपरेशन एरिया में शामिल है तो फिर क्यों वहां पी० ए० सी० नहीं रखी जाती जबकि इटावा जिले में बांसी में पिथौरा, कचहरी और परतौर में एक-एक कम्पनी मौजूद है पी० ए० सी० की ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से कितना वहां पुलिस का इंतजाम है वह मैं कहना चाहता हूं । बावजूद इतने पुलिस के इंतजाम के डाका पड़ गया तो पड़ सकता है और पड़ता रहेगा । हर जगह हर गांव में पी० ए० सी० की बटेलियन और कम्पनी नहीं रखी जा सकती । जो हालत आगरा और इटावा और बहुत थोड़े हिस्से में जालौन जिले में है जहां बहुत बड़ी-बड़ी रेंविस हैं, मैं समझता हूं कि वहां आर्मी का ब्रिग्रेड भी रखा जाय और कहा जाय कि डकैती नहीं पड़ेगी तो मुश्किल होगा । कितने पी० ए० सी० के प्लाटून्स वहां हैं, अगर आप इजाजत दें.....

श्री अध्यक्ष—आप सिर्फ कह सकते हैं कि प्लाटून्स वहां हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन दो गांवों में डाका पड़ा उनमें ग्राम रक्षक दल थे कि नहीं और हथियारों के लाइसेंस थे कि नहीं ?

श्री चरणसिंह—मैं ठीक नहीं कह सकता, क्योंकि जो मेरे पास रिपोर्ट है वह बहुत मुफस्सिल है, लेकिन मैंने उसको पूरा अभी नहीं पढ़ा, कि कोई इस तरह के रक्षक दल थे, और मुमकिन है कि हों भी । मैं बताना चाहता हूं कि जिलाधीश ने और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने ७५ गन लाइसेंस अभी जारी किये हैं जो जिम्मेदार आदमी हैं उनको, और पी० आर० डी० के जरिये से एक स्कीम पर काम होगा ताकि ऐसे मामलों में पब्लिक और पुलिस में कोआपरेशन हो सके । खासतौर से जिलाधीश ने वहां के लोगों से मिलकर एक स्कीम बनायी है वह लम्बी चौड़ी है उसको अभी पूरी नहीं बता सकता । लेकिन यह इंतजाम अभी उन्होंने किया है । इससे पहले उन दोनों गांवों में कोई रक्षक दल थे कि नहीं मैं नहीं बता सकता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जिन गांवों में डाका पड़ा वहां से थाना कितनी दूर था ?

श्री चरणसिंह—सिमेहरा शेखूपुर जिसमें तीसरी मार्च को डाका पड़ा, थाने से १० मील दूर था, वह तो रेविन्स के अन्दर है और दूसरे गांव की बाबत डिस्टेंस नहीं मालूम है । लेकिन वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है । और जितने भी डाकू थे वह मध्य प्रदेश के थे और मध्य प्रदेश में जितने जुर्म उन्होंने किये हैं वे मेरे पास है लेकिन मैं उनको बताना गैर जरूरी समझता हूं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—मंत्री जी ने कहा कि डाकुओं का दल मध्य प्रदेश का था और सीमा पर ही डाका पड़ता है। इस दृष्टि से कि डाकुओं का दल रोका जा सके, पकड़ा जा सके और उनके खिलाफ आपरेशन्स हो सकें, मध्य प्रदेश से बात करके ज्वाइंट आपरेशन की योजना क्या सरकार ने बनायी है ?

श्री चरणसिंह—इस समय तो सरकार कोई ऐसी योजना बनाने पर विचार नहीं कर रही है। पहले ऐसी योजना बनी थी और एक ज्वाइंट कमान्ड स्थापित हुआ था। लेकिन तजुर्बे ने यह बताया कि उसमें तरह तरह के इक्वेशन्स, फैक्टर्स, साइकालोजीकल बातें आ गईं इसलिये उस कमान्ड को तोड़ना पड़ा, यानी उसमें कामयाबी नहीं मिली। और अभी मैंने इस मसले पर विचार नहीं किया है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—मंत्री जी ने बताया कि डाके पड़ते हैं और पड़ते रहेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार पुलिस की अक्षमता को महसूस करते हुए डाकुओं के आपरेशन एरिया को फौज के हाथ में देने के प्रश्न पर विचार कर रही है अथवा फौज से सहायता लेने का विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि ग्राम सिमेह, थाना सिकन्दरा, जिला कानपुर से बहुत नजदीक पड़ता था और दरोगा को खबर की गई लेकिन वह नहीं पहुंचा जिससे डाकू डाका डालते रहे ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे पैदा नहीं होता।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि बार्डर पर जो गांव पड़ते हैं इनमें अक्सर डकैती पड़ती है, उन गांवों में ज्यादा से ज्यादा हथियार देने का प्रयत्न करेंगे और ग्राम रक्षक दलों को उन गांवों में अच्छी तरह से संगठित करके उनको भी हथियार देने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अर्ज किया कि वहां के जिलाधीश ने एक स्कीम बनायी है और ७५ लाइसेंस जारी हो चुके हैं, बहुत मुफस्सिल स्कीम है और लोगों को भी हथियार दिये जायेंगे। इसी तरह से आगरा में विलेज डिफेंस सोसाइटीज बनायी जा रही हैं इटावा में मुझे नहीं मालूम इस सिलसिले में कोई खास काम हो रहा है कि नहीं। अगर गलत आदमी पर हथियार चले जायं तो वह पुलिस के लिये एक सर दर्द हो जाता है। वैसे मैं समझता हूं कि विलेज डिफेन्स सोसाइटीज बहुत अच्छी योजना है और सारे सूबे में चलाने की हम सोच रहे हैं, बशर्ते कि समय मिल जाय।

नियम ५२ के अन्तर्गत मुरादाबाद में साम्प्रदायिक झगड़े के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब श्री गोविन्दसिंह विष्ट द्वारा उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—माननीय गोविन्द सिंह जी विष्ट जो नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न प्रस्तुत किया है उसमें इस बात के लिये कहा गया था कि मुरादाबाद में झगड़ा हुआ। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि मुरादाबाद के झगड़े का सम्बन्ध ईद के त्योहार से नहीं था। वास्तविक स्थिति उस सम्बन्ध में यह है कि १७-३-१९६१ की रात के करीब साढ़े आठ बजे एक व्यक्ति, जिसका नाम सूरज प्रकाश था, और जो पंजाब का विस्थापित शरणार्थी था और मुरादाबाद में पीतल के बर्तनों का व्यापारी था, दूसरे व्यक्ति अब्दुल हमीद के मकान

[श्री चरणसिंह]

पर अपना रुपया वसूल करने के लिये गया। अब्दुल हमीद उस समय अपने मकान पर मौजूद नहीं था और न उसका कार्कुन ही मौजूद था। एक व्यक्ति सुल्तान अहमद, कार्कुन का भाई हबीदुर्रहमान तथा एक अन्य व्यक्ति उसको वहां पर मिले। सूरज प्रकाश अब्दुल हमीद के मकान पर उसके कार्कून के आने की प्रतीक्षा में बैठ गया। इसी बीच में सुल्तान अहमद बाहर गया और थोड़ी देर बाद ही छुपे-छुपे अन्दर आकर उसने करीब से सूरज प्रकाश की पीठ पर गोली चलाई। यह भी कहा जाता है कि दो अन्य व्यक्तियों ने भी सूरज प्रकाश पर चाकुओं से हमला किया। सूरज प्रकाश अस्पताल लाया गया। रात के करीब साढ़े नौ बजे भारतीय दंड विधान की धारा १४८/३०७ के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की गयी। उसको इलाज के लिये अस्पताल भेजा गया। एफ० आई० आर० में ५ मुलजिमों के नाम दिये गये हैं उनमें से ४ मुलजिमों को पुलिस ने १८-३-६१ को सुबह तक गिरफ्तार किया। उनमें सुल्तान अहमद भी शामिल है जिसने सूरज प्रकाश पर गोली चलायी थी।

इस घटना की सूचना पब्लिक को १८-३-६१ को सबेरे मिली और कुछ व्यक्तियों ने इस घटना को साम्प्रदायिक रूप देने की चेष्टा की और साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारा और बाजार की दूकानें बन्द हुईं। इसके बाद ३ छुरेबाजी की घटनायें स्टेशन रोड पर हुईं। धारा १४४ सी० आर० पी० सी० के आदेश तुरन्त लागू किये गये और साथ ही मैजिस्ट्रेट पुलिस और पी० ए० सी० शहर के विभिन्न भागों में तैनात की गयी। गश्त की पूरी व्यवस्था की गयी। १८ मार्च के शाम व रात को कोई घटना नहीं हुई।

१९ मार्च को सुबह ईद की नमाज शांतिपूर्वक पूरी हो गयी। सुबह साढ़े दस बजे के करीब सूरज प्रकाश का देहान्त हो गया और सूचना मिलते ही शहर की दूकानें बन्द हो गयीं। मृतक का शरीर और उसके सम्बन्धियों द्वारा, पुलिस की संरक्षणता में श्मशान भूमि ले जाया गया और इस दौरान में कोई घटना नहीं हुई।

छुरेबाजी की दो घटनायें उसी दिन १९-३-६१ को फिर हुईं। इस घटना में २ व्यक्तियों पर, जो दोनों मुस्लिम थे, स्टेशन रोड पर करीब ढाई बजे दिन में छुरे से प्रहार किया गया। उसमें से एक व्यक्ति की तुरन्त ही मृत्यु हो गयी। दूसरी घटना में एक व्यक्ति पर श्मशान भूमि के करीब छुरे का प्रहार किया गया और उसकी भी तुरन्त ही मृत्यु हो गयी। कुछ व्यक्तियों ने श्मशान भूमि से लौटते समय एक मूंज की चारपाई, एक तख्त व एक छोटी झोपड़ी में, जो कब्रिस्तान के खुले मैदान में थीं, आग लगा दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर आग को बुझाया। ३ अन्य छोटे-छोटे झगड़ों की रिपोर्ट भी हुई शहर के भिन्न भिन्न भागों में। पुलिस का पहरा और भी बढ़ा दिया गया और रात के दस बजे से सुबह ६ बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। बाहर से मैजिस्ट्रेट और पी० ए० सी० मंगायी गयी और तैनात की गयी। ३०-३-६१ को स्थिति काफी संभल गयी और कोई घटना नहीं हुई। इस दिन शहर के प्रमुख हिन्दुओं और मुसलमान नागरिकों की सभा हुई जिसमें शांति कमेटी बनाने की अपील की गयी और स्थिति में काफी सुधार हुआ। मुहल्लों में शांति कमेटियां स्थापित की गयीं। लोगों ने अपने काम पर जाना शुरू किया और बाजार भी खुला। एहतियात के लिये २०/२१ और २१/२२ की रात को भी कर्फ्यू लगाया गया।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि सूरज प्रकाश का डाइंग डिक्लेयरेशन दर्ज हुआ है या नहीं और क्या यह सही है कि वह पुलिस स्टेशन आहत होने के बाद गये थे और वहां उनकी एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की गई और उनसे कहा गया अस्पताल जाने को, तो अस्पताल में दाखिल हुये। इसके विरोध में पुलिस के रवैये पर वहां की जनता में हड़ताल हुई है?

श्री चरणसिंह—यह मुझे नहीं मालूम है कि डाइंग डिक्लेयरेशन दर्ज हुआ या नहीं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जरूर हुआ होगा। किन्तु हड़ताल होने का कारण वह नहीं है जैसा

कि माननीय सदस्य ने बताया। अगर माननीय सदय जानना चाहेंगे तो मैं पार्टी का नाम बतला दूंगा कि एक पार्टी विशेष चाहती थी कि इसे साम्प्रदायिक रूप दिया जाय और वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी होने के बावजूद भी उस दल विशेष की ओर से दूकानें बन्द कराईं गयीं, हड़ताल कराई गई और उसे साम्प्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—छुरेबाजी की जितनी घटनायें हुई हैं क्या उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके अपराधी अभी गिरफ्तार नहीं हुये हैं ?

श्री चरणसिंह—लगभग सब हो चुके हैं, ऐसी मुझे इत्तला मिली है। मुमकिन है एक आध रह गये हों।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री उस दल विशेष का नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिसने यह झगड़ा कराया ?

श्री चरणसिंह—अखिल भारतीय जनसंघ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि एफ० आई० आर० उसके हाथ की नहीं है जो मरा है और न उसके दस्तखत ही हैं और किसी से एफ० आई० आर० दर्ज नहीं कराई गई, बाद में साजिश के तौर पर एफ० आई० आर० कराई गई, पुलिस ने प्रोटेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं की जिससे झगड़ा हुआ। कांग्रेस वाले अब जनसंघ को बदनाम करने के लिये जनसंघ का नाम ले रहे हैं और पुलिस को बचाया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं ने हड़ताल कराई, दूकानें बन्द कराईं और अफसरों से यह कहा कि साहब पुलिस निष्क्रिय है जब कि मुरादाबाद के सारे हिन्दू तथा मुसलमान यह मानते हैं कि पुलिस जितना बेहतर प्रबन्ध कर सकी मुरादाबाद में वह हुआ। नमाज का जिस शन्तिपूर्वक पुलिस ने इन्तजाम कराया कदम कदम पर हर लेन तथा गली तथा ईदगाह में इसके गवाह वहां के मुसलमान साहबान हैं। अस्पताल में सूरज प्रकाश का देहान्त हो गया। उसके बाद हिन्दुओं ने यह मांग की कि यह लाश उनको दे दी जाय। पुलिस यह सोचती थी कि लाश नहीं दी जाती है तो गोली चलाना पड़ेगी हजारों आदमियों पर और उसमें महिलायें भी शामिल थीं और इस तरह से डिस्टर्बेंस हो जाता और लूट व झूंक मच जाती। लिहाजा लाश तो दे दी, लेकिन चारों तरफ से उसे बांध कर उसे श्मशान घाट तक ले गये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—एफ० आई० आर० का क्या हुआ ?

श्री चरणसिंह—एफ० आई० आर० की इत्तला नहीं है। चार आदमी गिरफ्तार हुये हैं।

श्री झारखंडे राय (जिला आमजगढ़)—नेकराम शर्मा जी के जवाब में यह बतलाया गया कि अखिल भारतीय जनसंघ वह पार्टी है, तो क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस दल विशेष की स्थानीय शाखा के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—अब, अध्यक्ष महोदय, हमारा देश तो जनतंत्र है। उसमें जो माननीय मित्र सवाल कर रहे हैं और जिन माननीय मित्र ने नियम ५२ का तकाजा किया है उन दोनों की पार्टियों से कम से कम हमको बहुत बड़ी-बड़ी शिकायतें रहती हैं, लेकिन करें क्या।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अभी माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि वहां के जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यह कहा था कि यह जो हड़ताल हुई है यह पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ हुई है। यदि यह बात सही है तो मंत्री महोदय यह किस रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं कि जनसंघ ने साम्प्रदायिक दंगा कराया ?

श्री चरणसिंह—जिलाधीश, मुरादाबाद की रिपोर्ट पर।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—जो वहां के जनसंघ के लोगों ने यह सीधा सीधा आरोप लगाया कि पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ हड़ताल है, तो क्या मंत्री महोदय ने इसके बारे में भी जानने का कष्ट किया ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह आरोप लगाया गया कि पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह कहा कि रात में पांच मुलजिमों में से चार गिरफ्तार हो गये। फिर माननीय मित्र के मित्रों की ओर से कहा गया कि तलाशी नहीं ली गई। तो पुलिस की तरफ से यह बताया गया कि तलाशी ली गई, छोटे स्केल पर हुई, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुई। केवल यह निष्क्रियता पुलिस की बताई गयी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि श्री झारखंडे राय जी के प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा कि माननीय सदस्य की पार्टी से भी हमको बहुत शिकायतें हैं, तो वह क्या-क्या शिकायतें हैं और क्या उस दंगे के संबंध में भी उनकी पार्टी का हाथ था ?

श्री अध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं देता। इस प्रश्न का इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस दंगे के सिलसिले में जिन लोगों के खिलाफ १०७ की या और कार्यवाहियां की गई हैं उनमें कितने गुंडे हैं और कितने भारतीय जनसंघ के कार्यकर्त्ता ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह तफसील मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जो लोग गिरफ्तार हुये हैं या तो वे गलत आदमी हैं या गलत आदमी होने का उनके ऊपर शुबहा है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि जब यह हड़ताल हो गई तो भारतीय जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं ने लोगों से हड़ताल खुलवाई और इस तरह से उन्होंने सरकार को सहयोग दिया लेकिन यहां पर उल्टा कहा जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास तो रिपोर्ट यही है कि २० मार्च को हड़ताल दोबारा कराई गई। १९ मार्च को सब शान्ति हो गई थी। दोपहर बाद फिर हड़ताल हुई और २० मार्च को बावजूद जनसंघ के कहने के लोगों ने दुकानें खोलीं।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—माननीय मंत्री जी ने बताया कि एफ० आई० आर० से प्रकट होता है कि मारने वालों की उस व्यक्ति से कोई रंजिश नहीं थी। क्या गृह मंत्री जी ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि फिर उस व्यक्ति को क्यों मारा गया ?

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कहीं यह नहीं कहा कि एफ० आई० आर० से यह मालूम होता है कि रंजिश नहीं थी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन रंजिश हो या न हो, जुर्म में तो कोई कमी नहीं आती है, और उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री नेकराम शर्मा—आजादी मिलने के १४–१५ वर्ष बाद भी इस तरह के दंगे हों इस संबंध में माननीय गृह मंत्री क्या यह विचार कर रहे हैं कि कोई ऐसा कानून बनाये जिससे ये दंगे हमेशा के लिये रोक दिये जायं ?

श्री चरणसिंह—माननीय मित्र ने जो प्रश्न उठाया है वह कानून का इतना नहीं है जितना कि हमारे दिलों का है और दिलों पर कानून से काबू नहीं पाया जा सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मंत्री जी ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की इस रिपोर्ट पर ही उनकी जानकारी है कि अखिल भारतीय जनसंघ ने यह दंगा कराया, तो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किस पार्टी को बिलांग करते हैं, क्या ये कांग्रेस के हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजात नहीं देता।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मंत्री जी ने यह बताया है कि एफ० आई० आर० का जो प्रश्न है उसकी उनको विशेष जानकारी नहीं है तो क्या वह इसकी विशेष जांच करके पूरी रिपोर्ट सदन के सामने रखेंगे, तब कोई निश्चय करेंगे ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं कोई मजीद तहकीकात कराने की जरूरत नहीं समझता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब यह समाप्त किया जाता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, गलत आरोप लगाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—मैंने इसीलिये आपकी पार्टी के लोगों को ज्यादा मौका प्रश्नों का दिया है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, सफाई नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष—इंक्वायरी के बाद हो सकती है।

श्री राजनारायण—इंक्वायरी के बाद भी नहीं हो पायेगी।

श्री अध्यक्ष—अच्छा।

१९६१–६२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद जारी होगा। कल माननीय रामचन्द्र विकल अपना भाषण दे रहे थे। वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

***श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, कल मैं इस सामान्य वाद-विवाद के संबंध में किसानों की कुछ कठिनाइयों की चर्चा कर रहा था और मैं अर्ज कर रहा था गाजियाबाद में बने हुये मास्टर प्लान के संबंध में जिसमें ग्रीन पार्क के लिये बहुत सी जमीन छोड़ी गई है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा खयाल है कि सरकार की बहुत सी योजनाओं के लिये जमीन ले ली जाती है और वह योजनायें चालू नहीं होती तो व्यक्तिगत लोगों को जमीनें मिल जाती हैं। इसके संबंध में एक सरकारी कमेटी गई हुई है। मेरा विश्वास यह है कि यह प्लान कई दफा बना और बिगड़ा है। इसमें टाउन प्लानर भी हैं। किन्हीं विशेष कारणों से बड़े लोगों की जमीनों को छोड़ दिया गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि विधान सभा की एक सर्वदलीय समिति बनाई जाय और किसानों की गम्भीर स्थिति को देखा जाय क्योंकि सरकारी कमेटी से किसानों को आश्वासन नहीं हुआ कि यह प्लान में कोई परिवर्तन करेगी।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार अन्न संकट को समझते हुये भी किसानों की जमीन लापरवाही से ले रही है और यह सही बात है कि आजादी के साथ इस प्रदेश में पार्क बहुत बन गये हैं। मेरा खयाल यह है कि अन्न की समस्या एटम बम से भी अधिक खतरनाक है।

---

†१७ मार्च, १९६१ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामचन्द्र विकल]

बंगाल में अन्न की वजह से ही ३५ लाख लोग भूख से मर गये । अगर हम किसानों की जमीन के साथ इस तरह से खिलवाड़ करेंगे तो यह समस्या हल नहीं हो सकती है और आज किसान सचमुच में तंग आ चुका है । मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आबादी इसी तरह से बढ़ती रहे तो ग्रीन पार्क तो क्या आपको श्मशान और कब्रिस्तान के लिये भी सोचना पड़ेगा कि कम से कम जमीन इस्तेमाल करें । लेकिन आज जिनका खेती से वास्ता नहीं है, चाहे कर्मचारी हों या मंत्री हों, वह किसानों की तकलीफ को समझ नहीं पाते हैं । लिहाजा सरकार को इधर ध्यान देना होगा ।

मैं कल आदर्श फार्मों की चर्चा कर रहा था जो हर ब्लाक में बनाये जा रहे हैं । उनके संबंध में किसानों को आशंका पैदा हो गई है मैं उसको खास तौर से कृषि मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं । किसान यह कहते हैं कि जितनी जमीन हो वह एक दफा ले लो, धीरे-धीरे हमें क्यों कत्ल कर रहे हो और होटल वगैरह खुलवाने हों खोलें, हम तैयार बैठे हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि आज किसानों को आशंका उत्पन्न हो गई है । इसलिये सरकार को इस पर सोचना चाहिये ।

मुझे एक बात ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के संबंध में कहनी है । मेरे दुर्भाग्य से इस समय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मौजूद नहीं है । सरकार प्राइवेट आपरेटर्स को समाप्त करना चाहती है । लेकिन न तो वह राष्ट्रीयकरण की नीति को पूर्ण रूप से करना चाहती है और न बन्द ही करना चाहती है । दिल्ली से सहारनपुर तक एक जगह प्राइवेट आपरेटर्स को दी गई है । एक शहादरा सहारनपुर रेलवे लाइन है । लोगों को प्राइवेट आपरेटर्स की बस में आराम मिलता है । पांच घंटे में दिल्ली से सहारनपुर पहुंच जाते हैं । लेकिन सरकार उन पर बराबर पाबन्दियां लगाती चली जा रही है । मैं नहीं कहता कि राष्ट्रीयकरण न हो लेकिन वह बेचारे चलाते हैं तब उन पर इतनी ज्यादा पाबन्दियां नहीं लगानी चाहिये । रोडवेज और प्राइवेट आपरेटर्स की बसों में यह फर्क है कि वहां प्राइवेट आपरेटर्स खुशामद करते हैं और यहां जनता को खुशामद करनी पड़ती है । इस तरह के टिकट दिये जाते हैं, इस तरह से अंग्रेजी में लिखा रहता है कि वह बेचारा जान ही नहीं पाता कि किस बस का टिकट है । ज्यादातर तूफान और मेल बसें चलतीं हैं, जिससे बीच की सवारियां पड़ी रह जाती हैं । सरकार को उधर ध्यान देना चाहिये ।

मुझे एक और निवेदन अस्पतालों के संबंध में करना है । अस्पताल बने हैं लेकिन रोज चर्चा होती है कि डाक्टरों की कमी है । मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि जो थोड़े दिन भी होम्योपैथी की ट्रेनिंग पा लेते हैं, वह डाक्टरी का काम कर सकते हैं । अगर सरकार होम्योपैथ डाक्टर अस्पतालों में भेज दे तो जनता को बड़ी सुविधा मिल सकती है । होम्योपैथ डाक्टर जितने बढ़ाये जा सकें उतने बढ़ाने चाहिये ।

जरा सा मुझे पंचायत राज के संबंध में कहना है । गांवों में पंचायतों के चुनाव के परिणामस्वरूप बड़ी दलबन्दी हुई है, और मुकदमेबाजी बढ़ी है । एक बात कही जाती है कि हम जनतन्त्र की ट्रेनिंग दे रहे हैं । मेरा अपना खयाल है कि गांवों में जनतन्त्र की ट्रेनिंग उसी सीमा तक देनी चाहिये जिस सीमा तक गांवों का जीवन सुखी रह सके, क्योंकि हम जितने काम करते हैं वह इसीलिये करते हैं कि लोग सुखी और समृद्ध हों । अगर पंचायत के चुनावों से दलबन्दी होकर जीवन में परेशानी आती है तो सरकार को सोचना चाहिये कि उन नियमों में परिवर्तन करे, चाहे जनतन्त्र की ट्रेनिंग कुछ धीरे-धीरे दें, क्योंकि जनतन्त्र की ट्रेनिंग कुछ ऊंचे दर्जे के लोगों से आती है और मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि जो बहुत ऊंचे स्तर के लोग हैं उनमें भी जनतन्त्र के प्रति उतनी उदारता नहीं है कि वह अपने विरोधियों को बर्दाश्त कर सकें । फिर गांव के आदमी आमने सामने रोज बैठते हैं, वह उस रंजिश को भूल नहीं पाते । गांवों में झगड़े बढ़ रहे हैं । सरकार को इस तरफ जरूर सोचना चाहिये ।

*राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, कुछ कहने के पहले माननीय चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, उस विषय में एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। मुझे दुख है कि चौधरी साहब एक स्टेटमेंट देकर चल दिये और इतनी भी कृपा नहीं की कि उसका उत्तर भी सुन लेते।

श्री अध्यक्ष---उनको मालूम नहीं था कि आप बोलने वाले हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मैं समझता हूं कि आप की ही ऐसा व्यवस्था है कि जब कोई विशेष डिबेट होता है तो मंत्रिमंडल के लोगों को यहां रहना चाहिये। उस व्यवस्था का सीमोल्लंघन अनभिज्ञता के बहाने से किया जाय तो यह उचित नहीं होगा।

उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दो बातें स्वीकार की हैं---पुलिस की अकर्मण्यता के कारण हड़ताल हुई, यह बात उन्होंने सीधे स्वीकार की और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एफ० आई० आर० के बारे में उनको सूचना नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि चौधरी साहब जैसे प्रामाणिक और बुद्धिमान व्यक्ति इस छोटे स्तर की राजनीति पर उतर आये कि जो मुख्य आधार है, पुलिस की निष्क्रियता और एफ० आई० आर०, उसका ज्ञान न रखते हुये किसी दल विशेष के ऊपर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाये। यह बड़ी छोटी बात है। दुख की बात है और फिर चौधरी साहब जैसे आदमी ऐसी बात करें यह और भी दुख की बात है। इसके विपरीत मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि देश के अन्दर साम्प्रदायिकता बढ़ाई है तो इस दल ने बढ़ाई है। केरल में मुस्लिम लीग से गठबन्धन इस दल ने किया है। साम्प्रदायिकता के आधार पर भाषा के प्रश्न को लेकर एक विशेष प्रकार की साम्प्रदायिक भावना को बढ़ाने की जिम्मेदारी इस दल के ऊपर है। आज जो इस प्रान्त के सुरक्षा मंत्री बने बैठे हैं उनको शायद इस बात का पता भी नहीं है कि अजमेर से सुल्तान-उल-हिन्द सर्विस के नाम से यह लिफाफा छपना शुरू हुआ है "आन दि सर्विस आफ दी किंग आफ इंडिया, आर० एस० वी० पी० दीवान एस० सौलत हुसेन अली खां, सज्जादा नशीं, हजूर गारिब, नवाब अजमेर।" इस प्रकार के लिफाफे लोगों के पास जाने शुरू हो गये हैं जिसकी सूचना भी हमारे प्रान्त के सुरक्षा मंत्री को और उनकी सी०आई०डी० को नहीं है और दूसरी तरफ वह जनसंघ को साम्प्रदायिकता फैलाने वाला कहते हैं। क्या उन्होंने कदम उठाया है इस प्रकार की साम्प्रदायिकता को रोकने के लिये जिसके कि प्रचार का माध्यम पोस्ट आफिस बना हुआ है? मध्य प्रदेश में एक माझी बेचारे ने कह दिया कि मैं प्रधान मंत्री हूं तो लैसे मैजेस्टी के आधार पर उसे सजा हो गई और यहां किंग आफ इंडिया बन रहे हैं, लैसे मैजेस्टी की कौन कहे, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो ऐसे मनुष्य यह कहें कि जनसंघ ने दंगा कराया यह बड़े आश्चर्य की बात है और दुख की बात है और मैं समझता हूं कि राजनीतिक लिप्सा के कारण इस प्रकार की बात कही जाती है। खैर, उसके लिये अवसर पुलिस बजट का होगा। ज्यादा डीटेल्स में इस समय मैं नहीं जाऊंगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने अपने भाषण में जो पहला वाक्य प्रयोग किया है वह यह है कि इस बजट में हमें नई नीतियां अपनानी होंगी, विशेषकर जिनका संबंध अगले पांच वर्षों में राज्य में होने वाले विकास कार्यों से हो। तो मैं आशा करता था कि नयी नीतियां आयेंगी, कुछ नयी बातें कहीं जायेंगी, नई नीतियों के प्रतिपादन के पीछे जो सिद्धान्त होंगे वह कहे जायेंगे। लेकिन सारे बजट भाषण में ऐसी एक भी चीज नहीं आई और वह पूरा भाषण एक एकाउन्टेन्ट जनरल या हेड एकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट मात्र है। वह रिपोर्ट भी इसलिये है कि हमें टैक्स लगाना है। घाटे की बात कही गई और एकोनामी की बात कही गई। अच्छी बात है, मैं मानता हूं कि एकोनामी होनी चाहिये। लेकिन जहां वास्तव में एकोनामी होनी चाहिये उस ओर दृष्टि नहीं गई। मिनिस्टर्स डिस्क्रीशनरी फंड ले लीजिये। वह एक ऐसा फंड है जो सदन से पास तो जरूर होता है लेकिन उसकी कोई आडिटिंग नहीं होती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

मुझे दुख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित नहीं है । मैं उन्हीं के भाषण का प्रमाण देता हूं । उन्होंने एक भाषण दिया जो कि अखबारों में निकला । मैं नहीं जानता कि अखबार वालों ने सही रिपोर्ट किया या गलत रिपोर्ट किया लेकिन उनका भाषण इस प्रकार अखबारों में आया कि उन्होंने यह कहा कि ६७ फीसदी डिस्क्रीशनरी फंड भूतपूर्व मंत्रिमंडल ने अनियमित ढंग से खर्च कर दिया । दरख्वास्तों की जांच नहीं की गई, पेमेंट कर दिया गया, अन्धाधुन्ध हुआ । अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिलेगा ? टैक्स पेयर के पैसे का इस तरह दुरुपयोग किया गया । इसी पार्टी के एक मंत्रिमंडल ने इस तरह खर्च किया और दूसरे मंत्रिमंडल ने उस पर आरोप लगाया । तो क्यों नहीं उसको रोका गया ? इंग्लैंड के पार्लियामेंट में डिस्क्रीशनरी फंड नाम की कोई चीज नहीं है । यह डिस्क्रीशनरी फंड का सारा रुपया पोलीटिकल पैट्रोनेज के काम आता है । क्यों नहीं, उसे बन्द किया जाता है ? वह श्रीमन्, अगर बन्द कर दिया जाय तो काफी पैसे की बचत हो सकती है । एक सुझाव की दृष्टि से मैं यह कहता हूं कि सरकार उस पर जरा विचार करे । लेकिन सरकार ऐसे ठोस कार्य करने को तैयार नहीं जिससे कि ५२ लाख रुपये आसानी से बच सकते हैं । वह केवल ढिंढोरा पीटना चाहती है जो केवल एक शब्दजाल और भ्रमजाल मात्र है । उसकी निस्बत कोई ठोस कदम वह नहीं उठाना चाहती । मिनिस्टर्स डिस्क्रीशनरी फंड बन्द किया जाना चाहिये ।

दूसरे इसके विभाग हैं---भारत सेवक समाज, समाज कल्याण, साधु समाज । आज तक तो मैं यही समझता था कि साधु, मनुष्य अपनी वृत्ति से होता है लेकिन अब मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार के भी बनाये हुये साधु होते हैं । श्रीमन्, यह सारे विभाग क्या करते हैं ? यह समाज-कल्याण क्या करता है ? अगर मैं बहुत मोटे शब्दों में कहूं तो यह कांग्रेस कल्याण है । इसके जितने अधिकारी और प्रेसीडेंट हैं वह ज्यादातर हारे हुये कांग्रेस राजनीतिज्ञ हैं जिनको कि कहीं स्थान नहीं मिला । केवल पोलीटिकल पैट्रोनेज का स्थान हो गया है । इनकी जीप गाड़ियों का प्रयोग केवल पार्टी हित में किया जाता है । क्यों नहीं इनको बन्द किया जाता ? इससे करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है ।

मैं एक और सुझाव दूं । आपके मुख्य मंत्री महोदय ने भाषण दिया था कि मैं ब्यूरोक्रेसी पर विजय पाने आया हूं । भूतपूर्व मंत्रिमंडल पर यह आरोप लगाया था कि वह मंत्रिमंडल नगण्य हो गया है और ब्यूरोक्रेसी मुख्य हो गई है । आशा थी कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर यह कंट्रोल लगायेंगे उसका नमूना यह है कि २।।, २।। और ३, ३ हजार वेतन पाने वाले अफसर गर्मियों के दिनों में रिसेस के लिये महीने दो महीने के लिये नैनीताल जाते हैं । उनके पी० ए०, डी० ए०, टी० ए० सभी लवाजमात का इंतजाम उनके लिये होता है । अगर यह अंग्रेजों के वक्त में होता तो मैं गनीमत समझ सकता था, किन्तु हम सब तो इसी देश में पैदा हुये हैं । अफसर होने के पहले इसी देश में गर्मियों में पढ़ते और रहते थे किन्तु अफसर होने के बाद कौन सी बात पैदा हो गई जिससे गर्मियों में काम करने के लिये नैनीताल में रिसेस के लिये जाना पड़ता है । क्यों नहीं इसको बन्द किया जाता ? इसको बन्द कीजिये और पैसा बचाइये । आप बचत दिखाते हैं चपरासी की संख्या को काटकर । २,४ चपरासी घटाने से आपकी क्या बचत होगी ? यह तो बचत का ढोंग खड़ा किया जाता है ।

मैं अब तीसरा बचत का उदाहरण दूं । यह जो स्पेशल पे दी जाती है आफिसरों को इसका क्या अर्थ है ? डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल पे है और यहां सेक्रेटेरियट में भी स्पेशल पे है । उसमें ऐसा क्या विशेष कार्यक्रम बढ़ गया या विशेष कार्य भार बढ़ गया जिससे स्पेशल पे की आवश्यकता पड़ गई ? एक आदमी २ हजार बेसिक सैलरी पाता है और उसी आदमी को २५० और ३५० रुपया स्पेशल पे मिलती है । क्यों नहीं इस स्पेशल पे को बन्द किया जाता ? मैं किसी टैक्नीकल आदमी के लिये स्पेशल पे की बात समझ सकता हूं, लेकिन साधारण प्रशासन के अन्दर इस विशेष वेतन का क्या स्थान है ? यह जो २।। और ३ हजार रुपये वेतन पाने वाले व्यक्ति हैं उनको यदि स्पेशल पे दी जाती है तो इससे एक और दोष उत्पन्न होता है । यदि कुछ अफसरों

को स्पेशल पे दी जाती है तो जिनका सम्बन्ध जनता से है उन आफिसर्स में ग्रुपिंग शुरू हो जाती है। उस ग्रुपिंग का परिणाम यह होता है कि एक क्लिक उनमें बन जाती है। जब प्रशासन के अन्दर एक क्लिक बन जाती है तो वह प्रशासन नष्ट हो जाता है। राज्य का शुद्ध रूप नहीं रहता है और वह प्रशासन ऊपर के इशारे पर नाचना शुरू कर देता है। इसलिये जिस समय प्रशासन का यह रूप खड़ा हो जाता है तो वह प्रशासन भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट प्रशासन समाज का उत्थान नहीं कर सकता है, न करेगा और न किया है। इसलिये प्रशासन की भ्रष्टता को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि स्पेशल पे को रोकें।

श्रीमन्, मैं आशा करता था कि जहां पर ऐसी नीति का प्रवर्तन हो कि कुछ इकोनामी कर रहे हों वहां पर कुछ प्रशासकों की संख्या को घटाया जायगा परन्तु, इस बजट में उनको बढ़ाया गया है। यह कौन सी इकोनामी है। यह फाल्स इकोनामी है। उस इकोनामी के साथ दूसरी चीज आवश्यक यह है कि प्रशासन के अन्दर करप्शन नहीं होना चाहिये किन्तु वह अब बढ़ गया है। मैं सोचता था कि वित्त मंत्री महोदय कुछ प्रकाश अपने भाषण में डालेंगे परन्तु उन्होंने भी कुछ नहीं इस सम्बन्ध में कहा। तो अंग्रेजी में जिसको फार्मल हाबनोबलिंग कहते हैं वही बात कहकर रह गये। उसको मिटाने की दृष्टि से कोई बात नहीं कही गई।

अब मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखूं ऐसे विभाग के सम्बन्ध में जो बहुत ही पवित्र विभाग है और जिसके अन्दर बेसिक पुस्तकों का प्रकाशन होता है। उसके लिये यह जी० ओ० था कि अन्तरिम जिला परिषद् के अन्दर कम्पलसरी और नान कम्पलसरी रीडिंग के वास्ते पुस्तकों का सेलेक्शन एक कमेटी करेगी परन्तु जब से यह मंत्रिमंडल पधारा है तो उसने ३६ हजार बेसिक स्कूलों के सम्बन्ध में जो जी० ओ० था उसको बदल डाला और उसको बदलने के लिये एक मीटिंग बुलाई गई और कुछ मेम्बर्स भी नामिनेट कर दिये गये और उस मीटिंग में कुछ सरकारी अधिकारी भी थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता और उनके साथ कुछ बाहर के लोग भी थे। मीटिंग होती है, सरकारी अधिकारी मीटिंग में इकट्ठा होते हैं और वह भी सेक्रेटेरियट में नहीं, एक विशेष स्थान पर। मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता, अगर आप आज्ञा देंगे तो नाम बतला दूंगा। जो नान आफिशियल मेम्बर्स हैं उनको इस मीटिंग की सूचना तक नहीं मिलती कि मीटिंग होने वाली है। मेरे पास इसका प्रमाण रखा है। उन सदस्य महोदय ने लिख कर दिया है कि फरवरी में कोई मीटिंग हुई और उसके विषय में मैं पूर्णतया अनभिज्ञ हूं। उसकी मुझे कोई सूचना नहीं है। यह इन राइटिंग मौजूद है। मीटिंग होती है उसमें किताबें छापी जाती हैं। ५२ किताबें छापी गयीं और उसमें २० किताबें एक ही व्यक्ति को एक ही प्रेस को दी गयीं। उस कमेटी के अध्यक्ष की श्रीमती जी की लिखित किताबें ली गयीं और प्रकाशक हैं जीवन शिक्षा प्रकाशन, बुलानाला, वाराणासी। इसके स्वामी सर्वोदय प्रकाशन के भी स्वामी हैं और इसका सबूत मेरे पास मौजूद है। इन सज्जन ने एक जगह कंट्रेक्ट किया और उसकी नकल भी मेरे पास है। सर्वोदय प्रकाशन को तरुण भाई सहर्ष स्वीकार करते हैं इंडिविजुअल प्रेसेज के नाम पर। एक ही व्यक्ति के दोनों प्रेस और ७ लाख में साढ़े तीन लाख की पुस्तकों का आर्डर केवल एक व्यक्ति को दिया गया। इसके लिये कई लोग मुख्य मंत्री जी के पास और चीफ सेक्रेटरी महोदय के पास गये, लिखित प्रमाण भेजे, और अगर आप आज्ञा दें तो चीफ सेक्रेटरी को जो पत्र गया है उसका एक अंश मैं पढ़ कर सुना दूं। वह अंग्रेजी में इस प्रकार है:

"The selection of these books and magazines is entrusted to a small committee of official and non-official members. This year the only non-official male member of the Committee was its chairman, namely Sri Achya Kumar *alias* Karan Bhai of Varanasi, who is also concerned with the business of publishing books. His wife is an author whose books are also included in the list of compulsory books and the publisher of these books is Sarvodaya Sahitya Prakashan, Varanasi, whose proprietor is Sri Kanhiya Singh *alias* Tarun Bhai of Varanasi whose as many as 20 books have been included in the compulsory list this year. The initial mistake was that the Committee did not invite any books for its consideration, nor did it issue any notification

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

on the subject as should and is generally done in such cases. Only a few publishers and book-sellers who were in close touch with the matter submitted their books which were put up before the so called Committee."

सीधा सीधा लांछन है, सरकारी अधिकारियों के लिये भी लांछन लगाया गया है इस पत्र में। और श्रीमन्, यह जो २० पुस्तकें ली गयी हैं वे जीवन शिक्षा नाम की जो मैगजीन निकलती है उसके लेखों का संग्रह मात्र हैं। पहले बजट पर बोलते समय मैंने कहा था कि वह मैगजीन छपी नहीं, लेकिन शिक्षा विभाग ने उसे कोर्स में लेकर कंपल्सरी कर दिया। उसी में समय समय पर जो लेख छपे हैं उन्हीं का संग्रह वे २० पुस्तकें हैं और यह सब एक व्यक्ति को मालामाल करने की दृष्टि से सरकार ने किया है। यह आरोप मैं नहीं लगाता, उन्हीं की पार्टी के ग्रामवासी जी, जो मिर्जापुर के हैं, उन्होंने स्वयं गृह मंत्री जी को लिखित भेजा। उनका पत्र भी मेरे पास है। मैं उस चिट्ठी को भी पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप इस तरह से सब चिट्ठियों को नहीं पढ़ सकते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मैं उसे नहीं पढ़ूंगा। किन्तु यह ठीक है कि उन्होंने भी इस बात की शिकायत माननीय मुख्य मंत्री जी से लिख कर की। माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर भी उनको मिला कि वे इसकी जांच करायेंगे, मगर, श्रीमन्, उसकी आज तक जांच नहीं हुई। अब जांच करने से क्या लाभ होगा जब उसका सारा पेमेंट कर दिया गया है, आर्डर्स भी प्लेस कर दिये गये हैं। इसके अन्दर एक सरकारी अधिकारी भी हैं जो स्वयं उसके सदस्य भी हैं। वे सरकार के विशेष पदाधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के, उत्तर प्रदेश, प्रयाग के। उसी पब्लिशर के यहां यह पुस्तिका छपी है। चीफ सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा कि यह जो प्रकाशन मंडल के प्रतिनिधि हैं वे इनके सम्बन्धी हैं। मेरा श्रीमन्, यह आरोप है इस सरकार पर कि इस तरह से रुपया देकर सरकारी पैसे से इन्डाइरेक्ट तरीके से मुनाफा कमाया जाता है। श्रीमन्, जो मूंधड़ा कांड देहली में हुआ था, अगर इस केस की जांच कराई जाय, तो यह केस उस कांड से भी भयंकर कांड सिद्ध होगा। इसलिये मैं चाहता हूं और आपके द्वारा इस सरकार से निवेदन करूंगा कि यह सरकार उसकी ओपेन इन्क्वायरी कराये, जुडीशियल जांच कराये। मैं यह नहीं कहता कि माननीय मंत्री जी का इसमें हाथ है, किन्तु इसकी जांच जरूर होनी चाहिये....

श्री अध्यक्ष---आपने यह नहीं बताया कि मीटिंग किस तारीख को हुई।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---आप आज्ञा दें तो मैं सारे फैक्ट्स आपके पास भेज दूं। मेरे पास सब फैक्ट्स फाइल में हैं। तारीख भी देख कर बताता हूं। श्रीमन्, इस समिति की बैठक २४ और २६ जनवरी, १९६१ को हुई थी। अगर इसकी इन्क्वायरी हो तो मैं सारे फैक्ट्स उसके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं।

एक बात मैं प्लानिंग विभाग के सिलसिले में जरूर कहना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उन सबका एक्जीक्यूशन एक जगह से क्यों नहीं किया जाता? जो आंकड़े हैं वे रेवेन्यू विभाग द्वारा भी एकत्र किये जाते हैं और प्लानिंग विभाग अलग से भी करता है। जो रेवेन्यू विभाग के आंकड़े हैं उन पर ही सारा काम क्यों नहीं किया जाता? वह आंकड़े प्लानिंग कमीशन तक को भेजे जाते हैं और उन्हीं के आधार पर सारी योजनायें तैयार की जाती हैं। इसलिये जो आंकड़े इकट्ठा करने का कार्य है वह एक ही विभाग के द्वारा क्यों नहीं होता, अलग-अलग विभाग के द्वारा क्यों होता है? उनका एक्जीक्यूशन एक ही विभाग से होना चाहिये। इस तरह से यह डुप्लीकेशन आफ वर्क तो होता ही है साथ ही कार्य में विलम्ब भी होता है, रेडटेपिज्म भी बढ़ता है और फिजूल खर्ची भी होती है। तो सरकार को इस डुप्लीकेशन आफ वर्क को रोकना चाहिये। अगर वास्तव में सरकार कोई इकोनामी करना चाहती है तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एक बात मैं श्रीमन्, प्रशासन के बारे में भी कहना चाहता हूं। एज लिमिट के बारे में बड़ा हल्ला मचाया जाता है। कभी ५८ वर्ष की आयु रखी जाती है, कभी ५५ साल की की जाती है। मैं यह नहीं कहता कि ५५ हो या ५८ हो, मगर एक एज लिमिट आप एक बार तय कर दीजिये और फिर उसके बाद कोई एक्सटेंशन मत दीजिये .....।

एक सदस्य—आप कितनी चाहते हैं ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—कुछ भी हो। मैं इतना चाहता हूं कि एक क्लियर कट पालिसी आप निर्धारित करें। जो टैक्नीकल व्यक्ति हैं उनको छोड़कर आप किसी को भी एक्सटेंशन मत दीजिये यह मैं चाहता हूं। इस एक्सटेंशन के लालच में जो सत्ता के कर्णधार होते हैं, लोग उनके गुड–बुक्स में आने का प्रयत्न करते हैं, गुड–बुक्स में आने का अर्थ होता है कि उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, फिर चाहे न्याय हो या अन्याय हो। यह जो अफसरों के अन्दर दौड़ लगती है फ्लैटरी की, यह समाप्त होनी चाहिये, वरना खुशामदी अधिकारियों के द्वारा प्रशासन नहीं चल सकता। इसलिये यह आवश्यक है कि उनमें स्थैर्य हो और पूरा पता हो कि कब रिटायर होंगे। और एक्सटेंशन देना है तो स्पष्ट आ कर कहें कि हम इन कारणों से एक्सटेंशन दे रहे हैं। अगर कानफिडेंस में नहीं लेंगे तो हमारा और आपका अविश्वास चलता रहेगा। न तो यह प्रशासन के लिये सौभाग्यशाली हो सकता है, न हमारे विचारों के लिये सौभाग्यशाली हो सकता है।

श्रीमन्, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत बार कहा और रिपोर्ट्स इस प्रकार की हैं कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान में शार्ट–फाल हुआ है। बहुत सी मदों में पूरा खर्चा नहीं हो सका। सोशल सर्विस में यह हुआ है। यह क्यों हुआ ? इसका कारण यह है कि आज इस प्लानिंग के युग में अगर आप चलना चाहते हैं तो एक्जीक्यूटर को आपको काफी स्वतंत्रता देनी होगी कार्य को एक्जीक्यूट करने के लिये। आज ५ पैसे की पैंसिल खरीदने से लेकर सारे प्लानिंग की सैंक्शन के लिये हर डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्डमेंट का मुंह देखना पड़ता है। क्यों आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते हैं ? मैंने माना कि योजनाओं की सैंक्शन की पहले अच्छी तरह से छान–बीन कर ली जाय, लेकिन एक बार कोई योजना सैंक्शन होती है, निर्धारित रकम सैंक्शन होती है तो हेड आफ दि डिपार्टमेंट को पूरी पावर देनी चाहिये। सीमा निर्धारित करो, एक निश्चित रकम दे दो और कहो कि इतने समय में योजना एक्जीक्यूटिव करो, फिर अगर कोई दोष होता है तो दंड दें, लेकिन यह शार्ट–फाल की बाटिल–नेक फाइनेंस डिपार्टमेंट ही है। उसका कंट्रोल एक हद तक उचित होता है, लेकिन जब वह असीमित हो जाता है तो अनुचित लगने लगता है। आज कोई पुल बनाने की टेक्निकल योजना है, पी० डब्लू० डी० के चीफ इंजीनियर के यहां से रिपोर्ट आती है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी उसको देखते हैं और उस पर कमेंट लिखने के लिये क्लर्क को दे दी जाती है जो जांच-पड़ताल करता है। क्या वह चीफ इंजीनियर से ज्यादा क्वालिफाइड है–वह क्लर्क जिसके कमेंट्स पर सेक्रेटरी महोदय की राय का आधार होता है ? तो यह कितनी अपमानसूचक बात है कि एक विशेषज्ञ की राय पर एक क्लर्क कमेंट करे कि यह ठीक है या नहीं ? इस प्रकार रेड टेपिज्म के कारण डिले होती है। क्या सरकार ने इस ओर विचार किया है ? आज आवश्यक है कि समय पर एक्जीक्यूशन हो, पैसे का सदुपयोग हो। वह न हो कर इस रेड टेप के कारण जब ३१ मार्च आता है तो पैसे की फूंका-फूंक शुरू हो जाती है। अफसरान के हिसाब में ३१ मार्च के बाद भी हिसाब खुला रहता है और दनादन पैसा खर्च होता है। जौनपुर का मामला प्रत्यक्ष है। ट्यूब-वेल पड़े हैं, वहां गूल नहीं बने और ३१ मार्च आ गया। फिर भी लैप्स नहीं हुआ और फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी और पैसा भी निकाल लिया। तो क्या गबन होने के चांसेज नहीं हैं ? तो गबन तो होगा ही। इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। जब तक इस खामी को आप दूर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह विश्वास कर लेना कि पंचवर्षीय योजना में कोई काम पूरा नहीं हो पाया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस दृष्टि से प्लानिंग विभाग को देखने की आवश्यकता है और कार्य–

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन जब तक नहीं होता है तो यह आशा करना कि नयी नीति सफल होगी, यह आशा निर्मूल है ।

(इस समय १ बजकर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुये ।)

अब श्रीमन्, मैं सूचना विभाग की ओर आता हूं कि उसने इस वर्ष में क्या किया । सूचना विभाग का एक सिद्धांत होता है । मैं मानता हूं कि सरकारी कार्य की सूचना उचित ढंग से मिलनी चाहिये, यह सिद्धांत सत्य है, परन्तु क्या इस सिद्धांत का यही अर्थ है कि सरकारी कार्य की सूचना ठीक ढंग से मिलने के माने यह हैं कि दल विशेष और पार्टी विशेष की ही सूचना मिले । मैंने एक बार सूचना विभाग का लिखा हुआ एक लेख दिखाया था जिसमें केवल मुख्य मंत्री की आत्म वंचना थी, और कुछ नहीं । तो क्या सूचना विभाग का कार्य यही है । श्रीमन्, आपको पता है, अखबारों में भी आया और सभी जानते हैं कि सूचना विभाग के अधिकारियों में मार-पीट हुई दफ्तर में । एक ने कहा कि मेरा घोड़ा सवा सेर, दूसरे ने कहा मेरा घोड़ा डेढ़ सेर, मारो । क्या सूचना विभाग में यही काम रह गया है ? सरहद पर जो विदेशियों द्वारा प्रचार हो रहा था जिसका उल्लेख प्रधान मंत्री ने संसद में भी किया उसको रोकने के लिये सूचना विभाग ने क्या प्रयास किया ? सूचना विभाग का कार्य तो यही है कि मंत्रियों की जयजयकार करें, आत्मवंचना करें, प्रशंसा करें । उनका दूसरा काम यह है कि खुशामद करें । और तीसरा सबसे बड़ा काम उनका प्रेस को करप्ट करना है । बड़ा दुख है कि इन्फार्मेशन विभाग द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है । सरकारी एडवर्टीजमेन्ट और पेड आर्टिकिल्स द्वारा जर्नलिस्ट और प्रेस की फ्रीडम को नष्ट किया जा रहा है । प्रेस, जिसके माध्यम से हम देश की समस्त घटनाओं से परिचित होते हैं उसको सूचना विभाग करप्ट कर रहा है । आज इस विभाग को काटने-छांटने की आवश्यकता है । टैक्सपेयर का पैसा इस प्रकार से फेंका जाना अनुचित है । अगर इस दृष्टि से एकोनामी की जाती तो बात समझ में आती लेकिन सरकार ने तो टैक्स लगाने के लिये ही इस प्रकार की एकोनामी का ढोंग रचा है ।

वित्त मंत्री जी ने कहा कि सूबे की आय बढ़ गई है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने इस ओर भी विचार किया कि सूबे की पर कैपिटा इनकम घटी है, क्रयशक्ति भी घटी है और जो सेंट्रल टैक्सेज लगे उनसे जीवन की आवश्यकतायें कितनी महंगी होती जा रही हैं । इस पर उन्होंने विचार नहीं किया । उन्होंने केवल एकांगी दृष्टिकोण रखा और इसलिये रखा क्योंकि टैक्स लगाने जा रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन कैसे करते ।

श्रीमन्, आश्चर्य की बात है, वित्त मंत्री जी ने कहा कि सूबे की आय बढ़ गई । मैं उनका ध्यान रिजर्वबैंक से जो सर्वे सूबे वाइज निकलता है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के पास रिसोर्सेज कम होते हुये भी उत्तर प्रदेश उससे पिछड़ा हुआ है । मध्य प्रदेश ने अपनी इनकम ३५१ करोड़ ज्यादा बढ़ा ली । इसलिये मेरा आरोप है कि केवल टैक्स बढ़ाने के लिये ही वित्त मंत्री ने यह संकेत किया है और ८ करोड़ का घाटा बताया है । मैं उन्हीं के शब्दों को पढ़ देना चाहता हूं । वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है:-"इन तमाम उपायों से ५ करोड़ २१ लाख रुपये की आमदनी होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन फिर भी लगभग ३ करोड़ २९ लाख रुपयों की कमी रह जायगी । इस कमी को अभी मैं यों ही रहने देना चाहता हूं ।" उनके इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि वह भविष्य में टैक्स लगायेंगे और टैक्स लगा कर सिंचाई के पानी की दर बढ़ा देना चाहती है जिसके कारण अन्न की महंगाई बढ़ सकती है । इसके अतिरिक्त अन्न के मंहगे होने की एक संभावना और हो सकती है वह यह कि एक तो यों ही सूबे का किसान सिंचाई के साधनों का उपयोग नहीं कर पाता है अगर उसने इस कर के कारण प्रयोग और न किया तो महंगाई और भी बढ़ सकती है । इसलिये इस टैक्स को लगाना जानबूझ कर जन जीवन के साथ खिलवाड़ करना है ।

एक बात के लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को अवश्य बधाई दूंगा क्योंकि वे बड़े स्पष्ट वक्ता हैं। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि इस सूबे में शराब की खपत अधिक हो गयी है, इसलिये उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने यह बता दिया कि यह सूबा ड्रंकर्ड्स के लिये पैरेडाइज है। लेकिन क्या यह गौरव की बात है? एक ओर तो आप प्राहीबीशन करते हैं और दूसरी तरफ़ आप स्वीकार करते हैं कि शराबखोरी बढ़ रही है। यह शराबखोरी के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पुलिस के लिये यह भ्रष्टाचार का एक माध्यम हो गया है। इस प्रकार की जितनी रोकें लगायी जायंगी उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अगर इस प्रकार का प्राहीबीशन, जैसा कि आप कर रहे हैं असफल रहा है तो आप इस पर विचार कीजिये। क्योंकि कानून की वजह से, बिना मारल बनाये, यह हो नहीं सकता। इसके लिये लोगों को आपको नैतिकता की शिक्षा देनी होगी, समाज के अन्दर ऐसा वातावरण आपको बनाना होगा जिससे लोग स्वयं इससे घृणा करें। अतः इस प्रश्न पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

अधिष्ठाता महोदय, अब मैं सुरक्षा की ओर आता हूं। वास्तव में सुरक्षा राज्य का एक बड़ा भारी अंग होती है। 'ला एन्ड आर्डर' की उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे राज्य की क्या दशा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज गृह मंत्री जी कह गये कि राज्य में कत्ल बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। उन्होंने स्वयं कहा कि उनकी रोक तो कभी हो ही नहीं सकती। इससे आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि राज्य में सुरक्षा की क्या हालत है। प्रदेश के अन्दर लोगों का जीवन खतरे में है। उनके आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सूबे में कत्ल बढ़े हैं।

मुझे गृह मंत्री जी को यह कहते हुये सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे अब इंटर प्राविन्शियल आपरेशन्स नहीं करेंगे क्योंकि वे सफल नहीं होते हैं। आप उस एरिया को फौज को देना नहीं चाहते तो क्या वहां हमेशा डाके पड़ने देना चाहते हैं? इसकी तरफ माननीय मंत्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला।

अन्त में, मैं उद्योग की ओर आता हूं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे प्रदेश में उद्योग बढ़ें लेकिन कांग्रेस सरकार की नीति सदा से सेंट्रेलाइज्ड इन्डस्ट्री की ओर रही है। अगर इन्हीं के आंकड़े को आप देखेंगे जो सरकारी पुस्तिका में दिये हुए हैं उससे मालूम होगा कि सर्टेन इंडस्ट्रीज का उत्पादन घटता गया है। जैसे कपड़े का ही प्रोडक्शन ले लें, कपड़े का दाम गलत बढ़ाया गया है उस की वजह यह रही कि आप ने यार्न के ऊपर हैवी टैक्सेशन लगा दिया। यह स्वाभाविक बात है कि प्रोडक्शन गिरेगा अगर सम्बन्धित इंडस्ट्रीज के ऊपर हैवी टैक्सेशन होगा। इसी तरह से सीमेंट का उद्योग है, जूट का उद्योग है, सब के उत्पादन में फाल हुआ है, और स्लम आया है। सरकार की तरफ से इसका कारण पावर की कमी बतलाया गया है, लेकिन श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण की पुस्तिका में केवल हैवी इंडस्ट्री के बारे में ही कहा है लेकिन इससे समस्या का हल नहीं होगा जब तक कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ाने का प्रयत्न न किया जायगा।

श्रीमन्, पावर प्रोडक्शन के आंकड़े भी मैं दे देता हूं जिससे असलियत मालूम हो जायगी। जहां १९५७–५८ में टोटल पावर प्रोडक्शन ८७,२०,०८ हजार किलोवाट हुआ वहां १९५८–५९ में ९६,५३,१२ हजार किलोवाट हुआ और १९५९–६० में १,१४,१०,८७ हजार किलोवाट हुआ जब कि टोटल उपयोग उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में १९५९–६० में केवल ८९,३६,७६ हजार किलोवाट हुआ और इस तरह से २४–२५ लाख किलोवाट बिजली बेकार हुई।

"The difference between the figures in columns 2 and 5 consists of units used up in power station auxiliaries, lost in transmission and distribution and Kilowatt-Hours unaccounted for."

तो इन शब्दों के साथ जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। केवल एक ही बात कहूंगा —

It is a tale told by a Minister full of sound and fury and signifying nothing.

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—श्रीमन्, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैंने माननीय त्रिलोकीसिंह की दलीलों और तकरीर को सुना और मुझे बड़ी प्रसन्नता है तथा मैं इस बात के लिये उनको बधाई देता हूं कि उनकी वार्ताशैली जो पढ़े-लिखे लोगों की होनी चाहिये वही रही। परन्तु जहां उन्होंने बजट को क्रीटिसाइज किया उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ।

पहली बात तो यह है कि जो बजट हमारा है वह दोषरहित है और बजट के पालिसी मैटर में भी कोई दोष नहीं है। अगर वे समझते कि इसमें दोष है तो वे उस दोष को इस सदन में बतलाते लेकिन उन्होंने इस सदन में यह नहीं बतलाया कि जो बजट रखा गया है उसकी पालिसी मैटर में कोई कमी है। अगर कोई कमी या खामी होती तो मैं समझता हूं कि माननीय विरोधी दल के नेता जैसे अनुभवशील व्यक्ति उसको बताने से हमें कभी भी बख्श नहीं सकते थे और सरकार की कमियों को क्रीटिसाइज करने में कोई कमी उठा नहीं रखते। इस प्वाइंट पर वे बिल्कुल साइलेंट रहे, इससे मैं समझता हूं कि जो हमारा बजट है वह अपने मुताल्लिक कतई दोषरहित है।

अब यह कैटलग आफ ग्रीवेंसेज की जो बात माननीय त्रिलोकीसिंह ने कही कि आज डे टुडे के ऐडमिनिस्ट्रेशन में इरेंगुलरिटी हुआ करती है, तो पहले भी होती रही है और भविष्य में भी होती रहेगी, क्योंकि इरेंगुलरिटी को दूर करने के लिये हमारे कानून में एक प्रोविजन होता है। जिसके द्वारा इरेंगुलरिटी को रेगुलराइज किया जाता है। तो यह प्रिजम्पशन है कि इरेंगुलेरिटीज तो हर एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकती हैं वर्ना इस तरह के प्राविजन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जहां तक यह कहा गया कि हमारी सरकार की तरफ़ से रुपया पैसा खर्च हुआ और विरोधी दल की ओर से कहा गया कि कदम भी उठाये गये, काम भी हुआ लेकिन वह सन्तोषजनक नहीं था, सही बात है जितना सन्तोष होना चाहिये उतना नहीं हुआ, जो आउटपुट आफ वर्क होना चाहिये था वह नहीं हुआ, कम रहा लेकिन मैं बता दूं कि वह असफलतायें जिनका जिक्र कल माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने किया था वह आरम्भ में होंगी, उनका होना अनिवार्य है। क्योंकि एक मनुष्य जो अधिक अनुभव नहीं रखता किसी काम का, और नई दिशा में नये विचार और विश्वास लेकर नये काम का बीजारोपण करता है उससे गलती होना आवश्यकीय है। वह मानव अनुभवहीन होता है और वह अनुभव कर के, सीख कर फिर गलतियों को दूर करता है। अगर हमारा काम सही दिशा में, सही बुनियाद पर आगे बढ़ा है और उसमें कुछ कमियां भी हैं तो अधिक दोष की बात नहीं है। सरकार के खिलाफ बहुत सी बातें सदन में कही जा सकती हैं केवल उस दशा में जब कि गलत तरीके से गलत दिशा में काम को शुरू किया गया हो लेकिन अगर काम सही दिशा में हुआ है और उस में असफलता भी हुई है तो मुझे विश्वास है कि हमारी आज की असफलता कल की सफलता की मां अवश्य बनेगी और वह भविष्य जो आज धुंधला नजर आता है वह चमक उठेगा। आज की असफलता के गर्भ में कल की सफलता छिपी है। इसलिये मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई गलत कदम हमारी सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है कि जिस में हमारी दिशा ही गलत रही हो।

अभी हमारे मित्र दुबे जी ने सरकार की बड़ी तीव्र आलोचना की है। वह आलोचना सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। उनकी आलोचना का टारगेट सरकारी अधिकारी और उनके कार्य रहे हैं। अगर माननीय दुबे जी जरा सुनने की कृपा करें तो वह इस बात को कबूल करेंगे कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह सही नहीं है। वह जानते हैं कि हमारी मशीनरी वही ब्यूरोक्रेसी की मशनरी है जिसकी नींव इम्पीरियलिज्म की नींव को मजबूत करने के लिये डाली गई थी, उस को अपने ध्येयों को पूरा करने के लिये बृटिश हुकूमत ने कायम किया था और उसने उस ध्येय को पूरा किया, और उसको आगे बढ़ाया और उसका विकास किया। आज उस मशीनरी से यह चाहा जाय कि वही मशीनरी डेमोक्रेसी की जरूरतों को पूरा करे यह किस तरह

मुमकिन हो सकता है ? आप की बात में तथ्य हो सकता है लेकिन यह तर्क बिल्कुल खोखला है इसमें कोई सत्य नहीं है। आप गलत मशीनरी से वह आशा किस तरह से कर सकते हैं। इसलिये यह तर्क अनसाउन्ड है और यह दलील पर नहीं टिक सकता।

कहा गया कि चोरियां, डकैतियां होती हैं, यह जुर्म होते हैं और होते रहेंगे। हम देश की फिजा को देखकर, इन्सान की फितरत को देखकर, समाज की हालत को देखकर कह सकते हैं कि जरायम का होना अनिवार्य है। जब तक सरकार, आप, हम सब मिलकर हर व्यक्ति को देश में काम नहीं देंगे, खाने पीने का जरिया नहीं देंगे तब तक यह दशा रहेगी। हमारे पूर्वजों ने कहा है "बुभुक्षता किं न करोति पापं।" हर हालत में इंसान को जिन्दा रहना चाहिये, चाहे चोरी करे, डकैती करे। जिस समाज में जन्म लिया है जिस देश में पैदा हुआ है वह उसमें किसी भी कीमत पर जिन्दा रहेगा। हमारे पूर्वजों ने बताया है कि जिन्दा रहना आवश्यक है। आप बताएं कि आप की ओर से कौन-से सुझाव हैं अनएम्पप्लायमेंट को लिक्वीडेट करने के, जिनके पास काम नहीं है उनको काम देने के। कोई स्कीम इस सदन में पेश होनी चाहिये। क्या आप ने यह तर्क दिया कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी जितने भी प्राणी हैं उत्तर प्रदेश में उनके प्रति यह है कि हर एक को शिक्षा मिले, काम मिले, रोटी मिले, मकान और कपड़ा मिले तथा छोटी-मोटीजरूरतें उनकी पूरी हों ? इसलिये मेरे लायक दोस्त ने अपने तर्क देने में महान भूलेंकी हैं जिनको कि हिमालयन ब्लंडर्स कहा जा सकता है। इस तरह के तर्क बुद्धिजीवियों के सामने नहीं टिक सकते। हमारी स्टडी कितनी खोखली है, कितनी कमजोरियां हमारे अध्ययन में हैं यह इससे पता चल जाता है। अगर आप को अटैक करना है तो सही तरीके से करिये। सही तर्क दीजिये। इस प्रकार के तर्क देने से न सरकार को कमजोर साबित किया जा सकता है और न उसकी ताकत को कम किया जा सकता है और गलत तरीके से तारीफ करने से उसकी ताकत बढ़ भी नहीं सकती है।

सही बात यह है कि यह सदन जिम्मेदार है हर समाज की समस्याओं को हल करने का। अगर वह समस्याएं हल न हों और माननीय सदस्यों की तरफ से उन समस्याओं को हल बता दिया गया तो सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित किया जा सकता है, सरकार को सतर्क किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि बताने पर भी यह सरकार कदम नहीं उठाती, सोई रहती है। परन्तु जैसा कि मेरे माननीय दोस्त ने कहा है, कुछ बातें जरूर ऐसी हैं जिनको कि नजर-अंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अभी हाल में मैं एलेक्शन में गया था जिसको दक्षिणी रानीखेत कहते हैं उस क्षेत्र में। वहां जो मैंने अवस्था देखी तो मुझे बड़ी शर्म आयी यह कहते हुये कि मैं एम० एल० ए० हूं। मैं अगर उन लगों से यह कहता कि मैं एम० एल० ए० हूं तो मुझसे अधिक नालायक सूरत न दिखाई देती वहां की जनता में। वहां कोई भी काम नहीं हुआ है। ३० मील तक नदी पर वहां कोई पुल की व्यवस्था नहीं है। एक मास्टर साहब ने जनता में कुछ उत्साह पैदा करने के लिये कुछ बातें जनता से कीं कि लड़कों को स्कूल भेजिये। लोगों ने उत्तर दिया कि जो बच्चे हैं वह खेती-बाड़ी और गाय-भैंस चराने आदि में लगा दिये हैं अब आगे जो बच्चे होंगे उन को स्कूल भेज दिया जाएगा। मास्टर साहब ने कहा कि मेरी तकदीर से तो कोई भी न पैदा हो तो अच्छा हो। तो समझ लीजिये कि एजूकेशन कितने पीछे है। प्राइमरी स्कूल एक पट्टी में मुश्किल से चार-पांच हैं जो बहुत दूर-दूर हैं जहां छोटे उम्र के बच्चे नहीं जा सकते। स्कूल की बिल्डिंग का नक्शा बिल्कुल फाल्टी है। वह नक्शा इस बात को बताता है कि मास्टर हमेशा घर जाएगा, घर खाएगा, घर ही रहेगा, वहां टिक नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई इंतजाम उस बिल्डिग में या बिल्डिग के पास नहीं किया गया है जिसके कारण कि हमारे जिले के लड़के जिस उम्र के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं मैंने उस इलाके में उनको चौथी और पांचवी क्लास में पढ़ते देखा। हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल की बात तो दूर रही।

जहां तक यातायात की बात है वहां मैंने हजारों की तादाद में स्त्रियों को मरचुला से अपनी खोपड़ी पर बड़े बड़े बोझ आनाज के ले जाते देखा जो कि रात, दिन का क्रम है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि मोटर की सड़क नहीं बनेगी।

श्री चन्द्रसिंह रावत]

अतः मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो ऐसे पिछड़े इलाके हैं उनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये अगर हम साबित करना चाहते हैं कि हम जनता के नुमाइन्दे हैं। जो साहब उस इलाके के नुमाइन्दे रहे हैं मैं दावे से कह सकता हूं कि उन्होंने उस क्षेत्र की कठिनाइयों को देखने का अधिक प्रयास नहीं किया। हो सकता है कि २, १ चिट्ठी लिख दी हों लेकिन इतने से ही काम नहीं चल सकता। जब तक कि कार्य रूप में परिणत न हो जाय तब तक सरकार के दरवाजे को खटखटाना लाजिमी है। वहाँ के नुमाइन्दों ने अधिक ध्यान उस ओर नहीं दिया।

बजट पर जो भाषण हुए उनसे मुझे संतोष है क्योंकि बजट की कमियां और खामियां सदन में नहीं रखी गईं जिससे हमारे सदस्यों को पता चल गया होता कि यह खामियां हैं। ५ लाख रुपया खर्च हुआ और ढाई लाख का काम हुआ तो यह कोई क्रिटिसिज्म नहीं है बजट का। इतना कह सकते हैं कि विजिलेंट हैं उस पैसे के मुताल्लिक जो कि आप खर्च करने को देते हैं और होना भी चाहिए।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—अधिष्ठाता महोदय, जो आय-व्यय का लेखा वित्त मंत्री जी ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है मुझे उससे संतोष नहीं है क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे प्रदेश की गरीबी और बेकारी कम होने वाली नहीं है और न यहां के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा होने वाला है और न इस बजट से हमारे प्रदेश पर आयी हुई मुसीबत का हल होने वाला है। इस बजट के बनाने वालों की क्या बात बताऊं कि इस बजट का रूप ऐसा है जैसी यह बजट की किताब है। बाहर ६१–६२ लिखा हुआ है और अन्दर लिखा है कि शिक्षा विभाग गृह मंत्री के पास, चिकित्सा विभाग न्याय मंत्री के पास और जन-स्वास्थ्य विभाग भी न्याय मंत्री के पास है, ऐसे मंत्रियों के नाम विभागों के साथ लिखे गये हैं जिनका संबंध नहीं है। तो यह केवल एक नमूना मात्र है।

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात पर जोर दिया कि हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि विकास के कार्यों में इस बजट का अधिक से अधिक रुपया खर्च होगा। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे पता चलेगा कि १९६०–६१ में डेवलपमेंट और नान-डेवलपमेंट के कामों पर कितना पैसा खर्च हुआ प्रत्येक स्टेट में। डेवलपमेंट आइटम को कहा जाता है सोशल सर्विस और नान-डेवलपमेंट को कहा जाता है सेक्योरिटी।

यू० पी० में ६२.५७ करोड़ है जो पूरे बजट का ५२ परसेंट है और नान-डेवलपमेंट आइटम्स पर ५८.४६ करोड़ है जो ४८ परसेंट है। राजस्थान में २५.८७ करोड़ जो पूरे बजट का ६० परसेंट है और नान-डेवलपमेंट आइटम्स पर १७.८५ करोड़ जो ४० परसेंट पूरे बजट का होता है। पंजाब में ३२.५६ करोड़, पूरे बजट का ६० परसेंट और नान-डेवलपमेंट पर २२.२० करोड़ जो ४६ परसेंट आता है।

उड़ीसा २६.६० करोड़, ६५ फीसदी, १२.५७ करोड़, ३२ फीसदी, केरल ३१.६९ करोड़, ६५ फीसदी, ११.९९ करोड़, ३५ फीसदी, बिहार ४३.३०, करोड़ ६१ फीसदी, २६.१० करोड़, ३९ फीसदी और आसाम २२.६२ करोड़, ६५ फीसदी, १२.२९ करोड़, ३५ फीसदी।

मान्यवर, इन आंकड़ों को देखते हुए पता चलता है कि आज उड़ीसा और केरल जैसे प्रदेश जो हमसे बहुत सी बातों में बहुत पिछड़े हुये हैं वह डेवलपमेंट आइटम्स पर ज्यादा रुपया खर्च करते हैं और नान-डेवलपमेंट आइटम्स पर कम। मैं आपके जरिये पूछना चाहता हूं कि अगर यही हालत है तो किस तरह से प्रदेश का विकास करके आप कल्याणकारी राज्य समाजवादी ढांचे से लायेंगे।

दूसरे यह भी इस बजट में कहा गया है कि ३ करोड़ ६९, लाख ८७ हजार ७ सौ रुपये बार्डर पर खर्च होंगे। मैं कहता हूं कि आपका सारा विकास रखा रह जायगा अगर हमारे बार्डर्स का सही तरीके से डिफेंस नहीं हुआ। मान्यवर, क्षमा करेंगे, कोई खेती चाहे कितनी ही उपजाऊ क्यों न हो लेकिन अगर उसके चारों तरफ घेर बाड़ नहीं होगा तो आज नहीं तो कल उसको कोई काट कर ले जायगा। आज यह सवाल नहीं है कि चीन ने हमला किया तो हमें यह कार्य करना है पर सरकार को १९५२ में आगाह किया गया था। यह सरकार की रिपोर्ट है लैन्ड आफ भोटियाज (The Land of Bhotias) उसके २० वें पेज पर लिखा है। श्री खाती जी जो कमिश्नर आफिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे :—

"The Red Star is looming large on our horizon. The inhabitants of the bordering areas are ethnically and racially one with those across the border. Bonds of blood sometimes prove strongest. The Tibetans have not yet given up their claims over the Bhot Pattis. Poverty is the biggest ally to communism and economic prosperity the greatest bulwark against it. It is against that background that an all out effort to improve the condition of the Bhotias has become an urgent necessity now."

तो मान्यवर, इसमें यह कहा गया है कि वहां पर इतनी गरीबी है और उसको दूर नहीं किया गया तो साम्यवाद से उनकी मैत्री हो सकती है। आज चीन से इस बात का प्रचार हो रहा है कि वहां चीन में स्वर्ग है और हमारे यहां नरक है। मैं इसको स्वीकार करता हूं क्योंकि आज भी ४० हजार लोग ऐसे हैं जिनके पास लैन्ड नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब सरकार को सन् ५२ में ही आगाह कर दिया गया था तो आज तक ९ साल के बाद भी इस तरफ क्यों कोई कदम नहीं उठाया गया। और रानीखेत में माननीय मुख्य मंत्री जी भाषण कर आते हैं कि हमने इतना रुपया सेंक्शन कर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी और यह सरकार सेंक्शन करने वाली कौन होती है जब तक यह सदन न कहे। इसके साथ ही जो रुपया दिया जा रहा है वह भी क्या हो रहा है। आज नैनीताल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, टनकपुर वगैरह में वही हालत है जो चमोली में हालत है। किस अधिकारी के सुझाव पर वहां बार्डर एरिया बनाया गया कि बाकी को छोड़ दिया गया है।

मैं यह जानना चाहता हूं। यह जो रोजाना हम लोग सुझाव रखते हैं, उसका क्या होता है। हम लोगों ने बारबार कहा है कि मुंशियारी और गरब्यांग (१) के बीच में जो बार्डर हैं उस एरिया में चीन बराबर प्रचार कर रहा है कि हमारे वहां गरीबी और भुखमरी नहीं है। इस तरह का अनर्गल प्रचार वहां होता है लेकिन उसको दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गयी। वहां की जनता ने भी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, उसके चेयरमैन अशोक मेहता जी ने हमने व श्री त्रिलोकीसिंह जी ने लिख कर दिया कि बार्डर पर सेना जानी चाहिये। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि बार्डर पर सेना भेजने के लिये उसने कौन सा कदम उठाया और केंद्रीय सरकार से उस संबंध में क्या सिफारिश की? मेरी समझ में नहीं आता कि आज क्या कारण है कि जब जयप्रकाश नारायण जी जैसे व्यक्ति जो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते, ने भी सरकार को सलाह दी है कि वर्तमान सुरक्षा मंत्री को उसके पद से हटा देना चाहिये और हमें अपने डिफेंस पर किसी तरह से गाफिल नहीं रहना चाहिये। क्या हमको पता नहीं है कि बाराहोती में सन् १९५८ में चीनी लोग जब आये तब सरकार ने क्या कदम उठाया। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अधिक बातें करूं लेकिन मैं यह नक्शा लाया हूं और मैं उसे पेश करना चाहता हूं। आज हमसे कहा जाता है कि हमने चेकपोस्ट्स बनायी हैं उसकी दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ। लेकिन आप देखें कि नैपाल का जो किनारा है वहां पर कोई चेकपोस्ट हमारा नहीं है, चीन से जो सिपाही आते हैं वे गरब्यांग पर हमला कर सकते हैं तो क्या यही मिलिटरी स्ट्रेटजी आपकी है? हमने भी मिलिटरी साइंस पढ़ी है। मैं कहता हूं कि नैपाल जो हमारा दोस्त है जब तक हमारा इंडो-नैपाल ज्वाइंट डिफेंस व ट्रेडपैक्ट नहीं होगा तब तक हम बार्डर की सुरक्षा नहीं कर सकते।

श्री अधिष्ठाता—आप अपनी पार्टी के चेयरमैन से कहिये कि यह सुझाव पार्लियामेंट में पेश करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री प्रतापसिंह—मान्यवर, इस बजट में अनुसूचित और बैकवर्ड क्लास के बारे में कुछ कहा गया है मुझे यह कहते हुये बहुत दुख होता है कि १९६०–६१ के बजट में १०,०९० रुपये की वृद्धि थी और ६१–६२ के बजट में ४५,०९१ रुपये की कमी कर दी गयी। तो मैं जानना चाहूंगा कि यह जो कमी कर दी गयी तो क्या आपका टार्गेट पूरा हो गया ? जब हमारे हरिजन कल्याण मंत्री 'हरिजन' शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थारू, बोक्सा और भोटिया जातियां भी हैं जो अनुसूचित जातियों में आती हैं, उनका नाम तक नहीं लेते। लेकिन अगर थारू लोग हरिजन के नाम पर कोई स्कूल खोलते हैं तो डायरेक्टर आफ एजूकेशन कहते हैं कि एजूकेशन कोड के हिसाब से ६,००० रुपया जमा करो तब वह recognition मिलता है। तो एजूकेशन कोड की धारायें आप अनुसूचित जातियों पर भी लगा रहे हैं।

कहा जाता है कि हम वजीफा बांटते हैं। लेकिन जो अनभिज्ञ हैं, बेपढ़े हैं देहातों में उनके बच्चों को स्कूल में भरती कराने के लिये आपके पास कौन सी एजेंसी है ? सरकार उनको वजीफा देती है जो स्कूल में पढ़ते हैं और जिनके प्रार्थना-पत्र सरकार के पास जाते हैं। स्कूल में हरिजनों के बच्चों को भरती कराने के लिये सरकार ने क्या किया ? मैं बतलाना चाहता हूं कि सरकार ने उनको दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा कास्ट रह गया और दूसरा हिस्सा क्लास हो गया। भाई हरीसिंह जो इसी तपके से आते हैं, एम०एल०ए० हो गये वे तो एम०एल०ए० के क्लास हो गये और जो भाई गांव में रह गया वह कास्ट हो गया। तो सरकार जो यह क्लास प्रिजूडिस पैदा कर रही है इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? केवल हरिजन सम्मेलन कर देने से हरिजन खुश होने वाला नहीं है। दूसरे मैं सरकार पर यह चार्ज भी लगाना चाहता हूं कि ५० हजार रुपया इस साल का जो अनुसूचित जातियों के लिये खर्च होने वाला था वह नहीं हुआ।

इसके बाद मैं राज्य कर्मचारियों के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि हमारे नेता विरोधी दल ने योग्यतापूर्ण भाषण में कहा कि सैकिंड पे कमीशन एप्वाइंट होना चाहिये। ४६–४७ में फर्स्ट पे कमेटी बनी और उसने रिपोर्ट दी और पहले पेज पर लिखा है कि सरकार ने सिफारिशों को माना और लागू कर दिया। मैं पृष्ठ २० की दूसरी पंक्ति से पढ़ना चाहता हूं, उसमें यह लिखा हुआ है :—

"The Committee, therefore, recommend that Government servants drawing pay up to Rs.60-per mensem should be allowed free education for their children up to the High School standard."

मान्यवर, इस कमेटी में यह लिखा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी ६० रुपये तक वेतन पाते हैं उनके बच्चों की हाई स्कूल तक मुफ्त शिक्षा होनी चाहिये। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि जो पे कमेटी बैठी उसकी इस सिफारिश को आज तक लागू नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि उसको लागू किया जाय क्योंकि ४६ में जो कमेटी बैठी थी उसने ३६-३७ की महंगाई के आंकड़ों को लेकर सिफारिश दी थी। हमारे नेता विरोधी दल का कहना है कि अब सैकिंड पे कमेटी बैठाने की आवश्यकता है, उसमें चाहे सारे सदन के सम्मानित सदस्य न रखे जायं। सरकार जब माडल एम्पलाई बनाना चाहती है तो सरकार को स्वयं भी माडल एम्पलायर बनना चाहिये। १०० रुपये से कम वेतन किसी का नहीं होना चाहिये। आज क्लर्क्स, पुलिस के सिपाही तथा चपरासी के लिये क्या किया गया है ? दरोगा के तथा एस०पी० के घोड़े के लिये ४५ तथा ९५ रुपये एलाउन्स दिया जाता है लेकिन सिपाही, चपरासी तथा अध्यापक को आज भी ३० से लेकर ४५ रुपये तक वेतन मिलता है। तो यह कौन सी वेलफेयर स्टेट है।

शिक्षा के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। शिक्षा के बारे में मुझे अफसोस है कि पहली मिनिस्ट्री ने जितने कमीशन बैठाये थे उनको यह सरकार बदलती जा रही है। मेरे सामने दो सरकारें नहीं हैं। मेरे सामने एक सरकार कांग्रेस की है चाहे वह माननीय सम्पूर्णानन्द जी की हो या माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी की। लेकिन जब उसी सरकार ने सैकिंडरी एजूकेशन कमीशन व विश्वविद्यालय कमीशन बैठाया और ६ महीने से ज्यादा वह काम

कर चुका था तो आज २४ तारीख को यह कहा जाता है कि इसके टर्म्स में अन्तर कर दो, दूसरे को खत्म कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि कमीशनों में होड़ लगी हुई है। एक कमीशन एक ग्रुप का है और दूसरा कमीशन दूसरे ग्रुप का है। लेकिन रुपया तो स्टेट का ही खर्च होता है।

प्राइमरी एजूकेशन के बारे में सरकार को कोई ध्यान नहीं है। रुपया जरूर है। आज २४ हजार नये स्कूल खोले जा रहे हैं। पिछले साल के बजट में ३९,६८९ रुपया इस संबंध में था और अबकी ६१,५५९ रुपया रखा गया है। पहले बजट ६ करोड़ १ लाख का था और अबकी १० करोड़ का हो गया है। स्कूलों की संख्या बढ़ा रहे हैं लेकिन, श्रीमन्, आपको भी देहातों में जाने का मौका मिला होगा। आज ७५ फीसदी स्कूलों में मास्टर नहीं हैं, आवश्यक सामान नहीं है। इमारत जीर्ण-शीर्ण हैं। महीनों से वेतन नहीं मिला है।

दूसरी बात आज अनुशासनहीनता की बड़े जोर से कही जाती है, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आज एक्स्ट्रा करिकुलर ऐक्टिविटीज के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज बहुत कम स्कूल हैं जिनके पास खेल के मैदान हैं। आपको कैनिंग कालेज का मालूम होगा। जिस समय वहां ४०० लड़के पढ़ते थे उस समय उसके पास दो प्ले ग्राउंड्स थे लेकिन आज जब ६,००० विद्यार्थी पढ़ते हैं तो केवल एक प्ले ग्राउंड है।

इसके अलावा आज शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। सिर्फ ४१ फीसदी लोग पास होते हैं और ५९ फीसदी फेल होते हैं। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इसकी जिम्मेदारी इस सरकार पर है।

अब मैं कुछ प्लानिंग की बात कहना चाहता हूं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार की जो प्लानिंग है उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं आपकी आज्ञा से एक विद्वान की दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं:

"The Planning Commission has failed to produce and plan worthy of the productive energies of the people and answering to the economic needs of India's millions to whom planning is no academic exercise but a life and death struggle."

अंग्रेज ने जब शासन छोड़ा था तो उस समय १२ लाख लोग बेकार थे और आज १९ लाख लोग बेकार हैं। इस बेकारी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये। आज से ३६ साल पहले स्वर्गीय पूज्य पंडित गोविन्द बल्लभ पंत ने इसके बारे में जो कहा था वह मैं पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा था—

"We have no measures resembling "poor relief" in this country, we have no measures of combating unemployment. The middle classes have been struggling too long and they have not been able to find any place for earning a living wage. We have thrown so many millions into the wilderness, but what have we done to save these people from starving. Some of them came to me and asked me what to do. I sa d : section 109 of the new code only prescribes simple imprisonment, so there is that opportunity for you."

स्वर्गीय माननीय पंत जी ने आज से ३६ साल पहले इस बात को कहा था कि आज बेकारी को दूर करने के लिये हमारे पास कोई प्लान नहीं है। मैं उसको फिर दोहराता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रदेश की हालत को ठीक करना है तो यहां के मिडिल क्लास के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा करना होगा। श्रीमन्, कल तक के सवाल के जवाब में यह कहा गया था कि ५० हजार लोग जो मस्टर रोल और वर्क चार्ज में काम करते हैं उनको २०-२० और २५-२५ साल काम करते हो गये लेकिन उनको स्थायी करने की कोई बात नहीं है। यह सामन्तशाही तरीका है, समाजवादी व्यवस्था नहीं है।

[श्री प्रतापसिंह]

इन शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने इस सदन में कहीं हैं और विशेष तौर से इस मंत्रिमंडल के लिये, जनता को वह अवश्य याद रहेंगी। अन्त में मैं फिर आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। उसके अन्दर कुछ बातें ऐसी हैं जिसके लिये वे बधाई के पात्र हैं, जैसे कुछ मास्टरों की तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके मुताल्लिक मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। मैंने माननीय त्रिलोकी सिंह जी के प्रवचन को भी सुना। मैं समझता हूं कि यह उनके बड़े वक्तव्यों में एक है। वह बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बहुत सी चीजों पर जोर दिया है, बहुत सी बातें उन्होंने कहीं हैं और मैं समझता हूं कि सरकार उनको अपने ध्यान में रखेगी। बजट के मुताल्लिक और भी बहुत से भाषण हुये हैं, उनको भी मुझे सुनने का मौका मिलता है और मैं समझता हूं कि उनमें से बहुत से भाषण केवल शिकायतों के बंडल थे। उनमें कोई ऐसी चीज नहीं कही गई जिससे सरकार फायदा उठा सके।

मैं एक चीज आपके द्वारा सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं वह यह है कि हम एक कल्याणकारी समाजवाद की स्थापना कर विचार कर रहे हैं और जब हम कोई कार्य करें और जब कोई स्कीम पेश करें तो हमको इस बात को ध्यान से देखने की जरूरत है कि आया जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसको पूरा करने की तरफ हमारा कदम उठ रहा है या नहीं। हमारे सामने जो कठिन समस्यायें हैं वह यह हैं कि हम पूंजी कैसे बढ़ायें, उत्पादन कैसे बढ़ायें जिससे हमारी आमदनी बढ़े। दूसरी चीज जो हमारे सामने है वह यह है कि हम पैसे का वितरण कैसे करेंगे जिससे हर आदमी को जरूरत के हिसाब से मिल सके और तीसरी चीज हमारे सामने यह है कि हम बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिये हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे।

चौथा चीज यह है कि हम उन चीजों के करते हुये प्रजातंत्र को भी कायम रख सकें। यह सबसे बड़ा महान प्रश्न है। इन चीजों को नजर में रखते हुये हम इस बजट की आलोचना करें तो हम कुछ सुझाव दे सकेंगे अन्यथा नहीं। मैं समझता हूं कि हमारा देश गरीब जरूर था और अभी भी कोई खास तरक्की नहीं हुई है। दो योजनायें हम करीब करीब पूरी कर रहे हैं और उन पर करोड़ों रुपया हम खर्च कर चुके हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि इन योजनाओं में हमने अरबों रुपया खर्च किया है तो इसमें जो सफलता हमें मिलनी चाहिये थी वह मिली है या नहीं? मैं समझता हूं कि आंकड़े कोई कितने ही दे लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। श्रीमन्नारायण जी ने अभी अपने वक्तव्य में कहा था कि आंकड़े मनगढ़ंत चीज हैं। उनसे काम चलने वाला नहीं है। इस चीज की जांच के लिये हमारे पास कसौटी है कि हमारा उत्पादन बढ़ा या नहीं, यह तो न टनों से काम चलेगा और न मनों से बल्कि इससे जांचा जा सकेगा कि हम बाहर से तो गल्ला नहीं मंगा रहे हैं। अगर मंगा रहे हैं तो कितना। वह लक्ष्य, जिसको लेकर योजना बनाई है, वह पूरा नहीं हुआ।

एक चीज मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि इस प्रदेश की ८६ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। उसके वास्ते कुछ हुआ है या नहीं, उसका जीवन स्तर बढ़ा है या नहीं, यह भी देखने की चीज है। मैं समझता हूं कि जो सरकारी आंकड़े इस साल की पुस्तिका में दिये गये हैं उनसे भी पता चलता है कि हमारी पर कैपिटा इंकम बढ़ी नहीं है। मैं जानता हूं कि आबादी जरूर बढ़ी है इस वजह से जो थोड़ी सी आमदनी बढ़ी हुई दिखलायी गयी है, बढ़ी हुई आबादी को ध्यान में रखते हुये वह व्यक्तिगत आमदनी ज्यों की त्यों रहती है, बल्कि थोड़ी सी एक या दो परसेंट घटी है। तो करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद जहां के तहां हैं।

हम को शहरों से कोई द्वेष नहीं है। वह फूलें, फलें, तरक्की करें और बड़े बड़े महल बना कर रहें, चौड़ी चौड़ी सड़कों पर चलें। लेकिन उन ग्रामीण आदमियों की अवस्था देखिये, जो ८६ फीसदी आदमी गांवों में रहते हैं। उनके लिये जीवन के कोई सुख सुविधा के साधन अब तक नहीं पहुंच पाये हैं। जब हम गांवों में जाते हैं और गांवों के लोगों से बात करते हैं तो वहां पर यही सुनते हैं कि क्या हमारे देश में स्वराज्य हो गया है और अगर हो गया है तो उसका फल हमको तो भोगने को नहीं मिला है। उनको अगर समझाया जाय कि भाखरा डैम बन रहा है, दामोदर रीवर वैली प्राजेक्ट बन रहा है और बड़ी बड़ी योजनायें बन रही हैं तो वह उसको मजाक की सी बात समझते हैं। वह कहते हैं कि हमारे सींचने के लिये कुयें कहां हैं, नहरें कहां हैं? वह पूछते हैं कि उनके चलने के लिये सड़कें कहां हैं? उनके लिये अस्पताल कहां है?

मैं एक चीज आपके सामने और रखना चाहता हूं और वह यह है कि जो गांव का आदमी पैदा करता है उसको शहर का आदमी और जो ऊपर के आदमी हैं वह खाया करते हैं। वह दूध, दही पैदा करता है लेकिन वह उसको खाता नहीं है। उसको खाने को सिर्फ एक चीज मिलती है 'धक्का'। मैं जिस वक्त गांव में पहुंचता हूं और बातें सुनता हूं तो बाज वक्त आंसू भर आते हैं। वह कहते हैं कि यह तमाशा हमारे खर्चे से हो रहा है। इस तमाशे पर हमारा खर्च हो रहा है लेकिन इस तमाशे को देखने के लिये दूसरे आदमी हैं और हम केवल धक्का खाने के लिये हैं। इस बजट को जब मैं इस दृष्टि से देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि उन ग्रामीण क्षेत्रों के आदमियों की सुख सुविधा के वास्ते कोई साधन नहीं दिखाये गये और न कोई प्रबन्ध किया गया।

एक चीज मैं और देखता हूं और मैं समझता हूं कि इसको भी आज न सुने, कल न सुने, यह सुनना ही पड़ेगा, वह यह है कि यहां पर तानाशाही तो नहीं है। कहा यह जाता है कि आटोक्रेसी नहीं है और ठीक है, नहीं है। यहां पर डेमोक्रेसी है या नहीं है यह भी एक सोचने की बात है। उसके लिये कहा जाता है कि अभी प्रजातन्त्र शैशवावस्था में है। लेकिन एक चीज जो दिखायी पड़ी है, वह है—ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी का राज्य। मैं समझता हूं कि अगर हम उस ब्यूरोक्रेसी को इस प्रजातन्त्र में कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमारे नवजात प्रजातन्त्र को बेहद खतरा है। गांव का आदमी परेशान है। दरख्वास्तें लिये घूमता फिरता है, इधर से उधर बहुत सी चीजें मांगता फिरता है लेकिन क्या कोई उनको सुनने को तैयार है। यह चीज है और इसको हमको देखना पड़ेगा और देखने के बाद इसकी हमको दवा करनी पड़ेगी। यदि हम दवा नहीं कर सकते तो ८६ प्रतिशत जनता हमको कोसेगी। वह गरीब है, साधनहीन है। उसकी पहुंच बहुत दूर तक नहीं है और मैं तो खास तौर से उस क्षेत्र से आया हूं जो कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी एक पिछड़ा हुआ पाकेट, एक छोटी सी सिकुड़ी जेब बन गया है जहां पर जनता को आज तक इस बात का आभास नहीं हो पाया कि स्वराज्य हो गया है। ठाकुर साहब जो हमारे माल मंत्री है उन्हें मैं अवश्य धन्यवाद देता हूं इस बात के लिये कि बहुत दिनों की चीखपुकार के बाद उन्होंने जरूरत महसूस की और एक जनाना हास्पिटल वहां खुलवा दिया। इस लिये मैं और वहां की सारी जनता उनकी आभारी है। लेकिन उसके अलावा वहां पर नदियां हैं, नाले हैं, ऐसे ऐसे नाले हैं कि वहां पर आदमी डूबा करते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं न जाने कब से एक छोटी सी पुलिया बनवाने के लिये लेकिन वह नहीं बन सकी। जब कभी मैं कहता हूं तो उसकी सुनवाई नहीं होती।

एक चीज और जो मैं बतलाना चाहता हूं वह यह है कि हमारे पूज्य पिता महात्मा गान्धी जी ग्रामराज्य के हामी थे। वह ग्रामराज्य अब कहां है? उसकी स्थापना कब होगी, यह मेरी समझमें अब तक नहीं आ रहा है। मैं सोचा करता हूं, जब गांवों में पहुंचता हूं तो बहुत से आदमी वहां शिकायत किया करते हैं कि भाई इससे तो अंग्रेजी राज ही अच्छा था। ठीक है, बहुत सी चीजों में मैं समझता हूं कि वह नीचे स्तर पर सोचते हैं लेकिन उसमें भी कुछ थोड़ा सा तथ्य है। तो यह क्यों फेल हो रहा है, स्वराज्य होने के बाद स्वराज्य तो हो गया, है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, हम अपने मालिक हैं, हमीं राजा हैं, हमीं प्रजा हैं, तो शिकायत

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

क्यों हो रही है इस प्रकार से ? मैं समझता हूं कि एक चीज जो खास तौर से इसमें है वह यह है कि एक कीड़ा लग गया है वहां पर और वह कीड़ा कौन सा है ? वह कीड़ा है जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं ब्यूरोक्रेसी । उस ब्यूरोक्रेसी के कीड़े ने जो स्वाराज्य का मजा था वह सारा का सारा खट्टा कर दिया । वह ब्यूरोक्रेसी हर चीज में अपने आपको ऊपर रखना चाहती है और किसी गांव के आदमी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है ।

इसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहता हूं और वह यह कि एक गांव का आदमी केवल तीन चार चीजें चाहता है । यदि उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं करेगी तो वह और ज्यादा परेशान होंगे और उसके बाद जो उसकी समझ में आयेगा वह करेंगे । वह यह है कि उनको कचहरी की वन-कुतियों (वाइल्ड डाग्स आफ दी कोर्ट्स) से बचाने की चेष्टा कीजिये । उनको पुलिस के जुल्मों से बचाने की कोशिश कीजिये । उनके वास्ते सुख और साधन के साधारण प्रयत्न करने का प्रबन्ध कीजिये । उनके लिये सड़कें बनवाइए और उनको थोड़ी सी ऐसी सुविधा दीजिये जिससे कि वह अपना साधारण जीवन यापन कर सकें । दो मिनट और दे दीजिये ।

एक चीज और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा कास्ट आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन बड़ा भारी है । उस कास्ट आफ ऐडनिमिस्ट्रेशन को घटाने की कोशिश कीजिये जिससे कि हम रुपया विकास के कार्यों के लिये बचा सकें ।

नियोजन का तरीका जैसा कि मैं समझता हूं गलत ढंग से शुरू हुआ है । उत्पादन करने वाला तो गांव का व्यक्ति है और जो नियोजन शुरू हो रहा है वह गांव के स्तर से शुरू नहीं हो रहा है । गांव में जो आदमी पैदा करते हैं वे पैदा करने वाले सब का पोषण करते हैं । उस गांव के स्तर पर नियोजन नहीं हो रहा है । जो अफसर गांव में मुकर्रर किये जाते हैं वे गांव वालों को कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं । जैसा कि मैंने पहले कहा था और अब भी इस मौके पर दोहराना चाहता हूं कि यह बी० डी० ओ०, बी० एल० डब्लू०, यह ग्राम सेवक और ग्राम सेविकायें न मालूम कितने कितने और बहुत से हैं, वे गांव वालों को कोई ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं जिससे वे अपने गांव का उत्पादन बढ़ावें। अगर उनके किसी व्यवहार से शिक्षा मिलती है तो वह साहब बनकर, टोप लगाकर, उमदा कपड़ें पहनकर घूमें और वे उनको यह बतलायें कि हम जैसा कर रहे हैं वैसा तुम भी करो । वे और कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं ।

दूसरी चीज जो मैं नियोजन के मुताल्लिक कहना चाहता हूं वह यह है कि हमने इतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स खोल रखे हैं कि फिशरीज डिपार्टमेंट, समाज कल्याण अलग है, हरिजन विभाग अलग है, सूचना विभाग अलग है और न मालूम कितने कितने और एक ही काम करने के लिये ८, ८ और १०, १० आदमी इधर उधर घूमा करते हैं । अगर प्लानिंग का युग है तो प्लानिंग हमको करना पड़ेगा और प्लानिंग करना जरूरी है किन्तु उसके साथ ही ऐसा डिपार्टमेंट कायम किया जाय जिसके अन्दर जितनी कल्याण की बातें हैं वह सब उसके अन्दर आ जायं । एक ही काम को ४ आदमी या ६ आदमी करें तो मैं समझता हूं उससे काम पूरा नहीं होगा और ठीक भी नहीं होगा । वही काम एग्रीकलचर इन्सपेक्टर करते हैं और वही काम बी० डी० ओ० करता है और दूसरे भी करते हैं । इसी तरह से सब एक ही काम पर लगे हुये हैं । मैं समझता हूं इस प्लानिंग डिपार्टमेंट को रिआर्गनाइज करने की जरूरत है और साथ ही साथ कोआर्डिनेशन विभागों का इस तरह से होना चाहिये जिससे काम ठीक रूप से चल सके ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मौजूदा बजट, जो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रदेश की जो मौजूदा समस्यायें हैं, वह उससे हल होने वाली नहीं हैं । हमको सचमुच में विचार करना है कि हमारे प्रदेश में ७० फीसदी से ऊपर जो किसान जनता देहातों में बसती है जब तक उसकी

समस्याओं के अन्तर्गत कोई परिवर्तन या कोई क्रान्ति इस तरह से नहीं की जायगी तब तक मैं समझता हूं प्रदेश का औद्योगीकरण या प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पिछले १३ साल के अन्दर सरकार की जो कृषि नीति रही है वह बहुत ही गलत रही है और उसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे यहां का किसान, जो अंग्रेजी जमाने में सोचता था कि हमारे यहां जब स्वतन्त्र देश हो जायगा, हमको जब आजादी मिल जायगी तब हम तरक्की करेंगे, खुशहाल होंगे, जमीन के मालिक होंगे, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन जोतने के लिये मिलेगी। वह उसकी आशा पूरी नहीं हुई है बल्कि उसका उलटा हुआ है। यदि आप उनकी समस्याओं को देखें तो मालूम होगा कि ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते हैं वह समस्यायें उलझती जाती हैं।

लगान के मामले को आप लेलें। आज सरकार की तरफ से एक तर्क दिया जाता है और उस दिन जब माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा था कि सन् १९५४ में जब सिंचाई रेट बढ़ाये गये थे और जब कम किये गये ३ आना प्रति रुपया तो उस समय अनाज का भाव कम था और आज अनाज का भाव बढ़ गया है। इस तरह का तर्क दे कर टैक्स लगा देने की जो सरकार की नीति है यह आज की नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में भी यही नीति थी। जब वे किसी तरह का टैक्स बढ़ाने की कोशिश करते थे तो वे यही दलील देते थे। इस तरह की चीजों से किसान की हालत खराब होती चली जा रही है। इस सिंचाई के टैक्स से, मैं समझता हूं कि किसान की कमर टूट जायगी और इसका नतीजा यह होगा कि जो अन्न पैदा होगा उसका भाव भी बाजार में महंगा पड़ेगा। इस के अलावा आप लगान को ले लें। लगान के बारे में भी सरकार की यही दलील है कि लगान जब तै किया गया था उस समय भाव बहुत सस्ता था। मैं कहता हूं कि आज सवाल यह नहीं है, आज सवाल है कि देश की जनता के सामने आपने जो वायदा किया था उसे आप पूरा कर पा रहे हैं अथवा नहीं। फैजपुर में १९३७ में जो कांग्रेस हुई थी उसमें यह सवाल आया था और कांग्रेस ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव किया था कि अलाभकर जोत पर लगान माफ होना चाहिये और लगान की दरें फिर से तय होनी चाहिये। लेकिन सरकार अपने वायदे से मुकर गयी है और उसका नतीजा यह है कि किसानों की कमर टूटती चली जा रही है और वह परेशान होता चला जा रहा है। सरकार ने सीलिंग की और यह अनुमान लगाया कि इस से काफी जमीन मिलेगी। लेकिन बजट की जितनी किताबें हमें मिली हैं उनमें देखने से मालूम होता है कि मुश्किल से २ लाख एकड़ जमीन मिलने वाली है। सारी जमीन लोगों ने आपस में बांट ली है और सीलिंग के ऐक्ट आदि पर जो रुपया खर्च हुआ है, और उसे अमल में लाने पर जो रुपया खर्च होगा उससे, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसके अनुपात में हमें कम ही जमीन मिलेगी, फायदा कम होगा। तो सरकार इन मामलों पर सोचे और विचार करे। मैं समझता हूं कि जब तक कृषि की समस्या हल न होगी उस समय तक देश की कोई समस्या हल होने वाली नहीं है।

इसके अलावा, मान्यवर, आप देखेंगे कि परती जमीन देश और प्रदेश में काफी पड़ी हुई है, लेकिन सरकार की निगाह उधर नहीं जाती। लाखों एकड़ जमीन स्टेट में परती पड़ी है और उसके लिये सरकार को कोई योजना बनानी चाहिये। लोगों को वह जमीन इस शर्त पर दी जाय कि जब तक उस में खूब पैदावर न होने लगेगी तब तक उनसे कोई लगान नहीं लिया जायगा। मैं समझता हूं कि इस तरह की नीति अपनाने से पैदावार में बढ़ोत्तरी हो सकती है। लेकिन सरकार की निगाह कई बार ध्यान दिलाने पर भी उस तरफ नहीं जा रही है।

इसी तरह आप देखेंगे कि हमारे सूबे में २२ फीसदी ऐसे लोग हैं, किसानों में हैं, जिनके पास एक इंच भी जमीन नहीं है। उनके बारे में सरकार ने क्या किया? कुछ पता नहीं चलता। वह भी आशा लगाये थे कि हमको कम से कम झोपड़ी बनाने के लिये तो जमीन मिल ही जायगी, लेकिन वह समस्या भी ज्यों की त्यों रह गयी। मैं समझता हूं कि सरकार

[श्री ऊदल]

की नीति किसान विरोधी नीति है और जब तक किसानों के पक्ष में वह कोई सही रुख नहीं अपनायेगी तब तक देश की किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है ।

इसी तरह से उद्योग धंधों के लिये ढोल पीटा जाता है । एक सीमेंट फैक्टरी और दूसरी लखनऊ की जी० पी० आई० एफ० का बहुत चर्चा यहां होता है । कुल यह दो बड़े कारखाने सरकार ने स्थापित किये हैं और हमेशा इन्हीं का ढोल पीटा जाता है । और किसी बुनियादी कल कारखाने का निर्माण प्रदेश में आज तक सरकार ने नहीं किया है । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति उद्योग धंधों के मामले में भी गलत साबित हुई है और सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिये और जब तक सरकार इसपर विचार नहीं करेगी प्रदेश में औद्योगीकरण हो ही नहीं सकता ।

श्रीमन्, चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी को अगर आप देखें, तो आपको मालूम होगा कि उसमें इतनी ज्यादा लागत लगी है कि उससे कुछ लाभ नहीं हो पा रहा है । उसके लिये योजना बनाने से पहले उस पर उसकी इमारत वगैरह बनाने में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया । फैक्टरी बनी भी नहीं थी, और एक आफिसर के लिये पहले से ही ८० हजार रुपये का बंगला बना दिया गया । फैक्टरी का उत्पादन होने से पहले ही उसके रख रखाव पर इतनी भारी रकम खर्च कर दी गयी तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह क्यों की गयी ? उसका नतीजा यह होता है कि माल महंगा होता है और उसका असर मजदूरों के, बोनस, तनख्वाह आदि जो मिलता उस पर भी पड़ता है । मैं समझता हूं कि करोड़ों रुपये की लागत के बाद भी उससे फायदा ८,९ लाख रुपये का ही होगा ।

श्रीमन्, लखनऊ में जो फैक्टरी है उसके बारे में भी आपको मालूम होगा कि यहां पर इंजीनियर उसके लिये बाहर से बुलाये गये, उनसे काम नहीं लिया गया, और बैठे-बैठे ही उनको वेतन दिया गया । क्या यही औद्योगीकरण का रास्ता है ?

एक बात श्रीमन्, मैं और कहना चाहता हूं और इस बात की मांग करता हूं कि बिजली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । मार्टिन कम्पनी रोहतक के साथ जो इस सरकार ने समझौता किया आज उसका क्या प्रभाव हुआ ? इस कंपनी की तरफ से ठेकेदार मनमानी तरीके से पैसा वसूलते हैं । आप, श्रीमन्, जानते हैं कि उससे पूंजीपतियों को ही फायदा हुआ । इसी सदन में बताया गया कि रिहन्द डाम से जो बिजली पैदा होने वाली है उसे बिड़ला की अल्मूनियम फैक्टरी को दी जायेगी और वह १७५ रु० पर किलोवाट जबकि पूर्वी जिलों में ४४७ रु० पर किलोवाट पर ट्यूबवेलों को बिजली मिलती है । उसका फायदा किसको होगा ? किसानों को उससे फायदा नहीं होगा । मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां प्रदेश में बिजली के भिन्न भिन्न रेट्स क्यों हैं ? क्या सरकार ने उस तरफ विचार किया ? पूरे प्रदेश के अन्दर बिजली का एक रेट होना चाहिये । किन्तु सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया ।

मैं सरकार का ध्यान हथकर्घा उद्योग की तरफ भी दिलाना चाहता हूं । हमारे प्रदेश में करीब ८ लाख व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुये हैं । उन्होंने सहकारिता समितियां भी बना रखी हैं । एक प्रान्तीय हथ-कर्घा बोर्ड भी स्थापित किया गया है । लेकिन, इस सरकार ने कभी इस बात की जांच पड़ताल नहीं की कि आज उनमें कितने रुपयों का गबन हो रहा है, कितने लाख लोग बेकार हो गये हैं । आये दिन सहकारिता विभाग में गबन हो रहा है और उसकी शिकायतें देखने को मिलती हैं । आज जितनी भी हैन्डीक्राफ्ट की दूकानें हैं, उन सब में गबन मिलेगा । मैं सरकार पर यह चार्ज करता हूं कि इस सरकार ने कभी उस तरफ देखने की तवज्जह नहीं की । मैं यह मांग करता हूं कि उसकी जांच के लिये एक कमेटी का निर्माण किया जाय । एक कमेटी इन सभी हैन्डीक्राफ्ट्स की दूकानों की जांच करे । इसमें जो पैसा लगता है वह जनता का पैसा होता है और इसलिये उसकी पूरी जांच

होनी चाहिये ताकि कर्मचारी लोग जो पैसे का गबन कर रहे हैं उसे किसी प्रकार रोका जा सके ।

कालीन और कम्बल उद्योग के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं । मिर्जापुर में जो कम्बल का कारखाना है, वहां के चार पांच सौ मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है । अभी कल ही एक प्रश्न के उत्तर में माननीय श्रम मंत्री जी ने बताया कि कानपुर में जो सूती मिल हैं, वहां पर मजदूरों से ९ घंटे काम लिया जाता है जब कि सारे देश में ८ घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाता । इससे हम यही नतीजा निकालते हैं कि सरकार की नीति औद्योगीकरण की तरफ नहीं है बल्कि पूंजीपतियों को सुविधायें देने की तरफ है और वह मजदूर विरोधी और जन विरोधी है । आज लाखों मजदूर बेकार हो रहे हैं । बनारस में बनारसी साड़ी के उद्योग में, पीतल के उद्योग में, मऊ के बुनकर, सब बेकारी की हालत में हैं, लेकिन सरकार की निगाह उस तरफ नहीं जाती ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, दो मिनट मुझे और दिये जांय ।

अभी माननीय हरिश्चन्द्र जी ने बताया कि सरकार की नीति गांव और शहर की जनता में भेद भाव की है । आज १३ साल बीत जाने के बाद क्या सरकार ने विचार किया कि देहात के लोगों को अगर सीमेंट की सड़क न मिले, डामर की सड़क न मिले तो कम से कम कंकड़ की सड़क तो मिलनी ही चाहिये ? मैं आज मांग करता हूं कि सरकार का ध्यान उस तरफ जाना चाहिये और कंकड़ की सड़क ही मिल जाय गांव वालों को जिससे कम से कम धूल तो न उड़े ।

बनारस में तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो रूप-रेखा पेश की गयी है, दो तीन सड़कें जो ली गयी हैं, वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ली गयी थीं और कुछ काम भी हुआ है जो दो-दो तीन-तीन मील बनना बाकी था । दूसरी नयी सड़कों को क्यों नहीं लिया गया ? हमारे यहां ऐसी सड़के हैं, एरोड्रोम जो बाबतपुर का है बनारस में, वहां विदेशी लोग आते हैं, वहां से दो सड़कें जाती हैं एक बड़ा गांव अनेही होते हुये कलिका धाम दूसरी वसनी से ताड़ी जमालपुर व मीराशाह से माड़ियाहूं और भोजूवीर से सिंधोरा होते हुये कराकत जिसे माननीय वित्त मंत्री जानते हैं । इसके अतिरिक्त दो एक सड़के और हैं, उधर मंत्री जी का ध्यान नहीं जाता । एक पंचकोशी सड़क है। जहां बाहर के, देश भर के यात्री आते हैं और पंचकोष करते हैं, उसके लिये पहले की सरकार ने वादा किया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पक्का करायेंगे लेकिन मैं वित्त मंत्री से पूछूंगा कि उसको तृतीय योजना में भी क्यों नहीं रखा गया ? इससे नतीजा निकलता है कि सरकार का ध्यान ग्रामीण जनता की तरफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि ग्रामीण विरोधी नीति सरकार की चल रही है और शहर और देहात के अन्दर जो भेद भाव की नीति है वह अधिक देखने में आ रही है ।

एक बात मुझे और कहनी है कि बचत की बहुत बात की जाती है । मैंने पहले मुख्य-मंत्री का भाषण सुना था कि कम से कम १६ करोड़ की बचत होगी, लेकिन ५० लाख बचत करने के बाद ऐसा मालूम होता है कि सरकार ठंडी सी पड़ गयी है । मैं वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि क्या पशुपालन विभाग में जांच कराने की कृपा करेंगे कि वहां जो यंत्रीकृत तथा डेरी फार्म हैं उनमें जो करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है और वहां गबन हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

सूचना विभाग में आप देखें कि जहां १४ लाख रुपये का बजट था, वह अब ४४ लाख रुपये या ५० लाख रुपये का कर दिया गया है । एक एक व्यक्ति जो रखा गया है, वह चौथाई आदमी का काम भी नहीं करता । दिन भर में एक आदमी मुश्किल से एक घंटे काम करता है । आज मत्स्य पालन विभाग सारा का सारा निकम्मा है, वहां १० मन मछली का भी ठिकाना नहीं है । वह मछलियां कहां जाती हैं और कहां पाली जाती हैं और कहां बेची जाती हैं, इसका

[श्री ऊदल]

कोई पता नहीं। सरकार इन चीजों पर विचार करे और इकोनोमी की बात जो सरकार करती है तो उसको इन विभागों की तरफ भी देखना है।

श्री अधिष्ठाता—आप का समय समाप्त हो गया।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)—मान्यवर, मैं आज प्रस्तुत बजट का स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हूं।

साधारणतया एक अच्छे बजट की चार विशेषताएं मेरी समझ में आती हैं। साधारणतया तो सरप्लस बजट ही अच्छा होता है, परन्तु अंडर डेवलप्ड कन्ट्रीज के लिये डेफिसिट बजट आवश्यक है वर्ना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। दूसरी कसौटी एक अच्छे बजट की यह है कि वह जनप्रिय हो। और तीसरी कसौटी यह कि सरकार को अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में वह सहायक हो। इसके अतिरिक्त चौथी कसौटी यह है कि सेल्फ हेल्प और सेल्फ इम्प्लायमेन्ट का वायुमंडल बना सके जिससे देश के बाशिन्दों को फुल इम्प्लायमेन्ट दिया जा सके। अब मैं इन चारों बातों की चर्चा करूंगी कि आया इन सभी कसौटियों पर यह बजट उतरता है या नहीं।

इससे पहले कि इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के सामने रखूं, मैं आवश्यक समझती हूं कि माननीय नेता विरोधी दल द्वारा कही हुई बातों का नम्रतापूर्वक उत्तर यहां पर दे दूं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मैं नेता विरोधी दल की बहुत इज्जत करती हूं लेकिन उनकी कुछ बातें समझ में नहीं आयीं इसलिये शंका के कारण सदन के सामने उनको रखना चाहती हूं।

पहली बात नेता विरोधी दल ने जो कही वह यह थी कि सरकार द्वारा जो सिंचाई का प्रबन्ध है वह केवल १८ फीसदी ही १० वर्षों में हो सका। उन्होंने आर० सी० दत्ता के सन् १९०१ के मेमोरेंडम का हवाला देते हुये इस बात को सिद्ध किया कि किसी भी सरकार को ४० फीसदी भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध करना चाहिये। लेकिन वह एक तथ्य की ओर इस सदन का ध्यान नहीं दिला सकें। वह तथ्य यह कि पिछले २०० वर्षों में जितना सिंचाई का प्रबन्ध नहीं हो पाया था उतना इन दस वर्षों में हुआ। एक दूसरी बात की ओर भी वह ध्यान नहीं दिला पाये कि इस साल के बजट में ४० लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत ली जा रही है। इसका मतलब यह होगा कि आगामी दो वर्षों के अन्दर, जो वह ४० फीसदी का लक्ष्य चाहते हैं वह भी पूरा हो जायगा। अगर नेता विरोधी दल इन बातों से भी सदन को अवगत करा देते तो पूरी पिक्चर सदन के सामने आ जाती।

दूसरी बात उन्होंने इसी सम्बन्ध में और कही। उन्होंने कुएं और नहर की सिंचाई का मुकाबला किया। उन्होंने कुएं पर नान-रेकरिंग खर्चे के सम्बन्ध में यह बताया कि प्रति एकड़ १५० रुपया खर्च होता है और नहर की सिचाई से ५०० रुपया प्रति एकड़ खर्च होता है। यह तो मान्यवर, बड़ी साधारण सी बात थी। अगर वह एक बात सोच लेते कि १५० रुपया वह केवल स्थायी कैपिटल के खर्चे की बात करते हैं लेकिन कुएं के ऊपर जो रेकरिंग खर्चा होता है सिंचाई करने में वह कई गुना अधिक होता है। उसका सामने ही प्रूफ है जहां जहां पर नहर बनती जाती है वहां पर कुएं टूटते जाते हैं। इसका मतलब यह है कि नहरों द्वारा सिंचाई की लोग ज्यादा मांग कर रहे हैं उसके साथ उनका सहयोग है क्योंकि वह सस्ती पड़ती है।

मान्यवर, अगर वह एक और सुझाव दिये होते तो वह मुझे और सारे सदन को मान्य होता कि जहां-जहां पर हमने नहरें बनवाई हैं वहां वहां पर हम एक और प्रबन्ध कर दें, जिसकी कि इस सूबे के अन्दर बहुत कमी है और खास कर पूर्वी इलाकों में, और वह यह कि जहां पर नहरें गई हैं और भूमि ऊंची पड़ जाती है वहां पर सिंचाई का साधन पहुंचाने के लिये, जिस प्रकार पचिश्म में और पंजाब में छोटे-छोटे रहट बनते हैं, उसी प्रकार से वहां भी बना दिये जायं। इस के लिए आवश्यक है कि रहट का सामान बनाने के लिए छोटे-छोटे लोहे आदि के कारखाने हों।

सरकार नमूने के लिए भिन्न भिन्न इलाकों में गरीबों को बना कर दे ताकि गरीब किसान जो तड़प रहा है उसका हम अच्छी तरह से प्रबन्ध कर सकें।

दूसरी बात माननीय नेता विरोधी दल ने यह कही कि आज से १० वर्ष पहले हिन्दुस्तान की चीनी का ७५ फ़ीसदी प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता था, जो अब ६० फीसदी रह गया है। लेकिन वह सही आंकड़े देख लिये होते तो उन्हें मालूम हो जाता कि १० वर्ष पहले की ५ लाख टन चीनी के मुकाबले अब हमारे प्रदेश में १२,२१,००० टन चीनी बनती है। पहले बम्बई, गुजरात, मदरास और अन्य प्रदेशों में चीनी की मिलें नहीं थीं लेकिन अब उन्होंने फ़ैक्ट्रियां लगा ली हैं तो हमारे पास ऐसी पावर नहीं है कि हम उनसे कहें कि तुम फ़ैक्ट्री न लगाओ। इसीलिए तो मैं अक्सर अपनी सरकार से कहती हूं कि अन्दरूनी आवश्यकता के आधार पर उद्योग खोलें न कि Foreign exchange के चक्र में पड़ें।

तीसरी बात उन्होंने कही कि ५० लाख मन बीज का प्रबन्ध सरकार कर रही है जो नहीं चाहिये। तथ्य क्या है? ४८४ लाख एकड़ जमीन खाद-पदार्थों के अन्तर्गत है। बोने के लिये लगभग १५ सेर प्रति एकड़ गेहूं, १२ सेर प्रति एकड़ चावल का बीज चाहिये। ज्वार और बाजरा ३ सेर प्रति एकड़ चाहिये। गेहूं और चावल के अन्तर्गत आधी भूमि के लगभग होते हुये हमें लगभग १०० लाख मन बीज चाहिये।

(इस समय २ बज कर ३७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये।)

विरोधी दल के नेता ने यह भी कहा कि बीज लखनऊ की मंडी से लिया जा सकता है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यहां किसान को इतनी संख्या में उधार देगा कौन? हमारे किसान को तो उधार चाहिये। जहां जो बीज उत्पन्न होता है वहीं उसे स्टोर भी किया जाता है ताकि वहीं वह बोया जा सके। इसीलिए उसे वहां प्रिज़र्व करते हैं। अगर हम बाहर से बीज मंगवाते हैं तो कुछ समय के लिये उसका एक्सपैरीमेंट करते हैं। नहीं तो कितना भी बढ़िया बीज लाइये वह दूसरी भूमि में उतना उपजाऊ नहीं होता है। तो किस आधार पर मैं इस बात को मान जाऊं कि स्टोरों में बीज की आवश्यकता नहीं है? क्या ग़रीब जनता को भूल जाऊं या यह कि उनको वास्तविक रूप में बीज चाहिए? हां, जहां बीज ठीक न मिले वह बात उनके सामने लायी जावे तो बुरी बात नहीं है।

निहायत खूबसूरती के साथ एक बात उन्होंने गांधी जी की विचारधारा के ऊपर अदालती पंचायतों के बारे में कही। उन्होंने कहा कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि दीवानी मुकदमें पंचायती अदालतों में जावें। मैं निहायत नम्रता से और सिर झुका कर एक बात उनके सामने कह दूं। मैंने जितनी उनकी किताबें पढ़ी या उनकी रिपोर्टेड स्पीचेज पढ़ीं, उनमें मुझे कहीं यह बात नजर नहीं आयी। जो थोड़ा बहुत अवसर मुझे उनसे सम्पर्क में आने का भी मिला उससे भी उनकी ऐसी विचार धारा मेरे सामने नहीं आई। लेकिन उतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। साधारण रीति से हम एक चीज को देखने की कोशिश करें। वह यह है कि अगर वे छोटे-मोटे दीवानी के मुकदमें नहीं सुनेंगी तो क्या बड़े बड़े ३२६ और ३६९ के मुकदमें सुनेंगी। अगर वे छोटे मुकदमें नहीं कर सकतीं तो कैसे बड़े मुक़दमें उन्हें दे दिये जावें? इसलिये उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई।

एक दुहाई अनेक सदस्यों ने दी और वह है हरिजन उत्थान की। जितनी उसके लिये एक मनुष्य के अन्दर हमदर्दी हो सकती है उससे कम मेरे अन्दर नहीं है। इतना मैं विश्वास दिला सकती हूं। लेकिन उनकी वास्तविक तकलीफ की ओर इस माननीय सदन का ध्यान नहीं दिलाया गया, जिसे सरकार कर सकती है। वह यह है कि कि जितना रुपया हम हरिजनों के लिये रखते हैं यह थोड़ा है। बाक़ी बजटों में भी उनका हिस्सा रहता है। इसके अलावा पढ़ने लिखने में, चाहे वह टेक्नीकल एजूकेशन हो या नान-टेक्नीकल हो, उसमें भी उनकी इमदाद फ्री रहती है। मैं समझती हूं कि ग़रीबी के आधार पर फ़ीस माफ़ होनी चाहिये। जब मैं गांव में जाती हूं तो देखती हूं कि हमारे गरीब हरिजन भाई एक छोटे से, १०० या ५०

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

रुपये के कर्ज़े के लिये, उसे चुकाने के लिये वर्षों के वास्ते क़र्ज़ देने वाले की बेगार करते हैं, मगर वह चुकता नहीं है। तो सरकार एक कदम आगे बढ़ कर यह कर सकती है कि जो लोग ५ साल से ऊपर से उनसे कार्य लेते रहे हैं उनका कर्जा रद्द कर दे। अगर इस छोटी सी रकम के लिये हम उनकी गुलामी दूर नहीं कर पाये तो यह उचित बात नहीं मालूम होती है और ऐसा करने में, मेरी समझ से, हमारे लिये कोई खास मुश्किल भी नहीं होनी चाहिये। हम इसके लिये क़ानून बना सकते हैं। (लाल बत्ती होने पर) मुझे थोड़ा समय और देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—मैंने आप का समय बढ़ाया नहीं है, यह सूचना आप को दे देना चाहता हूं।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी—क्यों नहीं बढ़ाया है ?

श्री अधिष्ठाता—नहीं बढ़ाया, मेरी मर्जी।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी—अच्छा।

तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं और यह कह कर अपना भाषण समाप्त करती हूं कि साधारणतया तो सरप्लस बजट अच्छा होता है, परन्तु अण्डर-फ़ेड कन्ट्रीज़ के लिये डैफ़ीसिट बजट भी अच्छा होता है। हमारा बजट सरप्लस, डैफ़ीसिट और बैलेंस्ड तीनों है। Surplus इसलिए कि सारे खर्चे निकाल कर हमने ४.३० करोड़ रुपये development के कार्यों के लिये भी निकाल लिया। Deficit इसलिए कि हमारी आमदनी से ८.५० करोड़ रु० का खर्चा तथा balance इसलिए कि अब जो बजट में कमी है वह हमारी सरकार अपनी नीति को tighten करके पूरा करने की आशा रखती है। केवल देखना यह होगा कि जो रुपया हम ऋण आदि द्वारा लेते हैं वे ऐसे development या investment में लगे कि जो सूद सहित वापस आ जाय।

दूसरी बात यह है कि यह बजट जनप्रिय है या नहीं। इसको समझना होगा। यकायक हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह जनप्रिय है क्योंकि अगर यह बजट जनप्रिय हो तो इससे जिन लोगों का हित होता है वे कम से कम सहयोग दें, जैसे कि नहरों और कुओं के बनाने आदि में उनका सहयोग होना चाहिये था। लेकिन देखते यह हैं कि ऐसे कामों में भी जनता का सहयोग नहीं मिलता है। लेकिन इसका कारण यह है कि उन लोगों का दृष्टिकोण केवल इस तरफ है कि सरकार को वह काम करना ही चाहिये। वह सरकार का ही कर्तव्य है। सरकार को इसके प्रति सजग होना चाहिये। सरकार को गांव में खादी को आधार मान कर उद्योग-धंधों को बढ़ावा देना चाहिये। इन शब्दों को कह कर मैं बजट का फिर से समर्थन करती हूं और मान्यवर से कहती हूं कि इस चीज़ की ओर ध्यान दिया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े गौर से सुना। एक दो को छोड़ कर अधिकतर लोगों ने इस आय-व्ययक को निराशाप्रद ही बताया और ज्यादातर लोगों का खयाल यह था कि सरकार अपने उद्देश्य को पाने में भी, चाहे वे कैसे ही रहे हों, असमर्थ रही है। मुझे आश्चर्य इस बात से हुआ कि कुछ माननीय सदस्य, जो गांव के अनुभवों से कोरे हैं, जिन्हें गांवों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, जब वे अधिकारिक रूप से गांवों के सम्बन्ध में बातचीत करते हैं तो बड़ी भारी गलती करते हैं।

अभी जो माननीया सदस्या, इलाहाबाद मुझसे पहले बोल रही थीं, उन्होंने कहा कि किसान कुएं के बजाय नहर से सिंचाई करना अधिक पसंद करता है इसलिये नहर निकालने पर कुएं से सिंचाई समाप्त कर देता है। लेकिन इस बात को गांव में रहने वाला हर आदमी

जानता है कि जहां नहर से सिंचाई होती है वहां कुएं कम या समाप्त क्यों हो जाते हैं। यह सरकार भी जब ट्यूबवेल बनाती है तो कहती है कि उसकी सिंचाई से अन्न ज्यादा पैदा होता है क्योंकि उससे ज्यादा ठीक समय पर पानी दिया जा सकता है। नहर का ओसरा तो दो तीन महीने में आयेगा लेकिन कुएं से इच्छा के मुताबिक पानी लिया जा सकता है। इसलिये नहर के इलाके में कुओं की तादाद इसलिये कम नहीं हो जाती कि किसान नहर के पानी को अधिक पसंद करता है बल्कि इसलिये कम हो जाती है कि नहर के इलाके में चाहे वह कुएं से सिंचाई करे, उसे अगर उसके खेत के पास नहर की गूल बनी हुई है तो पानी का टैक्स देना ही होगा। यह अब कोई कैसे कर सकता है कि सिंचाई कुएं से करे लेकिन कर नहर का दे। यह मानी हुई बात है कि कम आमदनी में दुहरा खर्चा किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता।

इस बजट में तो वही हाल है कि किसी के पास लाज ढकने के लिये वस्त्र न हो परन्तु उसको चांदी का कड़ा पहना दिया जाय, इतना भारी की वह चल फिर भी न सके। ४ रुपया मास्टरों की तनख्वाह बढ़ा दी तो रायबरेली के माननीय सदस्य ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि सरकार ने बड़ा क्रान्तिकारी कदम बढ़ाया है। ऐसा मालूम होता था कि सरकार ने कोई बड़ा भारी काम किया है।

सब ने आज ही अखबारों में पढ़ा होगा कि उड़ीसा में अब तक शिक्षकों को जो ५ रुपया महंगाई भत्ता मिलता था उस को बढ़ा कर साढ़े सत्ताईस कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार ने ५ रु० से साढ़े २७ रु० भत्ता इसलिये बढ़ाया कि वहां कांग्रेस का शासन डांवाडोल है। वहां कांग्रेस सरकार बन नहीं पारही है। जहां पर कांग्रेस बुरी तरह से हारती है वहां तो कुछ काम होता है जैसे बंगाल में अगर कांग्रेस हारी तो बंगाल को उद्योगधंधों के लिये सबसे ज्यादा रुपये मिले। इसका शुभ लक्षण यहां भी प्रकट होना शुरू हो गया है क्योंकि माननीय सदस्य रायबरेली जिन्होंने इस बजट को क्रान्तिकारी बतलाया है वे स्वयं ग्राम पंचायत के चुनाव में हार गये हैं और अगले आम चुनाव में शुरू से ऊपर तक वह आवाज पहुंच जायगी।

अब सवाल यह है कि एक काम उड़ीसा में शुरू हो गया है कि वहां की सरकार ने ५ रु० से साढ़े २७ रु० यानी साढ़े २२ रु० प्राइमरी अध्यापकों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया और हमारी सरकार ४ रु० बढ़ा कर ही उसे एक क्रान्तिकारी कदम उठाना समझती है। वे अध्यापक जो दरिद्रता से आकुल हैं उनके लिये तो यह दो चार बूंद के समान है जिससे उनकी हालत में कोई भी विशेष अन्तर नहीं पड़ता है और उस हालत में जब कि अध्यापकों को दो दो, तीन तीन महीने तक वेतन नहीं मिलता है और उसके लिये वे कहते हैं तो उस समय सरकार चुप रहती है और ४ रु० बढ़ा कर आज उसकी चारों तरफ डुग्गी पीट रही है।

इस बजट को अगर देखा जाय तो इसमें कोई भी योजना कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिये नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी जो यहां विराजमान हैं शायद वे समझते होंगे कि कृषि के सम्बन्ध में जो उन्होंने थोड़ी बहुत खाद व बीज बांटने की बात अपने बजट भाषण में कर दी है उससे ही कृषि की पैदावार बढ़ जायगी। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये एक ओर किसान को स्वयं अपने साधन निश्चित करने होते हैं। अपनी खेती के लिये खाद, हल, बीज वगैरह का इन्तजाम करना होता है तो दूसरी तरफ सिंचाई के साधन पर्याप्त प्राप्त होने चाहिये। अब इन दोनों का संयोग करके आप देखें कि किस प्रकार से आप कृषि की पैदावार बढ़ाते हैं। सिंचाई की दर को अवश्य बढ़ाते हैं। प्रदेश में सिंचाई के लिये कोई भी ऐसा प्रबन्ध नहीं किया गया है जिससे यह समझा जाय कि सरकार ने इस सिलसिले में बहुत अच्छी तरक्की की है। जहां पहले अपर गंगा नहर से १० हजार क्यूसेस और लोअर गंगा नहर से ८ हजार क्यूसेस पानी मिलता था वह अपनी जगह पर अब भी विद्यमान है जब कि सरकार की यही उत्पादक नहरें हैं। इनके पानी में कोई बढ़ोत्तरी नहीं है फिर भी सरकार कहती है कि हमारे यहां सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ा है। इस तरह से सरकार लोगों को कितना बड़ा धोखा देती है। लेकिन सरकार को इस बात को भी अपने

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

ध्यान में रखना चाहिये कि जो दूसरे को धोखा देता है वह खुद भी धोखा खाता है और सरकार धोखा अवश्य खायेगी।

"जो जलाता है किसी को वह भी जलता है जरूर,
शमा जलती रह गयी, परवाना जल जाने के बाद।"

सरकार की तरफ से कहा जाता है कि रामगंगा योजना पूरी हो जाने के बाद हम नई नहरों की खुदाई करायेंगे। इस सम्बन्ध में मैंने सरकार को कई बार लिखा भी कि आप पहले नई नहरें खुदवाना शुरू तो कर दें ताकि जो फालतू पानी हो वह उससे निकल जाय जिसे किसान अपने पलेवा आदि के लिये इस्तेमाल कर सके लेकिन उस तरफ सिंचाई मंत्री जी का ध्यान नहीं गया।

आज कृषि की किसी योजना के सम्बन्ध में किसान को इत्मीनान नहीं है क्योंकि वह सोचता है कि न मालूम कल सरकार क्या नीति अख्तियार कर ले। जब फसल बीमा का सवाल उठाया गया तो सरकार ने कहा कि हमारे पास इतना धन नहीं है और इस तरह से वह योजना हमारे यहां नहीं चल सकी जो कि अवश्य चलनी चाहिये। मैं सरकार से बार बार आपके द्वारा कहता हूं कि जब तक ऐसे मूल्य या पैदावार की निश्चितता की योजना सरकार नहीं चलायेगी तब तक प्रदेश में अन्न की पैदावार बढ़ाने का सपना बिल्कुल अधूरा ही रहेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसान की पैदा की हुई चीजों का दाम निश्चित हो ताकि अधिक पैदा करने में लगाई लागत से ज्यादा लाभ मिल सके। अधिक गेहूं पैदा करने के लिये खाद, अच्छा बीज और पानी का प्रबन्ध करता है चूंकि सरकार की नहरों से तो किसान को समय पर पानी मिलता नहीं हर साल उसकी पैदावार सूख जाती है। अंग्रेजों के जमाने में जहां पानी के बिना १७ हजार एकड़ की फसल सूखी थी ४५–४६ में वहां इनके राज्य में सन् ५५–५६ में ४३ हजार एकड़ की फसल सूख गयी। श्रीमन्, फसल सूखती तब है जब उस को समय पर पानी नहीं मिलता है। उस की तादाद तिगुनी हो जाती है लेकिन सींची जमीन का प्रतिशत १५ का है सरकार के आंकड़ों के अनुसार। अब प्रश्न यह है कि क्या कारण है कि नहरों में पानी नहीं बढ़ा लेकिन कहा जाता है कि क्षेत्रफल बढ़ गया है, होता यह है कि पलेवा के लिये २ मास तक बम्बा चला दिया और फिर पानी बन्द हो जाता है, २ बार पानी की जरूरत पड़ती है लेकिन मिलता है एक ही बार और किसानों को पूरी आबपाशी देनी होती है। पानी न मिलने से फसल खराब हो जाती है और बिना सिंचाई के गल्ला कम होता है। कितनी बड़ी विडम्बना है फिर भी माननीय वित्त मंत्री जी अब यह दावा करते हैं कि चूंकि सन् ५४–५५ में अनाजों के भाव गिर गये थे और अब वह चूंकि फिर ऊपर आ गये हैं इसलिये नहर रेट में जो ३ आने की छूट दी गई थी उसको हम बन्द करने जा रहे हैं।

जरा हिसाब लगाया जाय, मैं कानपुर से आता हूं जो पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है, वहां पर उनके मन्थली बुलेटिन आफ स्टेटिसटिक्स के अनुसार सन् ५४ में ३० जनवरी को भाव इस प्रकार थे— गेहूं २ सेर २ छटांक प्रति रुपया, चना २ सेर १४ छटांक, चावल २ सेर, गुड़ साढ़े सात आना सेर, अरहर की दाल ७ आना सेर। और बहुत सी चीजें हैं लेकिन समय की कमी के कारण मैं चन्द आइटम ही दे रहा हूं। अब मैं आज के पायनियर से यह रेट दे रहा हूं चूंकि मार्च, की उत्तर बुलेटिन अभी प्रकाशित नहीं है। वह यह है कि गेहूं २ सेर ४ छटांक, चना २ सेर ११ छटांक, चावल २ सेर ४ छटांक, गुड़ पौने ६ आने सेर और अरहर १८ रुपया प्रतिमन यानी ७ आना सेर से कुछ ज्यादा। अब आप देखें कि कितनी वृद्धि इन भावों में हुई है। गेहूं का भाव सस्ता हुआ है, चने का थोड़ा सा बढ़ा है, चावल और गुड़ कितना सस्ता हुआ, अरहर भी थोड़े से ही मार्जिन के अन्दर है। तो किस आधार पर सरकार ने यह नतीजा निकाला? इन्हीं चीजों की किसान बिक्री करता है और छोटे किसान यही चीजें खरीद कर खाते

हैं। किस तरह से सरकार ने यह नतीजा निकाला कि इन चीजों की कीमतें बढ़ गई और किसान की जिन्दगी पर उसका अच्छा असर पड़ गया ? किस तरह से वित्त मंत्री जी ने यह कल्पना कर के सिंचाई रेट बढ़ा दिये यह समझ में नहीं आता। सरकार इस तरह से गलत बात रखकर क्यों रेट बढ़ाना चाहती है, अच्छा होता कि वह निर्भीकतापूर्वक सफाई से कहते कि हमें पंचवर्षीय योजना के लिये पैसा चाहिये लेकिन इस तरह से गलत तर्क देना उचित नहीं है। यहां तमाम विद्वान् माननीय सदस्य मौजूद हैं उन के सामने गलत तर्क रखना, गलत बात कहना कहां तक न्यायसंगत और उचित है, यह सर्वथा अनुचित और भ्रामक है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, अभी मुझे कुछ समय और दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय २ मिनट ही बाकी है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---अब आप जरा देखें कि यहां और केन्द्र में एक ही पार्टी की कांग्रेस की सरकार है। बड़ा प्रचार होता है शिक्षा बढ़ने का लेकिन अगर आप इस सरकार और केन्द्रीय सरकार के आंकड़ों को देखें तो उन में जमीन आसमान का फर्क है। इस थोड़े से समय के अन्तर को आप देखें। ३१ जुलाई, १९६० को माननीय शिक्षा मंत्री ने सूचना दी कि हमारे यहां ३७,६५२ स्कूल हैं और बजट भाषण में कहा कि ३९,६८९ स्कूल हैं और लक्ष्य हमारा ६३,५६९ का है तृतीय योजना के अन्त में।

अब देखा जाय कि सरकार का इरादा क्या है ? जो ३१ जुलाई के आंकड़े हैं उससे अब तक २ हजार स्कूल बढ़ गये। दूसरे तरफ देखा जाय ६ वर्ष से ११ वर्ष की उम्र के बच्चे जो शिक्षित हो रहे हैं उनका प्रतिशत इस समय ४३.४७ है, यह सरकार ने कहा। १७ तारीख को वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। २३ मार्च को श्री बी०एन० कुरील के प्रश्न के उत्तर में श्री कालू लाल श्री मालो ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा सबसे पिछड़ी हुई है, ६ से ११ साल की उम्र के बच्चों का प्रतिशत जो शिक्षा पा रहे हैं ४५.१ है। कौन-से आंकड़ों पर विश्वास किया जाय ४३.४७ और ४५.१—सिर्फ १.६३ का फर्क है। ९२ लाख बच्चे हैं उस उम्र के तो इस हिसाब से डेढ़ लाख बच्चों का फर्क हो गया। ६ दिन के अन्दर डेढ़ लाख बच्चे पढ़ा दिये। अगर इस हिसाब से पढ़े तो ५४ लाख जो अनपढ़े बचते हैं वह ३०—३५ दिन में सब पढ़ जायेंगे। अगर कागज पर ही यह योजना पूरी की जायगी तो यह निश्चित है कि सरकार का दिवाला पिटने वाला है। ६ से १४ साल की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की बात संविधान में थी। कांग्रेस सरकार की तरफ से कहा गया कि १० साल में हम इस संकल्प को पूरा नहीं कर पाये लेकिन अब अनिवार्य शिक्षा ५ साल में लागू कर देंगे। अब जो योजना है इसमें ६३ प्रतिशत से थोड़ा अधिक यह शिक्षा दे पायेंगे ६ से ११ साल वालों को और ११ से १४ साल वालों को २२.८४ प्रतिशत। ४१ लाख ११ से १४ साल की उम्र के बच्चे प्रदेश में हैं जो अपढ़ हैं और ५४ लाख ६ से ११ साल वाले हैं। तो कुल ९५ लाख हो गये जिनको कि अनिवार्य शिक्षा देने की जरूरत है और वह ६ से ११ साल के बच्चों के लिये कहते हैं कि ६३ प्रतिशत को दे पायेंगे।

पिछले साल मैंने कहा था कि सिंचाई की दरें बढ़ाई गई। ९ करोड़ कुछ लाख रुपया इनको मिलने जा रहा है। प्राप्तियां जो लिखी हैं उन पर यकीन किया जाय या नहीं ? जहां तक इस सरकार का मामला है, कोई तथ्य ऐसा नहीं है जिस पर यकीन किया जाय। हर दफे कुछ न कुछ गड़बड़ सरकार कर देती है। जब तीन आना रुपया कटौती वापस ले रहे हैं तो संस्थापन व अनुरक्षण व्यय बढ़ता जा रहा है। अंग्रेज १ करोड़ ८५ लाख मुनाफा ४५—४६ में छोड़ गये, इन्होंने रेट तिगुना कर दिया तो १ करोड़ ५३ लाख ६०—६१ में मुनाफा रह गया। कैसा कयास है। इन शब्दों के साथ में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट बिलकुल निराशाजनक और किसानों का विरोधी है। कर बढ़ाकर सरकार ने अपने मुंह पर वह कालिख पोती है जिसका कलंक सदा अमिट रहेगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत कुछ चाहते हुये भी मैं इस बजट के लिये माननीय मंत्री जी को बधाई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं यह आशा करता था कि पहली व दूसरी योजनाओं के असफलता के अनुभवों से फायदा उठाकर ही तीसरी योजना का बजट बनाया जायगा। अर्थात् उनके फलों से जो नतीजे हमारे सामने आये हैं उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारी तीसरी योजना की शुरूआत होगी। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना ने हमें यह बताया कि बहुत कुछ कोशिशें करने के बाद भी हम अन्न के मामले में स्वावलम्बी नहीं हो सके न केवल इतना ही, बल्कि हम पूरा ध्यान कृषि पर देने के बाद भी उसके क्षेत्र में उससे संबंधित लोगों के जीवन को ऊंचा नहीं उठा सके हैं। यह मैं इसलिये कहता हूं कि १९५१-५२ में केन्द्रीय सरकार ने खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति की जांच के लिये राष्ट्रीय सांख्यिक परिषद् की ओर से जांच करा दी थी उसके आंकड़े आये और इसके बाद उसी सर्वे के सिलसिले में १९५७–५८ की जो उस कमेटी ने जांच रिपोर्ट दी इन दोनों को देखें और मिलायें तो खेतिहर मजदूरों की हालत गिरी है, उनके काम करने के दिन, तथा उनकी मजदूरी दोनों में कमी आयी है जिसके उदाहरण के लिये मैं मंत्रि मंडल की जानकारी हेतु उस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े पढ़ देना चाहता हूं।

१९५०–५१ में उस कमेटी ने जांच करने के बाद यह रिपोर्ट दी कि खेतिहर मजदूरों को साल में २०० दिन काम मिलता है और १९५७–५८ में वे काम के दिन १९७ रह गये। इसके अलावा अगर हम उनकी मजदूरी देखें तो १९५०–५१ में १०९ नये पैसे थी जो १९५७–५८ में घटकर ९६ नये पैसे रह गयी। केवल इतना ही नहीं इसके आगे मैं और अगली बात कहता हूं कि खेतिहर मजदूर पर, इन तमाम कोशिशों के बावजूद, कर्जा भी बढ़ गया है १९५१–५२ में जो उन पर कर्जा था उसका औसत प्रति परिवार ४७ रुपया था और १९५७–५८ में वह ८८ रुपया हो गया है। हमारी कोशिशों का फल यह रहा है कि जो हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति है या सबसे कमजोर आदमी है उसके जीवन को कितना ऊंचा उठाया है यह इन आंकड़ों से स्पष्ट विदित होता है। १९५७–५८ में जो उनकी कर्ज की स्थिति रही वह यह रही कि उन पर ४७ रु० कर्जा जो था उसमें से २४ फीसदी साहूकारों से, ४४ फीसदी पास पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से लिया और केवल १ फीसदी कर्ज की व्यवस्था हमारे सहकारी विभाग की तरफ से हुई।

मान्यवर, न केवल खेतिहर मजदूरों की ही दशा ऐसी है यदि हम गांव के उन लोगों के बारे में जिनकी संख्या पूरी जनसंख्या की ८० फीसदी है, देखें तो उनके जीवन स्तर में भी कोई अन्तर नहीं हुआ है हमने उनके लिये क्या-क्या व्यवस्थायें की, क्रांतिकारी क्या-क्या कदम उठाये, तो उस से भी सही नतीजा निकल सकता है कि आज तक भी हम किसान की पैदा की हुई चीज के दामों के निश्चय करने का सिद्धांत तय नहीं कर सके हैं। फैक्टरी में पैदा होने वाली चीज के लिये सिद्धांत निश्चित है लेकिन कोई औसत, कोई अनुपात किसान जो अपनी खेती से चीज पैदा करता है उसके दामों तथा कारखानों में पैदा होने वाली चीजों में नहीं है उसके लिये कोई सिद्धांत आज तक प्रतिपादित नहीं हो पाया है। न केवल इतना बल्कि मैं इससे अगली बात भी कहता हूं।

जहां तक टैक्सों का ताल्लुक है हमारे पुराने राजनीतिज्ञों ने जो अर्थनीति के वेत्ता रहे हैं जिनमें कौटिल्य जैसे राजनीतिज्ञ और दूसरे शुक्राचार्य जी जैसे महान अर्थ शास्त्री ने कहा है कि "प्रजा की देने की योग्यता बढ़ाने के लिये प्रजा से धन लेना चाहिये," और कौटिल्य ने कहा है कि "हमें जनता से इस ढंग से टैक्स लेना चाहिये जैसे पेड़ से पका फल" लेकिन हमारी कर की नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उन गरीब किसानों पर जिनकी हालत अभी नहीं सुधरी है २ करोड़ रुपये का नया टैक्स इस बजट में बढ़ाया गया है। यह किस किसान पर बढ़ा है? यह उस किसान पर बढ़ा है जो सिंचाई के मामले में अभी स्वावलम्बी नहीं हुआ है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि जो बड़े किसान हैं उन्होंने अपनी आबपाशी का इंतजाम सरकारी साधनों से, कर्जा लेकर, अनुदान लेकर अपने ट्यूबवेल द्वारा कर लिया। मध्यम श्रेणी के किसानों ने अपने रेहट और अपने कुयें बनवा लिये हैं चाहे जिस तरह से हो। लेकिन जो किसान साधनहीन हैं,

जो छोटा है जिसे कर्जा नहीं मिल सका, न साहूकार से और न सरकार से वह आज पानी के लिये मुहताज है, उससे आज २ करोड़ को धनराशि लेने जा रहे हैं जो मजबूर हैं, जो असमर्थ हैं और इस योग्य नहीं हैं कि टैक्स दे सकें। और इतना भी नहीं, मैं इससे और अगली बात कहता हूं।

चकबंदी हमारे विकास कार्यों में शामिल है। उसका एकमात्र लक्ष्य कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है। जब कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है तो जाहिर-सी बात है कि उसके खर्चे का भार सरकार पर ही पड़ना चाहिये। आज वह किसानों से वसूल किया जा रहा है लेकिन किस ढंग से वसूल किया जा रहा है? वह बताऊं इन्हीं दिनों मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने का अवसर मिला। किसानों को कुर्की की जा रही है, उनको जेल में बन्द किया जा रहा है। ५ रुपये के लिये किसान हवालात में बन्द होते हैं और जेल भेजे जाते हैं। ५० रुपये उस ५ रुपये पर और खर्च पड़ जाता है। यह ५५ रुपया किसान से इस तरह वसूल किया जा रहा है। मुझे दुख है, खेद है और निराशा है और न केवल निराशा बल्कि एक चिन्ता भी है कि ये हमारे महान नेता जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर नये समाज की रचना का स्वप्न देखा अगर ये अपने युग में इस तरह की समाज की रचना नहीं कर जायेंगे तो भविष्य में किससे आशा करूं? ५ रुपये जिस आदमी पर चाहिये उसके बैलों की कुर्की होती है लेकिन कानपुर के पूंजीपतियों पर ३ करोड़ रुपये सेल्स टैक्स का बकाया है इस सरकार को हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सके। (विरोधी दलों की बेंचेज से शैम शैम के नारे) माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ा भय है कि जो सबसे बड़ा स्वप्न आज के राजनीतिज्ञों के सामने है वह है लोकशाही को मजबूत करना और उसकी मजबूती के लिये आवश्यकता यह है कि शक्ति और सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण हो। हमने इन दिनों में शक्ति और सम्पत्ति का विकेन्द्रीयकरण किस सीमा तक किया यह हमें सोचना होगा। मैं मान सकता हूं और इसके लिये बधाई भी दे सकता हूं कि बहुत कुछ शक्ति का पंचायतों की स्थापना से विकेन्द्रीकरण हुआ है लेकिन जहां तक सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण का सम्बन्ध है मैं यह कह सकता हूं कि यह नतीजे जो हमारे सामने सरकारी रिपोर्ट से आते हैं वे इस बात को सिद्ध करते ह कि सम्पत्ति केन्द्रित होती जा रही है बजाय इसके कि वह बहुत से हाथों में फले। इसलिये मौलिक रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी हमारे अर्थनीति में अवश्य है जिसकी वजह से बहुत कुछ चाहते हुए भी सरकार को चलाने वाले जो महानुभाव, हैं, मैं उनकी नीयत पर कोई शक व शुबहा नहीं करता, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि पूंजी के बटवारे के लिये आगे कदम उठायें। मैं नहीं जानता कि उसमें क्या क्या दिक्कतें और क्या-क्या परेशानियां उनके सामने हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर, एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारी पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के ये नतीजे हमारे सामने आये कि हम खाद्य के मामले में स्वावलम्बी नहीं हो सके तो सबसे पहला हमारा काम यह है कि हम अपनी स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिये खाना, कपड़ा और मकान के मामले में स्वावलम्बी हों और अगर हम इस सम्बन्ध में अपने देश को स्वावलम्बी नहीं बनाते तो स्वर्गीय डाक्टर जे० सी० कुमारप्पा साहब के शब्दों में कि हम स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं और स्वतंत्रता न सही तो कम से कम हम जनतंत्र को अवश्य खतरे में डालते हैं और खाली यही नहीं कि यह भूल हमने अब तक की है, मुझे भय है कि आगे भी ऐसी ही भूलें होने जा रही हैं।

आज ही हमारे मुख्य मंत्री जी का बयान निकला है कि प्रदेश में बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये एक नये निगम की स्थापना होने जा रही है, जो 'वृहत उद्योग निगम' के नाम से पुकारा जायगा और इसमें ५१ प्रतिशत शेयर सरकार के होंगे। देखना यह है कि क्या राष्ट्रपिता पूज्य बापू के स्वप्न हम बड़े-बड़े उद्योग कायम करके पूरा कर सकते हैं, इस प्रान्त की ८० प्रतिशत जनता का जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं या कर सकेंगे और इतना ही नहीं प्रश्न हमारे सामने ह है कि हम व्यक्ति को किस तरह से स्वावलम्बी बनायें। बड़े-बड़े उद्योग तथा बड़ी-बड़ी

[श्री महीलाल]

खेती व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती हैं या व्यक्ति को स्वतंत्रता देती हैं ? डाक्टर जे० सी० कुमारप्पा साहब जो पूज्य बापू के सबसे बड़े अर्थ शास्त्र के मामले में परामर्शदाता थे उन्होंने परामर्श दिया है कि हम अपने देश में बड़ी खेती और बड़े उद्योगों से स्वतंत्रता को कायम नहीं रख सकेंगे, बल्कि उन्होंने अपना मत यहां तक दिया है कि जिस वर्तमान तरीके से हम चल रहे हैं उसमें हम अपने समाज को अफसरशाही तथा पूंजीशाही के, दो पाटों के बीच में जनता के गले को दबा रहे हैं।

मुझे आज बड़ी खुशी होती क्योंकि मेरी आशा पूरी होती यदि विशेष तौर से हमारे इस बजट में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ विशेष धनराशि की व्यवस्था की गयी होती। आज आप का किसान अपनी कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये धन के अभाव में बहुत कुछ चाहते हुए अपने रहट के कुवें भी नहीं लगा पाते और जब लगाना चाहते हैं तो जो आपकी व्यवस्था है, शासन का जो अंकुश है उसकी वजह से रहट के कुयें बनाने के लिये उनको भी सामान नहीं मिल पाता। आज ईंट व सीमेंट उसको मयस्सर नहीं है। आज किसान को रहट की बालटियां बनाने के लिये टीन नहीं मिलता और दूसरी तरफ बड़े-बड़े कोटे टीनों के तथा सीमेंट के बराबर बड़े-बड़े पूंजीपति लेते चले जा रहे हैं और लौट कर वही सीमेंट, वही टीन किसानों के पास ड्योढ़े तथा दूने दामों पर पहुंचती है। मैंने एक किसान को रहट बनाने के लिये १० हंडरवेट टीन दिलवा दी उसने कहा कि रहट में मुझे १०० रुपये की किफायत हो गई। सौ रुपये कम में मुझे वह रहट मिल गया जो टिन न मिलने पर सौ रुपये ज्यादा में मिलता। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती और मैं वित्त मंत्री को बधाई देता यदि उन्होंने प्रदेश के उन ८० प्रतिशत लोगों के लिये कुछ विशेष व्यवस्था की होती।

आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम बेरोजगारी को कैसे कम करें। इस सिलसिले में हमारे मंत्रिमंडल के प्रमुख अंग, माननीय चौधरी चरणसिंह जी का यह मत रहा है और आज भी है, मैं उनके मत से सहमत हूं कि खेती पर अधिक बोझ नहीं बढ़ना चाहिये। लेकिन अन्तर केवल यह है कि आया खेती हम खेती करने वालों के हाथ में दें या खेती के नाम पर जो लोग बैठ कर खाते हैं, खेती का स्वामी उनको ही बनायें रखें। खेती पर जो लोग काम करते हैं खेती का मालिक उन्हीं को होना चाहिय। मुझे यह कहते हुये खेद होता है और न केवल मुझे ही खेद होता है बल्कि कुछ दिनों के बाद जिन लोगों ने अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक को पास किया है उनको भी यह जान कर खेद होगा कि उससे कोई भूमि उन गरीब लोगों को देने के लिये मिलने वाली नहीं है और उल्टे सरकार के बजट को एक बड़ा धक्का इस रूप में लगेगा कि जो धन सरकार के खजाने में कृषि कर के रूप में आता था वह कम हो जायगा और न केवल वह कम ही हो जायगा बल्कि एक बहुत बड़ा मुआवजा ऐसी जमीनों के लिये जो बिल्कुल बेकार पड़ी थीं, जिनसे कोई पैदावार नहीं होती थी और केवल नाममात्र के लिये लोगों ने अपने नाम लिखा रखी थीं, सरकार को अपने खजाने से देना पड़ेगा। जिस ढंग से हम चल रहे हैं, जो हमारी कर की नीति है उससे प्रदेश का जो गरीब मजदूर और छोटा किसान है उसकी निराशा बढ़ती ही जा रही है और उसका असंतोष बढ़ता जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, बहुत समय हो गया मुझे देखते-देखते लेकिन कृपा तो हुई किसान के ऊपर, पुकार हो गयी। बजट के बारे में मैं बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सुन रहा हूं। कुछ भाई कह रहे हैं बजट के लिये धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि हर एक चीज के लिये धन्यवाद। जो हमारी सरकार ने काम किया है वह विश्व में कोई दूसरा नहीं कर सकता। वह कौन काम किया ? कुनबापरस्ती का। न आजतक ऐसी कुनबापरस्ती किसी ने की और न विश्व में कोई कर सकता है। दूसरी बात जितना गरीबों पर इस सरकार ने कस लगाया विश्व में आज तक न किसी ने उतना लगाया और न आगे लगाया जायगा।

इसके लिये भी धन्यवाद। तीसरी बात हमारी सरकार ने यह की कि जो कोई कर नहीं सकता। ब्लैकबाजी, रिश्वतखोरी, चोरबाजारी सरकार ने इस देश में चलाया और वह जिस तरह से फल फूल रही है ऐसा कोई विश्व भर में नहीं कर सकता। चौथे शासन करने में जैसी हमारी सरकार अयोग्य साबित हुई ऐसी विश्व भर में दूसरी सरकार नहीं हो सकती और न आगे होने वाली है।

हमारे सब विरोधी भाई बैठे हैं। ये विरोधी नहीं हैं, ये सरकार की जड़ में पानी लगाने वाले हैं। ये ही सरकार को जिताने वाले हैं और ये ही सरकार को बचाने वाले हैं। जनता ने सन् ५२ में विरोधियों को ५५ फीसदी और सरकार को ४५ फीसदी वोट दे कर सरकार को हरा दिया था लेकिन हम लोगों ने, विरोधियों ने इस सरकार को जिन्दा रखा। अगर यही हालत विरोधियों की रही तो सन् ६२ में भी ये विरोधी इस सरकार को जिन्दा रखेंगे। इसलिये ये विरोधी नहीं हैं, यह तो एक मिलीजुली कुश्ती वाले नेता हैं चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों। आपके द्वारा जो समय मिलता है वह नेताओं के लिये ही, बात जो सुनी जाती है वह नेताओं की, निवेदन सुना जाता है वह भी नेताओं का, लेकिन गरीबों का, किसानों का कोई निवेदन नहीं है, किसानों की कोई परवाह नहीं है, मरें चाहे जिन्दा रहें, लेकिन यह सरकार फले और फूले और विरोधी नेता भी इसके साथ-साथ फलें और फूलें। यह चीज है श्रीमन्, म आपके द्वारा कह रहा हूं कि यह समाजवादी भी ऐसे ही हैं जो सरकार के साथ मिल रहे हैं। सरकार तो मौत के घर जा रही है लेकिन यह लोग बिला वजह उसका पीछा कर रहे हैं कि हम भी तुम्हारे साथ मरेंगे।

श्रीमन्, यह सरकार भी कैसी है। गरीब किसानों पर टैक्स लगाये जाती है। आबपाशी पर टैक्स तीन आने लगा दिया है जिसके लिये हजारों आदमी जेलखानों में गये। आज हजारों एकड़ जमीन में जिला मथुरा में पानी भरा हुआ है, सरकार उसका तो कोई इंतजाम करती नहीं है और उल्टे टैक्स लगाती जाती है। यह बड़ी बुरी चीज है। जो भले आदमी हैं वह जिस काम को करते हैं उसको कहते हैं और जिसको नहीं करते हैं उसको कहते नहीं हैं। वाह रे मेरी सरकार धन्य है तेरे लिये। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आज चालाकी और मक्कारी से ही अपना काम निकाला करते हैं।

श्रीमन्, आपके द्वारा कहता हूं कि आज किसानों की यह हालत है कि जो गरीब किसान हैं उनके खेत पर तीन रुपये बीघे टैक्स लिया जाता है और बड़े आदमियों से उसी के बराबर वाले खेत से एक रुपया बीघा लिया जाता है। यह सरकार का काम ठीक नहीं है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करता हूं कि यह निकम्मी सरकार अपने को ठीक करे नहीं तो १९६२ में इस सरकार को जनता रहने नहीं देगी और विरोधियों को भी रहने नहीं देगी। इन विरोधियों की आज हालत यह है कि गवर्नर के वायकाट के लिये तो यह लोग उठ गये। लेकिन जब प्रस्ताव आया तो केवल ११ वोट ही पड़े। वाह रे विरोधियों, जब हाथ उठाये गये तो केवल ११ उठे और जब बायकाट का सवाल आया तो सब चले गये। मैं कह रहा हूं कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। आज जरूरत इस बात की है कि किसानों के साथ न्याय किया जाय और बापू जी के कहने के अनुसार चला जाय। अब जमाना बदलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि रोज नई नई मिनिस्ट्रियां बन कर हमारे सामने आती हैं। कल परसों जो कृषि मंत्री थे वह आज स्वास्थ्य मंत्री हो गये, यह उल्टा राज हो रहा है। अगर कृषि मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाय तो वह हल चलायेगा या नब्ज देखेगा और सुई लगायेगा। मामला तब बनेगा जब जिस के लायक जैसा काम होना चाहिये वह दिया जायगा। यह रात में एक होते हैं और दिन में विरोध करते हैं। श्रीमन्, नेता की पहचान आप जानते हैं। वह यह है कि--

"यह है नेतन की पहचान, बदन पर अचकन हो मजेदार।
पहन पायजामा चूड़ीदार, हाथ में बना हुआ अखबार॥
बैठे कुर्सी पर करें विचार, मूछें हों सफाचट मैदान।
यह है लीडर की पहचान।"

[श्री टीकाराम पुजारी]

मैं एक बात आपके द्वारा कहूंगा। मथुरा जिले में हजारों एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ है। वह अभी तक नहीं निकाला गया। न खरीफ की फसल हुई और न रबी की फसल हुई। वहां का किसान त्राहि त्राहि कर रहा है। रजबहा कुसेंडा मुस्तकिल नहीं किया गया। छः साल से पूरी आबपाशी ली जा रही है। मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला कर कहा कि इसको मुस्तकिल किया जाय लेकिन इस सरकार के रजबहे तो तब चलते हैं जब फरवरी का महीना होता है और जब पानी की जरूरत होती है तब रजबहे बन्द हो जाते हैं और पूरी आबपाशी ले लेते हैं। आज किसान के ऊपर तीन आने लाद दिये गये। वह अपनी मौत के दिन देख रहा था ऐसी स्थिति में उस पर दोबारा कोप हुआ।

चीन ने ४५ हजार वर्ग मील जमीन ले ली और हम चुप बैठे हैं।

न राजा न रंक, छिपी नहीं और पुजारी पंडे से,
जो काम किसी पर नहिं होता, होता है वह डंडे से,
सासू का पानी भरती चुहिया, भय खाती है डंडे से,
चार अंगुल की लकड़ी पर बकरा पैर जमावे डंडे से,
बैठ पींजरा में सिंह मनुष्य को शीश झुकावें डंडे से,
राजकुमार सवार, चतुर, घोड़े को नचवाये डंडे से,
खेती करे किसान बैल पर चलना आवे डंडे से।
जो चीन नहिं मानता है तो वह भी मानेगा डंडे से।

कभी सीधी उंगुली से घी निकलता है? इस कुर्सी को छोड़ो इस देश को क्यों पराधीन बनाये हुये हो। अफीमी नशाबाज ४५ हजार वर्ग मील जमीन दबाये बैठा है। ऐसी सरकार चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरती और जनता को भूखा मार रही है?

बेशरमाई, निर्लज्जपन का तन से जामा उतारि दे तू,
चोर बजारी, रिश्वतखोरी, तन देके मित्र बिसारि दे तू
कायरता, कमजोरी को काला मुंह करके निकारि दे तू,
जीवै तो सीना खोलि के जी, चाहे सारे काम बिगारि दे तू,
वरना उससे मरना अच्छा, इस जीवन पर धिक्कार दे तू।

कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार बदलती चली जा रही है कुर्सियां मजबूत हो रही हैं। कल कोई मंत्री है आज कोई मंत्री है। जनता की कोई खबर लेने वाला नहीं है। त्राहि त्राहि देश में हो रही है। मैं आशा करता हूं कि यह तीन आने पैसे जो गरीब किसान पर बढ़ाये हुये हैं जल्दी से जल्दी उन्हें खत्म किया जाय और सहपऊ क्षेत्र में जो हजारों एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ है उसको निकाला जाय। राया से सादाबाद सड़क जो १८ मील कच्ची है ६५ साल की उसको इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में पोख्ता किया जाय और जो रजबहा कुरसंडा है उसको मुस्तकिल किया जाय। ६ साल की जो पिछली आबपाशी ली है उसको वापस किया जाय। अब समय आ गया है। ६२ में मालूम पड़ जायगा। आप क्या कहेंगे और हम क्या कहेंगे? मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—अधिष्ठाता महोदय, पुजारी जी के बाद बोलने का काम एक मुश्किल काम है क्योंकि वह सदन का समां ही एकदम बदल देते हैं। मैं जो कुछ कहना भी चाहता हूं; उसमें दिक्कत यह है कि मौजूदा जो मंत्रिमंडल आजकल बना है जिस ढंग से, जिस आहिस्ता-आहिस्ता क्रम से उसका विकास हो रहा है उसके बजट के बारे में एकाएक मेरे लिये जरा मुश्किल बात है कि वह सब बातें जो मैं बजट के लिये कह सकता हूं वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके नाम लिख सकूं। यह जरूरी बात है कि जो आशायें एक तब्दीली के बाद हुई थीं उन आशाओं के दृष्टिकोण से जब इस बजट को देखा जाता है तो कुछ मात्रा में निराशा होती है। और इसलिये मैं जो बातें कहना चाहूंगा कि सिर्फ उसके तक सीमित होंगी कि क्या बातें हो सकतीं थीं इस बजट से? अगर हो सकती थीं, तो जो प्रारम्भिक कदम उठाये जा सकते थे वह उठाये गये या नहीं उठाये गये? मैं उनकी पाबंदियां, सीमायें, और जो परेशानियां इन तीन चार महीनों में इस प्रदेश में रही हैं उन सबको अपने सामने रखता हूं और उसके बावजूद भी मेरा खयाल है कि इस बजट में खामी है। सबसे बड़ी खामी जो मुझे दीखती है वह यह है कि इस बजट को पढ़ने से या सुनने से कुछ यह पता नहीं चलता है कि इस प्रदेश को किस तरफ ढालने का एक संकल्प है क्योंकि यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का पहला साल है। मुझे मालूम हुआ कि यह बात और दोस्तों ने भी कही। मैं भी इसमें यह एक बहुत बड़ी कमी महसूस करता हूं कि इसको देखने से या सुनने से ऐसा कोई स्पष्ट असर किसी के ऊपर नहीं पड़ता है इस प्रदेश का तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल का बजट किसी खास तरफ दृढ़ता के साथ संकल्प के साथ एक फैसले और इरादे के साथ ले जाने का तहैया है। ऐसा कुछ इसमें दिखाई नहीं पड़ता है। जहां तक रुपये के एलोकेशन का संबंध है उसमें कोई सरकारों की बड़ी देन नहीं होती। आखिर, बजट क्या होता है? बजट महज एक आंकड़े नहीं होते हैं आमदनी और खर्च के। बजट एक वह डाक्यूमेंट होता है जिस डाक्यूमेंट के जरिये किसी सरकार के एस्पिरेशंस जो हैं, उनकी धारणायें जो हैं, उनकी आकांक्षायें जो हैं वह किधर को ले जाना चाहती हैं, उसका वह एक शीशा, दर्पण सा होता है। तो वह चीज इसमें देखने को नहीं मिली। जो कदम उठे थे शुरू में वह भी नहीं चल पाये। जैसे मोटे तौर से मैं एक मिसाल देता हूं।

इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक बहुत अच्छी प्रारम्भिक घोषणा की कि वह अपना जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का उसका आधार बदलना चाहते हैं। बड़ी जरूरत थी इस बात की। उन्होंने एलान किया कि वह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज आनरेरी करेंगे। यह एक बड़ा अच्छा कदम था। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी एक हैंगर्स कहलाते हैं, उनकी जगह एक ट्रेनिंग ग्राउंड होती है जिसमें पार्टी के जो टेलेंट्स हैं, जो होनहार लोग हैं उनको रखा जाता है। यह एक बड़ा भारी कदम था जिससे आशा थी कि वह सारे स्ट्रक्चर को मोड़ना चाहते हैं। मगर वह कर नहीं पाये। अब तक का जो २३ आदमियों का ढांचा है उसमें सबसे कमजोर लिंक जो है वह दो या तीन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का है। यानी उसका स्ट्रक्चर जिस तरह से बनना चाहिये उस तरह से वह नहीं बना। वह बना नीचे से कमजोर। जब आप अपना कदम एक किनारे हटाने लगते हैं तो फिर सारी लाइन पर हटना पड़ता है। इसी प्रकार से दूसरी चीज, जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरी समझता था और मैं आशा करता था उस पुरानी सरकार से भी कहा जाता था, कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं प्लानिंग में जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का विभिन्न मुहकमों के साथ रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन न हो। अगर एक महकमा दूसरे महकमे के मसले समझता है और उन महकमों को हम गलत तरीके से काट दें कि इसके मसले दूसरे हैं तो हम ऐडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरफ मोड़ नहीं सकते। जिस तरह से विभागों का वर्क तकसीम हुआ है उसमें मुझे रेशनल बेसिस नहीं लगा। मैं उन बातों को कहना चाहता हूं जो बगैर खर्चे के हो सकती थीं और जिससे असर बढ़ सकता था। हमने एक तहैया किया इस तरफ ऐडमिनिस्ट्रेशन को ढालने का जिससे पता चल सकता था कि एक तरीका मसलों को सुलझाने का था जिस तरह से हम लोग उसको ढालना चाहते थे किन्तु उसमें कुछ मुझे मायूसी की बात लगी।

जहां तक रुपये का सवाल है मेरा यह खयाल है कि जो प्लानिंग हमारे देश में १० साल से हो रही है उसके बारे में यह कहना कि उससे देश के लोगों का फायदा नहीं हुआ है मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मेरा खयाल है कि प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा हमारे देश में यह हुआ कि आम आदमी प्लानिंग के बारे में सोचने लगा है और फायदा जानने लगा है। आज गांव का आदमी यह मानने लगा है कि प्लानिंग होनी चाहिये। प्लानिंग से उसकी वाकफियत

[श्री गोविन्दसहाय]

हुई। लोगों ने फायदा भी उससे उठाया। प्लानिंग ने लोगों के अन्दर प्रायोरिटी की भावना को पैदा किया कि कौन से मसले पहले तय होने चाहिये, यह भाव जागृत किया है। इसलिये मैं उन दोस्तों से सहमत हूं जो बराबर यह कहते हैं कि हमारी प्लानिंग से उपज नहीं बढ़ी है या लोगों का स्टैन्डर्ड नहीं बढ़ा है। आप देखिये कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं वह गांव में जाने लगे हैं या नहीं। गांव के अन्दर प्लानिंग के काम हुये हैं, चकबन्दी हुई है। आज गांव के अन्दर साइकिल की खरीदारी, सीमेंट की खरीदारी, पक्के मकानों का बनना अधिक संख्या में आरम्भ हुआ है। इन चीजों की मात्रा गांव में बढ़ी है। इस प्लानिंग से फायदा हुआ है ऐसा मैं मानता हूं। मगर प्लानिंग के लिये मेरा जो एतराज है और जो दस साल में मुझे कहने का मौका मिला वह यह कि हमारी प्लानिंग में कई ऐसी त्रुटियां हैं जो हमारे जानने लायक हैं। हमारी प्लानिंग में जहां जीवन के एक क्षेत्र में तरक्की हुई है वहां २, ३ क्षेत्रों में जीवन के तनज्जुली भी हुई है। जहां हमारे इकानामी के क्षेत्र में तरक्की हुई है और कृषि के क्षेत्र में लोगों ने लाभ उठाया है वहां नैतिक क्षेत्र में बहुत जबरदस्त गिरावट हुई है। आज प्रत्येक कानून को तोड़ना, झूठ बोलना, टैक्स न देना, चोरी करना यह मर्ज सोसाइटी में फैलने लगे हैं। इस के माने यह हैं कि प्लानिंग के जरिये से जो व्यवस्थित तरक्की होनी चाहिये थी वह हमारे समाज में नहीं हुई है। हमारे समाज में स्पोरेडिक तरक्की हुई। ऐसी तरक्की हुई है कि समाज के एक सीगे में तो तरक्की हुई है लेकिन दूसरे सीगे से उसका रिश्ता नहीं है। प्लानिंग का जो मतलब है वह यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में एक व्यवस्थित तरक्की करना है।

दूसरी बड़ी कमी जो मैं महसूस कर रहा हूं और जिसके लिये मुझे कभी-कभी शक होता है कि इतिहास हमारे बारे में क्या कहेगा। जब कभी सोसाइटी बनती है तो पहला इम्तेहान यह होता है कि जो सोसाइटी के गुण होते हैं वे गुण सोसाइटी के अन्दर समावेश होने लगते हैं या नहीं। जैसे कि आप सोशलिस्टिक सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो जो सोशलिस्टिक सोसाइटी की मान्यतायें हैं वह हमारे समाज के अन्दर आहिस्ता-आहिस्ता आ रही हैं या नहीं। मैं ऐसा समझता हूं कि इस दिशा में बहुत कम प्रयत्न किया गया है।

आज सोशलिज्म की चर्चा सभी तरफ से है और इसके बारे में मैं अपने विरोधी सोशलिस्ट भाइयों से भी कह सकता हूं कि इतिहास उन्हें भी माफ नहीं करेगा कि उनकी तरफ से भी कोई इस तरह का सुझाव नहीं आया और न मुझे जानने का मौका मिला कि सोशलिस्टिक वेल्यू पैदा करने के लिये समाज के अन्दर किस तरह से उसको ढालना चाहिये। मेरे भाई राजनारायण जी कभी-कभी सोशलिज्म और मार्क्सिज्म की चर्चा करके हाउस का रुझान बदलते हैं, मैं उन से भी यह कह सकता हूं कि मुझे आज तक उनकी जबान से यह सुनने को नहीं मिला कि सोशलिस्ट ट्रान्सफार्मेशन कैसे हो। यह तो उन्होंने कई बार बतलाया कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, लेकिन यह कैसे हो और इस को लाने के लिये क्या किया जाय, इस ओर उनके सुझाव नहीं आये और किसी सोसाइटी को बदलने का काम आसान नहीं होता।

जैसा मैंने पहले कहा था, मैं मानता हूं कि डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी काम में वक्त कुछ ज्यादा लगता है, लेकिन उसकी दागबेल तो ठीक हो, रेल ठीक पटरी पर तो आ जाय, आज तो इसमें ही शक मालूम होता है। हमारे देश में और भले ही कुछ हुआ हो, लेकिन जातीयता, संकीर्णता, रीजनलिज्म बहुत तेजी से फैल रहे हैं। अगर प्लानिंग में हम लोगों के विचारों को भी साथ न ले चल सकें तो मैं उसे सफल प्लानिंग नहीं कहूंगा। बजट अलाटमेंट में जब मैं इस तरह की शिकायत करता हूं, तो उसकी चर्चा इसमें कैसे हो इसका सवाल नहीं है, सवाल अटेंप्ट का है। आया उस के लिये इसमें अटेंप्ट किया गया है अथवा नहीं कि जिससे जातीयता दूर हो, जिसमें लोगों में टैक्स इवेंजन के विचार अधिक न फैलें, यह हमें देखना चाहिये। मिसाल के लिये सेल्स टैक्स का मामला है।

मेरा खयाल है कि जिस तरह भेड़िये अपने शिकार की तलाश करते हैं उस तरह से छोटे दूकानदारों से सेल्स टैक्स वसूलने के लिये व्यवहार किया जाता है। कस्बे के लोग, छोटे

दूकानदार टैक्स देने के लिये तैयार हैं, लेकिन उनसे पूछा जाता है, कि आपने कोई हिसाब रखा। अगर उसने हिसाब नहीं रखा तो कहा जाता है कि आप मुलजिम हैं। आपने हिसाब क्यों नहीं रखा ? लेकिन अगर उसने हिसाब रखा है तो चार्ज लगाया जाता है कि यह गलत है। आपकी आमदनी, आपका सेल ज्यादा है। मुकदमेबाजी का जो प्रोसेस है अदालतों में जिस तरह से १०, १० दफा पेशियां बढ़ती हैं, उससे लोगों में जबरदस्त बेचैनी फैल रही है। तो हमारा मकसद कानून पास करने से यह होना चाहिये कि उसका एक्जीक्यूशन किस तरह से अच्छी प्रकार से हो सकता है, उसके पीछे स्पिरिट क्या हो। छोटे-छोटे दूकानदारों, पानवालों, खोमचेवालों को अगर हम हैरस करेंगे और बड़े दूकानदारों को हैरस न करें तो हम भले ही सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना की बात मुंह से कहते रहें, लेकिन हमारे प्रशासन की मशीनरी जो है, उसकी जो पहुंच है वह एंटी-सोशलिस्ट होगी और हम अपने मकसद में सफल नहीं हो सकेंगे। तो मेरा खयाल है कि कांग्रेस की सरकारें जो यहां इतने पिछले सालों से हैं, वे इस दिशा में किन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और इस सिलसिले में जो विचार मेरा दस साल पहले था उसमें आज भी तब्दीली नहीं आ पायी है। कुछ अदलाबदली से यह नहीं हो पाया है। कांग्रेस लीडरशिप ने सोशलिज्म को मंजूर कर के ऐडमिनिस्ट्रेशन को जिस दिशा में चलाना चाहिये था उस तरफ उसे नहीं चला पायी है और उसके लिये आवश्यक कदम नहीं उठा पायी है। यह एक ऐसा कदम है कि जो आवश्यक है और इसके लिये हमें अपने दिल और दिमाग से पूरे तरीके से सोच कर कोई कदम उठाना पड़ेगा।

अभी मेरे एक साथी ने सरकार को बधाई दी इस बात के लिये कि यह सरकार विकेन्द्रीकरण कर रही है। मेरा ईमानदाराना खयाल यह है कि या तो हम व्यवहार में जा कर देखते नहीं या कुछ बात उसके पीछे और है। आज व्यवहार में विकेन्द्रीकरण नहीं है। महज पंचायतों का चुनाव करा देने से, सरपंच बना देने से विकेन्द्रीकरण नहीं होता। हमें देखना होगा कि जो आपकी एक्जीक्यूशन के लिये मशीनरी है वह भी पब्लिक के चुने हुए नुमाइन्दों की, उनकी बातों की कदर करने लगी है या नहीं, उनकी बातों को मानने लगी है या नहीं। इसकी मैं एक ही मिसाल देता हूं।

इस प्रदेश में आज ५०, ६० हजार से ज्यादा पंचायत के सरपंचों की ट्रेनिंग हो रही है। आप किसी भी जिले की बात मुझे बतला दीजिये कि जहां प्लानिंग अफसर ने वहां के एम० एल० एज० या पब्लिक के किसी आदमी को लिख कर भेजा हो कि हमारे यहां प्रधानों की ट्रेनिंग हो रही है, आप इसमें आकर शरीक होइये हमारी मशीनरी ऐंटी पोलिटिकल है, ऐंटी पब्लिक है। आप भले ही न मानें, किसी भी सर्विस पर्सनेल से बात करके आपको यह बात पता लग जायगी। हमारी भी यह कमजोरी है कि हम एक दूसरे को कहते रहते हैं कि तुम खराब हो, तुम खराब हो। इसके लिये हमारा भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिये। अगर सही मानों में आप जम्हूरियत चाहते हैं तो पोलिटिकल लोगों को आप इस तरह से रन डाउन न करिये। आज हम देखते हैं कि पोलिटिकल लीडरों का स्तर बहुत गिर गया है उनकी निगाहों में। आज आप देखें कि ट्रेनिंग पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन कभी भी किसी पब्लिक मैन को इनवाइट नहीं किया जाता। तो विकेन्द्रीकरण के लिये पहली जरूरी चीज यह है कि नीचे से ऊपर तक सारे देश की मशीनरी में बदलाव किया जाय और उनकी नजरों में पापुलर लीडरशिप की इज्जत को बढ़ाना चाहिये।

मैं आज ऐसा महसूस करता हूं और मेरा अपना तजुर्बा है कि ८/१० साल पहले डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज का आदमी उनकी जितनी इज्जत करता था आज उतनी नहीं है। पहले अगर कांग्रेस मंडल कमेटी का सभापति किसी थाने में जाकर कोई बात कहता था तो उसकी बात को माना जाता था और उसकी कुछ इज्जत होती थी। लेकिन आज कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटी का भी सभापति किसी से कुछ कहे तो उस पर ध्यान तक नहीं दिया जाता। अगर वह

[श्री गोविन्दसहाय]

किसी आफिसर से कोई बात कहता है तो यह तो निश्चय ही समझ लेना चाहिये कि वह काम पूरा नहीं होगा। वे लोग बड़ी मासूमियत से कह देते हैं कि हम पालिटिक्स में नहीं पड़ते। तो यह एक खतरनाक चीज है। मेरे लिये यह कोई मानी नहीं रखती कि अमुक जगह पर अस्पताल हो जाय, फलां जगह पर सड़क बन जाय वहां पर यह काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमने जो आजादी के बाद सोशलिस्टिक इकोनामी की ओर जाने का इरादा किया था, उस रिवोल्यूशन की जो बात कही थी, उसके लिये हमें जिन चीजों को करना चाहिये था, उनको हमने नहीं किया। आज स्कूलों में १०वें दर्जे तक की फीस माफ हो जाय, या स्कूलों की संख्या बढ़ा दी जाय, मैं समझता हूं इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं इसको सोसाइटी के लिये एक खतरनाक बात समझता हूं। होना तो सब से पहले यह चाहिये कि जो हमारा स्टैन्डर्ड है शिक्षा का, उसका जो सिस्टम है, उसको पहले बदला जाय। पहले उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। इस तरह हम किसी भी स्टेज में कामयाब नहीं हो रहे हैं।

एक शिकायत यह की जाती है कि ब्योरोक्रेसी दिन प्रतिदिन हावी होती जा रही है। मेरा तो कहना इस संबंध में यही है कि इस चीज को कोई रोक नहीं सकता है। इसमें एक नैतिक दोष है और जब तक वह दोष रहेगा इसको दूर नहीं किया जा सकता। तीन-चार चीजें ऐसी हैं जिनका एक दूसरे के साथ घनिष्ट संबंध है। कांग्रेस, डेमोक्रेसी, प्लानिंग और सोशलिज्म, यह चार चीजें ऐसी हैं जिनका एक दूसरे के साथ संबंध है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कांग्रेस के साथ डेमोक्रेसी का संबंध है, डेमोक्रेसी का गहरा संबंध प्लानिंग से है और प्लानिंग का गहरा संबंध सोशलिज्म से है। अगर एक भी इसमें से टूटता है तो उसका असर पूरी प्लानिंग पर पड़ता है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मुझे ५ मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—अभी आपके दो मिनट शेष हैं। ५ मिनट का समय मैंने आपको पहले ही ज्यादा दे दिया है।

श्री गोविन्दसहाय—एक बात मैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में और कहना चाहता हूं। मेरा खयाल यह है कि इसकी जो मशीनरी है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। इस बात को यूनानीमसली कहा जाता है कि विलेज लेविल पर पंचायत सेक्रेटरी एक हो जायं। इसके लिये यूनानीमसली रिकमेन्ड किया गया। पब्लिक की तरफ से एक राय आती है, सब जगह से एक राय आती है, लेकिन फिर भी उस राय को मंजूर नहीं किया जाता है।

दूसरी बात अंतरिम जिला परिषदों की है। उनका चुनाव कराया जा रहा है। मैं अपनी बात को आज भी दोहराता हूं और मेरा अब भी यह खयाल है कि जिस ढंग से यह चुनाव कराये जा रहे हैं मैं उसके खिलाफ हूं। जो हाउस ने एक बिल पास किया है, उसकी जो सैक्शंड चीजें हैं उनके अनुसार एक छोटा-सा बिल लाकर चुनाव आसानी से कराया जा सकता है, कंट्रोवर्शियल चीजों को छोड़ा जा सकता है। हाउस यूनानीमसली एक चीज पास करता है तो उसमें से कंट्रोवर्शियल पोर्शन को निकाल करके डायरेक्ट या इंडायरेक्ट तरीके से अंतरिम जिला परिषद् में चुनाव की व्यवस्था करें। पुराने ढांचे से कि कलेक्टर की जगह किसी दूसरे को बैठाया जाय तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह घोषणा भी की गयी थी कि अबकी दफा जरूर चुनाव होंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस तरफ जरूर ध्यान दिया जाय। अगर यह कहा जाय कि पार्टी में यह बात पास हुई तो मैं देखता हूं कि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप एक छोटा-सा बिल लाकर चुनाव करा सकते हैं।

इसी तरह से सेल्स टैक्स के बारे में मेरा खयाल है कि आनरेबिल मिनिस्टर उसके ठीक फंक्शनिंग के बारे में एक छोटी-सी कमेटी मुकर्रर करें जो यह देखे कि हेरासमेंट कैसे दूर हो । यह काम फौजी तरीके से, एक-दो महीने के अन्दर मालूमात हासिल करके किया जा सकता है कि छोटे दूकानदार को कैसे राहत मिले और आपको पैसा भी मिल जाय । आपकी मशीनरी जो इस तलाश में रहती है कि किस तरह से उनको परेशान करें, यह चीज दूर होनी चाहिये ।

इंडस्ट्रीज के बारे में जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिस खुले हैं, उसमें यह देखने की जरूरत है कि १० साल में कितना रुपया लड़कों को दिया गया है और कितने फीसदी पास हो रहे हैं । लाखों रुपया बहाने से क्या फायदा, अगर वह जम नहीं पाते हैं ? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिस की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि अगर वह रिकमेंड करता है तो उस रकम की वसूलयाबी की जिम्मेदारी भी उसकी होनी चाहिये । आज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ आफिस से काफी इस किस्म की लोगों को शिकायत है कि गलत तरीके से रिकमेंड कर दिया जाता है । अगर वसूल करने की जिम्मेदारी होगी तो वह कुछ देख भाल करेंगे । इसलिये डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट आफिसेज के जरिये से जितना रुपया बांटा जाय उसके वसूल करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होनी चाहिये । मुझे हैरत हुई कि मेरे जिले में एक साहब को ५३ हजार रुपया इस तरीके से मिल चुका है जो कि सब का सब गबन हो गया और उनको फिर ५० हजार रुपया मिल गया । जब पूछा गया तो कहने लगे कि पहले वाला एक विभाग से मिला और यह दूसरे विभाग से मिला है । इससे पता चलता है कि एक विभाग का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है । इसलिये कोई ऐसी पालिसी जरूर होनी चाहिये, कोई आंख ऐसी होनी चाहिये जो चौतरफा ऐडमिनिस्ट्रेशन को देख सके । यह विभागीकरण हमें ब्युरोक्रेटिक सिस्टम की देन है जिसमें अफसर इतना टची बन जाता है, हर एक बन जाता है कि अगर एक लेखपाल पर भी हमला करो तो आनरेबिल मिनिस्टर तक समझने लगते हैं कि मुझ पर हमला हुआ । तो कोई ऐसा सिर होना चाहिये जो चौतरफा घूम कर सबको देख सके और इन विभागों में नई रूह डाल सके । कांग्रेस ने ढांचे तो बनाये हैं, लेकिन रूह नहीं डाली है । ऐसा ढांचा आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा पायेगा ।

इस बजट के पीछे जो पालिसी है, जो धारणा है उसकी तरफ भी खास तौर से लोगों का ध्यान दिलाने की जरूरत है । काफी रुपया, लाखों रुपया ट्रेनिंग पर खर्च किया जाता है, लेकिन हर विभाग अपनी-अपनी ट्रेनिंग अलग-अलग करता है । कोआपरेटिव का प्लानिंग से कोई वास्ता नहीं है, चकबन्दी से किसी का कोई वास्ता नहीं है । मेरे खयाल से एक ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिये जिससे समूचे गवर्नमेंट परसोनेल को, एक चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक को, उससे अवगत रखा जा सके । अगर उनको सही पालिसी का पता नहीं है तो वह उस पर अमल नहीं कर पायेंगे । इसकी आज बहुत जरूरत है । अगर हम ने जमींदारी खत्म कर दी और जमींदार के लड़के सर्विसेज़ में आयें तो काउंटर रेवोल्यूशन हो सकता है, इसलिये सर्विस परसोनेल के रिओरिएंटेशन की जरूरत है । आपको फाइल से निकल कर पालिसीज पर सोचना चाहिये, फाइल से काम चलने वाला नहीं है ।

मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैंने सुझाव के रूप में कही हैं वह जहां अपनानी चाहिये, वहां आप अपनायेंगे । हम बड़े नाजुक दौर में गुजर रहे हैं । अगर इस वक्त हमने ठीक कदम नहीं उठाया तो इतिहास हमको माफ नहीं करेगा, ऐसा मैं मानता हूं ।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट के क्रिटिसिज्म में मुझे भी कुछ कहने का मौका दिया । बजट गवर्नमेंट की पालिसीज़ का एक स्टेटमेंट होता है और उससे यही मालूम होता है—उसके आंकड़ों से कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश के लिये क्या करने जा रही है । मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण और साथ में जो लेखा है उसको भी बड़े ध्यान से पढ़ा । उन्होंने अपने भाषण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

में यह कहा कि हमारा उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और एक समाजवादी ढांचे का समाज बनाना है । इस ध्येय की पूर्ति के लिये ही यह बजट बनाया गया है और इसी दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिये, ऐसा उन्होंने कहा । बजट में जो छोटी-छोटी रकमें दी गई हैं उनको देखने से, जैसा कि सरकार अथवा माननीय वित्त मंत्री ने समाजवादी समाज या कल्याणकारी राज्य की बात कही, वह सिद्ध नहीं होती । उदाहरण के तौर पर आप देखें कि उत्तर प्रदेश में सोशल वेलफेयर के लिये केवल ५५ लाख रुपये दिये गये । न्याय के लिये एक करोड़ ५७ लाख रुपये की मांग की गई है । गांव सभाओं के लिये एक करोड़ ३१ लाख रुपये की मांग की गई है और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिये ५ करोड़ २२ लाख रुपये की मांग की गई है ।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

इस तरह से इसको देखने पर पता चलेगा कि एक तरफ ८ करोड़ रुपये कल्याणकारी योजनाओं के लिये रखे गये हैं जिनमें न्याय, गांव सभायें, समाज कल्याण और कृषि की उन्नति भी शामिल है और दूसरी तरफ १० करोड़ से अधिक की मांग सरकार ने इस बजट के जरिये से पुलिस विभाग के लिये की है । इसलिये दलीले कामिल के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह जो बजट बनाया गया है इससे यह अन्दाजा लगाया जा सके कि इस बजट से समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना होगी । इस वजह से इस बजट को डेस्क्राइव करने के सिलसिले में अगर यह बात कही जाय कि यह बजट एक पुलिस स्टेट का बजट है तो कोई बेजा बात नहीं होगी और इन आंकड़ों के आधार पर सरकार का जो कल्याणकारी राज्य का दावा है वह गलत है । अगर इस बजट को दूसरी तरह से डेस्क्राइव किया जाय तो यह ऐसा मालूम होता है कि वित्त सचिव ने एक बच्चा पैदा किया और वित्त मंत्री ने उसको गोद ले लिया । ऐसा मालूम होता है कि जो पोलिटिकल रेवोल्यूशंस में विलीव करते हैं और दरअसल उत्तर प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता से हमदर्दी रखते हैं उनके द्वारा ऐसा बजट, जैसा कि उस दिन यहां पर पेश किया गया और आज उस पर विवाद हो रहा है, नहीं बनाया जा सकता । बजट बनाने की एक परम्परा है । उसके कुछ हेड्स बने हुये हैं और उन हेड्स में कुछ रकम रख दी जाती है । इस दृष्टिकोण से यह बजट नहीं बनाया जाता जिससे यह जाहिर हो कि उत्तर प्रदेश की जनता की सही हमदर्दी करने के लिये यह सरकार तैयार हुई है ।

आज उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जरूरत बेरोजगारी को दूर करने की है, चाहे वह पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी हो या बे पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी हो, उसकी बाबत इस सरकार ने, वित्त मंत्री महोदय ने एक लफ्ज भी इस बजट में नहीं कहा । क्या इससे यह अन्दाजा लगाया जाय, क्योंकि यह बजट तृतीय पंचवर्षीय योजना का पहला ही बजट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी को दूर करने के लिये कोई किसी प्रकार का सुझाव या प्रयास नहीं है ? इस दृष्टि से अगर इस बजट को देखा जाय तो यह बजट बड़ा ही निराशाजनक है ।

सेपरेशन की बाबत वित्त मंत्री जी के भाषण में केवल यह दिया हुआ है कि उत्तराखंड और कुमायूं डिवीजन को छोड़कर और जिलों में जुडीशियल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये जायेंगे । यह कह कर मंत्री जी ने समझा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा सेपरेशन कर दिया । न्यायपालिका और कार्यपालिका के सेपरेशन की मांग बहुत पुरानी है । अगर यह मांग सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरी नहीं कर सकी तो उसको यह मांग तृतीय पंचवर्षीय योजना में अवश्य पूरी करनी चाहिये, लेकिन क्या जुडीशियल मैजिस्ट्रेट फौजदारी के कुछ मुकदमें करने लगेंगे तो उससे सेपरेशन हो जायगा ? आज मैं यह कहने को तैयार हूं कि न्याय इस सूबे की सबसे बड़ी कैजुअल्टी है और सेपरेशन के नाम पर, इंसाफ के नाम पर यहाँ मजाक किया जाता है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की अदालतों में जाने वालों को बड़ी भारी दिक्कत हो रही है और वह अपने आपको नसिक्योर समझते हैं । मैं तो यह मांग करता हूं कि आप अपने एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को १४४ के आदेश जारी करने के लिये, प्लानिंग का काम करने के लिये, माल का काम करने के लिये

तथा और भी दूसरे बहुत से काम जो उनके जिम्मे हैं, उनको करने के लिये रख दीजिये और फौजदारी, आर्म्स एक्ट, आई० पी० सी० के मुकदमों के लिये जुडीशियल मैजिस्ट्रैट को रख दीजिये । इसके अतिरिक्त आज इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप यह एलान करें कि आपके ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हाईकोर्ट के मातहत रहेंगे ।

आज तो हालत यह है कि जब कमिश्नर साहब इंस्पेक्शन को जाते हैं तो मैजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और न्याय की मखौल करते हैं । मुकदमों का फैसला आप करते हैं, परसेनल भी आपके पास है, बिल्डिंग्स का भी आप इन्तजाम करते हैं,तो इस बात में कौन-सी बड़ी दिक्कत पैदा हो जायगी अगर उन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स और मुन्सिफों को एक ही कैडर में रखा जाय और उनको हाईकोर्ट के मातहत कर दिया जाय ?

दूसरी बात मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि न्याय की बहुत बड़ी बात कही गई । श्रीमन्, न्याय के लिये जितना कम पैसा इस बजट में प्रोवाइड किया गया है वह बिलकुल अपर्याप्त है । मैं खासतौर से इसलिये कहता हूं कि अभी थोड़े दिन हुये इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब झांसी में तशरीफ लाये और उरई में भी तशरीफ लाये । उन्होंने फरमाया कि अब ऐसा मालूम होता है कि थर्ड फाइव इयर प्लान में यू० पी० के पोलिटिशियन्स शायद यह समझने लगें कि न्याय और लॉ कोर्ट की भी इस देश में बड़ी भारी अहमियत है । इस बात को यहां मैंने इसलिये निवेदन किया कि हमने हाईकोर्ट को कई बार लिखा कि हमारे जिले में परमानेंट जज कर दिये जायं । वहां पर एक सेशन जज हैं और एक सिविल जज हैं, इस सिलसिले में मैंने माननीय न्याय मंत्री से भी कई दफा निवेदन किया कि वहां उनको परमानेन्ट कर दिया जाय, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वहां के कोर्ट को परमानेन्ट नहीं किया गया जिससे वहां की जनता को साल भर बड़ी दिक्कत रहती है और मामूली-मामूली नकल के लिये झांसी और हमीरपुर तक जाना पड़ता है । इससे हमारी श्रम शक्ति का नाश होता है । मैं उस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि सरकार बी० डी० ओज० के लिये तथा और डिपार्टमेंट के लिये बिल्डिंग्स बनाती है, एनीमल हस्बैन्डरी जैसे डिपार्टमेंट के लिये उसके यहां बिल्डिंग्स का प्राविजन है, लेकिन जहां तक अदालतों का सम्बन्ध है, उनकी बिल्डिंग्स के लिये सरकार के पास पैसों की कोई गुंजायश नहीं है ।

इसी सिलसिले में यह बात और कहूं कि जहां तक हाई कोर्ट में एरियर्स आफ केसेज का सवाल है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है । आज परिस्थिति यह हो गयी है कि अगर एक आदमी एक मुकदमा जीते या मुकदमा हार जाय और उसकी वह अपील करे तो वह इस बात के लिये तरसता ही रहेगा कि क्या उसकी अपील का फैसला उसकी जिन्दगी में हो जायेगा ? मेरी जानकारी में ऐसे-ऐसे केसेज हैं कि जिनको दस-दस, बारह-बारह वर्ष हो गये मगर अभी तक उनकी सुनवाई की कोई नौबत नहीं आयी । तो अगर इस तरह से लोग कोर्ट फीस देकर कोर्ट्स में जायं और फिर भी हाई कोर्ट में एरियर्स बने रहें, इसके लिये आवश्यक है कि कम से कम जजेज की तादाद हाई कोर्ट में बढ़ा दी जाय । जब तक हाई कोर्ट में मैन पावर को नहीं बढ़ाया जायगा तब तक एरियर्स खत्म नहीं होंगे । इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के अलावा एडीशनल जजों और सिविल जज की संख्या भी पर्याप्त होनी चाहिये तभी जाकर इन कोर्ट्स के एरियर्स खत्म होंगे । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में अधिक मुकदमेबाजी होती है और वह एक तरह से नेशनल वेस्ट है । अगर इस प्रदेश के रहने वाले किसानों, मजदूरों को मुकदमे के सिलसिले में बीस-बीस बार तारीखों पर जाना पड़े तो उससे सारा का सारा पैसा बर्बाद चला जाता है तथा इस तरह से उसकी सारी की सारी शक्ति क्षीण होती जाती है । इस सिलसिले में मेरा निवेदन सरकार से यह है कि सरकार को हाई कोर्ट तथा और कोर्ट्स के एरियर्स को खत्म करने की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ।

एक बात मैं पुलिस विभाग के बारे में भी कहना चाहता हूं । अभी चौबेपुर की एक मीटिंग में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि बड़ी-बड़ी शिकायतें हैं, पुलिस वालों की तनख्वाह कम है मगर फिर भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये । इसके पहले एक जगह उन्होंने यह कहा था कि अगर मैं गृह मंत्री रह गया तो एक ही साल के अन्दर सारी शिकायतें दूर कर दूंगा । आज ही

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

मेरे जिले जालौन की बाबत एक सवाल उठाया गया था जहां श्रीपाल गडरिया और लाखनसिंह के बड़े भाई अपने दल के साथ ३५ मील पैदल चल कर आये और बिलकुल मैदान में दिन को, दोपहर से शाम तक एक गांव को लूटे, तो इन सब परिस्थितियों में मेरा निवेदन यह है कि जो पुलिस का मौजूदा ढांचा है उसमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा। इसमें तो परिवर्तन होना ही चाहिए और उसके लिये आवश्यक है कि इन्वेस्टीगेशन की एजेन्सी अलग हो और सीक्योरिटी की अलग हो। दोनों बातें साथ-साथ रहेंगी, जो इब्तदाई रिपोर्ट लिखेगा और वही तफतीश भी करेगा तो कभी न्याय नहीं होगा। जो इन्वेस्टीगेशन का काम करेगा वही सीक्योरिटी का काम करेगा तो एफीशियेंसी नहीं आ सकती। इसलिये मैं सरकार से मांग करूंगा कि जहां तक पुलिस डिपार्टमेंट के आर्गेनाइजेशन का सवाल है, उसमें इन्वेस्टीगेशन और सीक्योरिटी की एजेन्सी को अलग-अलग किया जाय।

इकानामी ड्राइव की बात कही गई। ५२ लाख रुपये की किफायतशारी की बात कही गई। मैं भी कुछ किफायतशारी सजेस्ट करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि किसी स्टेज पर यह बात कही भी गई थी। कमिश्नर की पोस्ट को और उसके आफिस को एबालिश होना चाहिए। १२ लाख रुपये के करीब, जैसा कि बजट में प्रावीजन किया गया है, उसमें खर्च होता है। कमिश्नर महज एक पोस्ट आफिस है, एक इंस्पैक्टिंग अथारिटी है और कोई उसका फंक्शन नहीं है। तो इनको रखने की कोई वजह नहीं है। मैं तो समझता हूं कि उसमें १२ लाख रुपये से भी अधिक खर्चा होता होगा। तो यह १२–१५ लाख रुपये की बचत करके किसानों के हित में खर्च की जाय।

मैं एक बात यह भी निवेदन कर दूं कि वाटरलागिंग की समस्या सारे के सारे उत्तर प्रदेश में है। उसके लिये अलग से एमाउन्ट रखना चाहिए। सारे उत्तर प्रदेश में उसकी वजह से और विशेष रूप से हमारी तरफ बराबर खेती की उपज को नुकसान होता चला जा रहा है। इन बातों पर सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिए था।

गोविन्द सहाय जी ने एक बात कही, डेमोक्रेसी की बात कही जिससे हम सहमत हैं। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी चलेगी हिन्दुस्तान में सिर्फ कांग्रेस के जरिये से। अगर यह मनोवृत्ति पैदा हो जायगी, अगर पी० एस० पी० वाले भी समझेंगे कि उन्हीं के जरिये से चलेगी तो वह आटोक्रेसी होगी। अगर कांग्रेस वाले समझेंगे कि वही डेमोक्रेसी को चला सकते हैं तो वह डेमोक्रेसी एक ऐसा कंसेप्शन होगा जो आज तक कंसीव नहीं किया जा सका है। डेमोक्रेसी तब सार्थक होगी जब अपोजीशन के प्वाइंट आफ व्यू को समझा जायगा, विचार स्वातंत्र्य देश में पूरे तौर से होगा। केवल कांग्रेस वाले चाहें कि वह देश में डेमोक्रेसी को सार्थक बना देंगे तो वह नहीं हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय देवकीनन्दन विभव। आपके लिये आधे घंटे का समय है। जो मिनिस्टरों के लिये है वही प्राक्कलन समिति के सभापति के लिये है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यथा सम्भव संक्षिप्त होने का प्रयत्न करूंगा। श्रीमन्, मैं पहले तो इस बजट में जो दो-तीन प्रगति मालूम हुई हैं उनके लिये माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। एक तो यह है कि इसमें नान-प्लान और प्लान एक्सपेंडीचर का अलग-अलग विवरण दिया है। उससे निस्सन्देह उसको समझने में अधिक सुविधा होती है। परन्तु जिस तरीके से बजट का निर्माण होता है और जिस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता है उसकी सारी प्रणाली पर मैं चाहता हूं कि सरकार विचार करे और बजट को इस तरीके से बनाये जो कि अधिक सरल हो और ग्राह्य हो।

श्रीमन्, मेरा व्यक्तिगत थोड़ा-सा अनुभव बजट के बारे में यह है कि जिस तरीके से ऐस्टीमेट्स बनते हैं और सम्मिलित किये जाते हैं मेरा खयाल यह है कि ५,७ साल से बराबर डिटेरियोरेशन

हो रहा है। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ५, ७ साल के आंकड़े देखें, यह सही है कि डेवलपिंग इकानामी के काल में बिल्कुल सही आमदनी और व्यय के अनुमान में कठिनाइयां हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद, इस देश से गरीबी और भुखमरी निकालने के लिये आवश्यकता थी कि हम देश का विकास करें और निश्चय ही जिस देश का विकास का काल होता है उसमें कोई सन्देह नहीं है कि बदलने वाली जो परिस्थितियां होती हैं उसमें बजट का बिल्कुल सही-सही होना कठिन हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मैं कहता हूं कि बजट की प्रणाली में डिटेरियोरेशन हो रहा है, इनएफेशियेंसी में, तो उसके कुछ आंकड़े हैं। यदि आप ५, ७ साल पूर्व के बजट के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना इधर के आंकड़ों से करें तो प्रतीत हो जायगा कि ऐस्टीमेट्स जो तैयार होते हैं वह बहुत ढीले होते जा रहे हैं। यह पद्धति बहुत कुछ हमारी १९५३–५४, १९५४–५५ से प्रारम्भ होती है। मेरे पास आंकड़े हैं १९५५–५६ में टोटल रेवेन्यू प्राप्ति का अनुमान ८४,५६,४६,५०० रुपये था और ऐक्सपेंडिचर ९०,०६,३०,४०० रुपये था, लेकिन ऐक्चुअल क्या हुआ? इसमें डेफिसिट था करीब-करीब ६,००,००,००० रुपये का जो सरप्लस में टर्न हो गया क्योंकि ऐक्चुअल रेवेन्यू रिसीट हुई ८५,५२,९९,२६९ रुपये और व्यय हुआ ८४,२३,०८,९२९ रुपये। यानी डेफिसिट बजट सरप्लस में टर्न हो गया। इसी तरह से १९५६–५७ में अनुमानित बजट था ८५,३५,००,००० रुपये और अनुमानित खर्च था ९४,९१,००,००० रुपये का, लेकिन वस्तु स्थिति वर्ष के अन्त में यह हुई कि ८९,९५,००,००० रुपये की तो आय हुई और व्यय हुआ ८९,८३,००,००० रुपये यानी वह भी थोड़ा सा सरप्लस में परिणत हो गया जहां कि ९,००,००,००० रुपये का डेफिसिट आंका गया था। इसी तरह १९५७–५८ में ९६,६६,००,००० रुपये की आय थी और १,०८,००,००,००० का व्यय था जिसके अनुसार करीब १२ करोड़ का डेफिसिट था, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि १ अरब ४ करोड़ की ऐक्चुअल आमदनी हुई और ९९ करोड़ ४२ लाख का व्यय हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि करीब १२ करोड़ का डेफिसिट सरप्लस में परिणत हो गया। सन् १९५८–५९ में जहां ४ करोड़ के डेफिसिट का बजट था वहां वह १ करोड़ के सरप्लस बजट में परिणत हो गया और १९५९–६० में जहां २ करोड़ का डेफिसिट बजट था वह १ करोड़ ४० लाख के सरप्लस में परिणत हुआ। अब १९६१–६२ में आमदनी १ अरब ४५ करोड़ है और व्यय १ अरब ५४ करोड़ है यानी करीब ८ करोड़ साढ़े ८ करोड़ का डेफिसिट है।

इससे होता क्या है? इसमें, असली में, परिस्थिति हमको मालूम नहीं होती। मेरा खयाल यह है कि ज्यादातर होता यह है कि बहुत से एस्टीमेट्स तो बनते ही नहीं, लम्प-सम प्राविजन्स ले लिये जाते हैं। जो कुछ एस्टीमेट्स बनते भी हैं वे इतने ढीले होते हैं कि अन्त में चल कर गलत हो जाते हैं।

तीसरी बात जो और भी भयावह है जिससे हमारी सारी प्लानिंग का नुकसान होता है कि उस एस्टीमेट्स के अनुसार योजना प्रारम्भ करने के लिए स्टाफ की नियुक्ति तो हो जाती है परन्तु योजना को करवाने के दूसरे इन्तजाम नहीं होते। उसमें खर्च तो बंध जाता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता। अन्त में होता क्या है कि बहुत-सा रुपया बचत के रूप में बच जाता है। स्टाफ का खर्चा तो हो जाता है और वास्तविक कार्यों में जो रुपया खर्च होना था वह बचत के रूप में आ जाता है, उसको दूसरे बजट में रिऐप्रोप्रियेट कर लिया जाता है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि सप्लीमेंटरी और रिऐप्रोप्रियेशन में जो इतना धन बढ़ जाता है वह भी मेरे खयाल से सारे बजट के ऊपर लेजिस्लेटिव फाइनेंशल कंट्रोल को उधेड़ रहा है और एक धांधलीबाजी सारे विभागों में पैदा हो रही है जिसमें कोई लेजिस्लेटिव कंट्रोल इस प्रदेश में बाकी न रहे। तो इसका एक निराकरण, जिसकी तरफ मैंने कई बार निवेदन किया, एस्टीमेट्स कमेटी के द्वारा कुछ हो सकता है। हाउस आफ कामन्स में तो एस्टीमेट्स कमेटी का फंक्शन यह होता है कि वह बारहों साल चलती रहती है....

श्री अध्यक्ष—बारहों महीने कहिये, बारहों साल नहीं।

श्री देवकीनन्दन विभव--मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ठीक कर दिया, लेकिन यहां तो एस्टीमेट्स कमेटी के कार्य में कितनी कठिनाइयां हैं। अगर एस्टीमेट्स कमेटी कोई आंकड़े देखना चाहे और उस पर कोई सुझाव देना चाहे तो उसके लिये उसको मौका नहीं है। हमारी एस्टीमेट्स कमेटी ने माननीय सदस्यों की राय से एक सुझाव रखा कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि वह एस्टीमेट्स कमेटी के लिये जहां जिन एस्टीमेट्स को वह देखना चाहें बजट में शामिल होने से पहले तो वह उसको उपलब्ध होना चाहिये और अगर वह किसी कारण से उपलब्ध नहीं होते हैं या यह बात किसी कारण से सरकार की नीति के अनुकूल नहीं पड़ती है तो हाउस आफ कामंस की तरह यहां भी वह पद्धति चालू कर दी जाय कि वोट आन एकाउंट लाकर एक-दो महीने के लिये, चालू काम के लिए धन ले ले और एस्टीमेट्स कमेटी में बजट के एस्टीमेट्स चले जायं और वह उसको पूरी तरह से देख करके जो सुझाव उनको देने हैं वह गवर्नमेंट को दे सके। तो मैं समझता हूं कि आज जिस परिस्थिति में प्रदेश जा रहा है हमारे सामने फाइनेंशल डिफिकल्टीज हैं। उनमें मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार का नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है और मुझे आशा है कि सरकार सारे बजट के प्रजेंटेशन के फार्म पर, किस तरीके से उस पर लेजिस्लेटिव कंट्रोल हो, विचार करेगी।

चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, और माननीय वित्त मंत्री से मैं सहमत हूं कि इस साल का बजट बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर रहे हैं और ५,७ दिन बाद हमें तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य करना होगा। तो हमारी नीतियां क्या हैं, इस सम्बन्ध में पहले साल में जो बजट पेश होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है।

मैं इस विषय में ज्यादा न कह कर ४, ५ सुझाव सरकार को देना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि यह सब प्लानिंग कमीशन से ताल्लुक रखता है, इसलिये हमारी प्रदेशीय सरकार के हाथ की बात नहीं है कि उसमें वह परिवर्तन ला सके, लेकिन मेरा खयाल यह है कि जनतंत्र में कुछ कठिनाइयां होती हैं जब कि टोटेलेटेरियन सरकार में योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन करने में कुछ सरलताएं होती हैं।

श्री अध्यक्ष--आप अपना स्थान ग्रहण करें क्योंकि कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री देवकीनन्दन विभव--तो मेरा एक सुझाव तो यह है कि हमारे देश में जो प्लानिंग की जाती है उसमें हम इस बात पर अधिक जोर देते हैं कि हम कितना रुपया खर्च करेंगे। हमारे प्रदेश का जो भी प्लान होगा मूल बात उसमें यह होती है कि कितना रुपया खर्च किया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें परिवर्तन होना चाहिये कितना रुपया खर्च होना चाहिये यह सेकेंडरी चीज होनी चाहिये, मुख्य बात तो यह होनी चाहिये कि हमारे टार्जेट्स क्या हैं और जो भी टार्जेट्स हम निश्चित करें उनको पूरा करने का हमारा प्रयत्न होना चाहिये, लेकिन होता क्या है? क्रमबद्ध योजना द्वारा देश का विकास करने से केवल इस पर अधिक जोर देना कि कितना धन हम व्यय करेंगे इसका परिणाम यह होता है कि देश तो आगे बढ़ेगा, लेकिन उसमें मितव्ययिता नहीं होती और आखिर में हम किस लक्ष्य पर पहुंचते हैं इस पर ध्यान नहीं होता। हमारा ध्यान इसी पर केन्द्रित रहता है कि कितना रुपया खर्च किया जायगा, कितना रुपया विदेशों से लेकर खर्च किया जायगा और कितना रुपया अपने आन्तरिक टैक्सों को बढ़ा कर प्राप्त किया जायगा। तो हमारा पहला काम यह होना चाहिये, हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम टार्जेट्स निश्चित करें और उन टार्जेट्स तक पहुंचने के लिये हमारा प्रथम प्रयास होना चाहिये।

पांचवीं बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा देश बहुत गरीब है और हमारे आर्थिक साधन बहुत कम हैं। यह हो सकता है कि हम विदेशों से सहायता लेकर अपने

आर्थिक साधनों को बढ़ाने की चेष्टा करें और जब हमारा देश डेवलप्ड इकोनामी के फेज से पास हो रहा है तो विदेशी सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। परन्तु साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस ओर हमने ध्यान नहीं दिया है वह है हमारी श्रम शक्ति का संगठन, मोबिलाइजेशन। आज देश में लोग कहते हैं कि हमारी योजना के लिये लोगों में उत्साह नहीं है। इसका कारण कभी सोचा है आपने? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो एम्पलायमेंट पोटेंशल है उसको हमने कभी भी आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की और उसमें हमें कोई सफलता भी प्राप्त नहीं हुई। यह ४३ करोड़ का देश है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ५० फीसदी अर्द्ध बेकार है और काफी हिस्सा बेकार है। आपने योजना बनाते समय क्या इस बात को सोचा कि जो हमारी अर्द्ध बेकार और बेकार जनता है उसको काम में लगायें? आप तो इतने श्रम का उपयोग कर सकते हैं कि गांव के गांव बिल्कुल नये बदले जा सकते हैं। यदि हमारे पास कोई योजना हो और अर्द्ध बेकार और बेकार को हम काम में लगा सकें। हमारी स्कीम्स बोल्ड होनी चाहिये। दस हजार करोड़ की क्या उससे भी ज्यादा काम करने की हमारी योजनायें होनी चाहिये लेकिन उसका आधार धन नहीं होना चाहिये बल्कि हमारी श्रम शक्ति होनी चाहिये और उसका मोबिलाइजेशन, संगठन होना चाहिये।

छठी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आपका जितना भी संयोजन है वह बहुत खर्चीला और वस्तुस्थिति से दूर है क्यों कि आपने सारी योजनायें चला रखी हैं। हमने कितने बांध बनाये और उनको कितने-कितने साल में पूरा किया है? दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल से आपकी योजनायें चालू हैं, लेकिन किसी में आधा काम हुआ है और किसी में चौथाई काम हुआ है। यह नहीं है कि काम नहीं हुआ है। जो लोग यह कहते हैं कि देश में काफी काम नहीं हुआ है वे गलत कहते हैं। देश में काफी काम हुआ है, लेकिन सभी स्कीम्स अधूरी हैं, उनका उत्पादन अभी नहीं शुरू हुआ है। सौ-सौ, पचास-पचास और पचीस-पचीस करोड़ रुपये आपने योजनाओं में लगा दिये हैं और दस-दस, बारह-बारह साल हो गये हैं। मगर वह काम अधूरे पड़े हुये हैं, तो उसमें कितने साधनों को आपने सीमित किया है। मैं चीन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने यांग्टिसी नदी का जिसको वे "रीवर आफ़ सारो" कहते हैं उसके बांध का किस प्रकार नियोजन किया। उन्होंने २० लाख आदमियों को एक डैम बनाने में लगा दिया। आप चारों तरफ योजनायें बनाते हैं, लेकिन पूरी कोई नहीं होती। उसका परिणाम यह होता है कि आपके साधन सीमित होते जाते हैं।

अब एक आखिरी बात जो मुझे कहनी है वह माननीय वित्त मंत्री जी ने कही कि सेल्फ-जनरेटिंग एकोनामी हमारा लक्ष्य होना चाहिये, मैं स्वीकार करता हूं कि किसी भी देश का विकास सेल्फ-जनरेटिंग एकोनामी, स्वचालित अर्थ-व्यवस्था से ही हो सकता है और बिना उसके देश का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन स्वचालित अर्थ-व्यवस्था के माने क्या हैं? जहां तक मैं समझा हूं उसके माने यह हैं कि एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था हो जो कि आगे बढ़ते-बढ़ते ऐसे मोमेन्टम में आ जाय कि फिर वह अपने आप चलने लगे। आज तो हमारे प्रदेश में एक विष चक्र बना है। वह यह है कि हमारी परकैपिटा आय कम है और जब प्रति व्यक्ति आय कम है तो हम बचत कम कर सकते हैं और जब बचत कम कर सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट लागत कम कर सकते हैं और जब इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो हमारी आय नहीं बढ़ सकती है। आखिर हम गरीबी के चक्कर में बराबर घूम रहे हैं तो इस विष चक्र को किस तरह से तोड़ा जाय? इसको तोड़ने का एक ही उपाय हो सकता है और वह यह है कि हमारे सारे काम करने की प्रणाली ऐसी हों कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके। इसके लिये मैंने कहा था कि अगर देश की श्रम शक्ति का संयोजन होगा और उसके आधार पर काम किया जायगा तो हम देखेंगे कि हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ेगा तो बचत होगी और अगर बचत होगी तो हम

[श्री देवकीनन्दन विभव]

ज्यादा विनियोग कर सकेंगे और जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी आय भी बढ़ सकेगी और फिर ऐसा समय आयेगा कि जब इस देश में स्वचालित अर्थ-व्यवस्था का प्रादुर्भाव होगा।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि हमारे मार्ग में एक बाधा है । हमारे यहां कुछ साधन हैं और जो लोग कहते हैं कि हमारे यहां साधन नहीं बढ़े हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, देश के साधन अवश्य बढ़े हैं लेकिन इसके साथ ही साथ देश की आबादी भी बढ़ी है । मैं कहा करता हूं कि यह प्रदेश दो बातों में सबसे आगे हैं। एक तो यह कि इस प्रदेश के आदमी राजनीति में सबसे आगे हैं। जितनी पार्टीबंदियां बनती हैं और नये-नये सिद्धान्त बनतें हैं वह इसी प्रदेश में बनते हैं और यह इस मामले में नेतृत्व करते हैं या फिर बच्चे पैदा करने में यहां के लोग सबसे आगे हैं । अब सवाल यह है कि अगर १७ फीसदी प्रदेश की आबादी बढ़ी है तो १७ फीसदी आय नहीं बढ़ी है। अगर मान लिया जाय कि १७ फीसदी आय बढ़ी है तो भी हमारे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था वही है जो दस साल पहले थी । इस चक्कर से निकलने का हमने प्रयत्न नहीं किया है ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे पता नहीं कि कितना समय दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—अब आपका ३-४ मिनट का समय रह गया है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—अगर ५ मिनट और दे दें तो मैं दस मिनट बोल लूं ।

श्री अध्यक्ष—अच्छा ।

श्री देवकीनन्दन विभव—अब प्रश्न यह है कि हमारे प्रदेश ने क्या किया ? अगर हमारे प्रदेश की आर्थिक उन्नति ऊंची उठ सकती है तो कृषि और उद्योग के सम्मिश्रण से उठ सकती है । हमने पहली योजना कृषि के विकास की रखी, लेकिन क्या हुआ ? मैंने गत बजट स्पीच में कहा था कि जो परिस्थिति कृषि विभाग की है अगर वही रहती है तो इसको समाप्त कर दिया जाय । आज आपके स्टेट फार्म्स की क्या हालत है ? तराई स्टेट फार्मों पर आपने कितना रुपया लगाया है ? दो करोड़ ८४ लाख रुपये लगाया गया है ।

"It is the condemnation of the whole department." इसकी औसत आमदनी किसी समय दो लाख भी नहीं थी कई वर्ष हानि रही । अभी रूद्रपुर यूनिवर्सिटी के संबंध में हमारी सब-कमेटी वहां गई थी और हमने देखा कि अब उसका लाभ दस लाख रुपया हुआ है और मिस्टर स्टीवेंसन जो ऐग्रीकल्चर के सेक्रेटरी थे, उन्होंनें कहा कि मैंने पर्सनल अटेंशन दिया है, इसलिये १० लाख रुपया हो गया है और हमारा विश्वास है कि २० लाख रुपया कर लेंगे । मैंने जो थोड़ा-सा उसका अध्ययन किया, यदि मैं उस काम को करूं तो ४० लाख रुपया उस काम से पैदा किया जा सकता है । आपके जो और फार्म्स हैं, कौन-सा फार्म है जो फायदे से चल रहा है ? रहमान खेड़ा फार्म में ४ लाख रुपये का नुकसान हो गया। रहीमाबाद फार्म में ४ लाख १५ हजार का नुकसान हो गया । ढकौनी फार्म में ७ लाख १७ हजार का नुकसान हो गया और कटियार फार्म में ३ लाख ४३ हजार का नुकसान हो गया । डाइरेक्टर साहब से पूछा कि नुकसान क्यों होता है ? कहते हैं कि हम तो डिमांस्ट्रेशन भी करते हैं । मैं कहता हूं कि अगर आप का यह डिमांस्ट्रेशन है, तो यह सबसे बड़ा कंडेमनेशन है । काश्तकार को आप यही रास्ता बताते हैं । वह आपके रास्ते को क्या समझेगा ? गवर्नमेंट इतना धन लगाती है, इतनी सुविधा, इतनी पूंजी और उसका यह नतीजा ? यह हानि ? आपके रास्ते पर कौन जायगा ? कौन आपके डिमांस्ट्रेशन की परवाह करेगा ?

अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं । मैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेम्बर की हैसियत से, आज ६–७ साल से इस हाउस में बराबर कह रहा हूं कि आप अगर इंडस्ट्रियलाइ-

जेशन करना चाहते हो तो चीप पावर का इंतजाम करना चाहिये । फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में मेरी जो राय थी, मैंने डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज से कहा, उन्होंने कहा कि जो आप पहले अनुभव करते थे वही हमारी भी राय है । इसमें शक नहीं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट हाथ पैर फेंक रही है और मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ करेगी, लेकिन आखिर क्या किया ? पावर की स्थिति बताने के लिए मुझे खेद है कि मेरे पास समय नहीं है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके ट्रांसमिशन लासेज सारी स्टेट्स से ज्यादा हैं । आपका जितना प्रोडक्शन है. . . . .

श्री प्रताप सिंह—अध्यक्ष महोदय का ?

श्री देवकीनन्दन विभव—माफ कीजिये । अध्यक्ष महोदय की मार्फत मैं सरकार से कह रहा हूं । मेरा कहना यह है कि प्रगतिशील प्रदेशों से यू० पी० पावर के मामले में पिछड़ता चला जा रहा है । जितने प्रगतिशील स्टेट्स हैं, बम्बई, वेस्ट बंगाल, पंजाब, यहां तक कि बिहार भी और मैं तो कहता हूं कि वह समय दूर नहीं है जब यू० पी० मध्य प्रदेश से पिछड़ जायगा ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । कई बार सुन चुका हूं इस सदन में कि गवर्नमेंट आफ इंडिया हमारे क्लेम्स को नहीं सुनती । हमको कोई काम नहीं नहीं मिलता । उसके कारण हैं और आगे एक समय अवश्य आयेगा जब कोई भी आदमी आपके प्रदेश में कोई नयी फैक्टरी खोलने के लिए तैयार नहीं होगा । कारण यह है कि आपके प्रदेश में बिजली सस्ती मिलती नहीं है । मिलती है तो ज्यादा कीमती मिलती है । आपके यहां सड़कों की कमी है, कम्युनिकेशंस की कमी है । डीजल आयल या जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के दूसरे साधन हैं, उन सारे पर आप बर्डेन करते चले जाते हैं । स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि अब समय है जबकि एक प्रगतिशील नीति का अवलम्बन करना चाहिए ।

इसी तरह से मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि हमें अपनी सारी आर्थिक व्यवस्था और अपनी सारी प्लानिंग को देखने की आवश्यकता है । हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम देखें कि हम कहां पर पैसे को बचा सकते हैं ? मैंने विकेन्द्रीकरण की बात सुनी, लेकिन विकेन्द्रीकरण में आपने किया क्या ? आपने एक तरफ जो फंक्शनल डाइरेक्टर थे उनको वहीं का वहीं रखा और रीजनल डिप्टी डाइरेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर और नियुक्त कर दिया । डिसेंट्रलाइजेशन के मानी यह थे कि आपने जो रीजनल डिप्टी डाइरेक्टर नियुक्त किया उन्हीं से अपना काम लेते, लेकिन वह नहीं हुआ, खर्चा और बढ़ गया । आप देखें तो सही कि सरकार का एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से कदम-ब-कदम बढ़ता चला जाता है और उसमें हम जो एकोनामी कर सकते हैं वह नहीं कर पा रहे हैं ।

मैं विरोधी पक्ष से भी कहना चाहता हूं कि आज देश की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि यह जो हमारा फाइव ईयर प्लान है उसके संबंध में आपका सहयोग नहीं है । आप जनता में भ्रान्ति पैदा करते हैं, अच्छे कामों के लिए भी भ्रान्ति पैदा करते हैं और बुरे कामों के लिए भी भ्रान्ति पैदा करते हैं । तो इस देश में जहां की जनता अशिक्षित हो, जहां की जनता जल्दी ही गुमराह हो जाती हो, आज आपने परिस्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि जिससे लोगों में निर्माण-कार्यों में आस्था जाती रही है । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो आपका काम है और सारा जो आपका क्रिटिसिज्म है उस पर आपको विचार करना चाहिए और एक सन्धि आपको करनी चाहिए जिससे कि प्लानिंग में तथा और जितने भी रचनात्मक कार्य हैं जोकि देश को आगे बढ़ाने वाले हैं उनमें आपका सहयोग हो सके । मैं आपसे कहता हूं कि आज ऐसे बहुत से काम देश में हो रहे हैं, लेकिन उनमें जनता का उत्साह और सहयोग नहीं है । तो जनता में हमें उत्साह पैदा करना चाहिए । तभी हम अपने प्लान को सफल बना सकते हैं । यही मुझे निवेदन करना था । मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे काफी समय दिया ।

*श्री टेम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं कुछ और कहूं, मैं माननीय विभव जी के उस प्रश्न का उत्तर उनको दे देना चाहता हूं जो उन्होंने विरोधी दल के सहयोग के बारे में उठाया है । उन्होंने यह कहा कि विरोधी दल आज सरकार की योजनाओं में सम्मिलित होने का प्रयत्न नहीं करता या सरकार की योजनाओं को चलने नहीं देता । अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी अपने-अपने क्षेत्रों से यहां इसलिये आये हैं कि योजना का अधिक से अधिक लाभ हमारे क्षेत्र के विकास में प्राप्त हो सके । हम लोग अपने क्षेत्रों की बात यहां सामने रखते हैं, लेकिन मुझे दुख है कि आज की कांग्रेसी सरकार और उसके माननीय सदस्य जिस कदर विरोधी दल का असहयोग पसन्द करते हैं उस कदर सहयोग पसन्द नहीं करते । इस संबंध का एक ज्वलंत उदाहरण मेरे स्वयं अपने क्षेत्र का है । उसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक नार्मल स्कूल बनना स्वीकृत हुआ । स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो गई, रुपया साल भर का पी० डब्लू डी० के पास स्कूल बनाने के लिए पहुंच गया । टेंडर मांग लिए गए । स्वीकृत हो गए, लेकिन वह माननीय कांग्रेसी सदस्य के क्षेत्र में न बन कर के मेरे क्षेत्र में बन रहा था । भूमि अन्तरिम जिला परिषद् की थी । माननीय कांग्रेसी पक्ष के सदस्यों ने एक स्वर से—आज भी प्रस्ताव मंगाकर देखा जा सकता है—यह कहा कि अगर यह स्कूल किसी कांग्रेसी विधायक के क्षेत्र में नहीं बन सकता तो इस जिले में न बने । मैं माननीय विभव जी से आशा करता हूं कि वह यहां के माननीय कांग्रेसी सदस्यों से पूछेंगे कम से कम कि जब पूर्व में वहां कांग्रेस का सदस्य उस क्षेत्र में था और उस क्षेत्र में वह स्कूल बनना शुरू हुआ तो तत्काल जब माननीय कांग्रेसी सदस्य के स्थान पर किसी दूसरे दल का सदस्य आ गया तो उससे वहां की सारी योजनायें जो हैं उनको यह क्यों चाहते हैं कि वह जिले में न बनें, यह क्यों चाहते हैं कि वहां वह रह ही न जायं ? तो इस प्रकार मैं माननीय विभव जी से और दूसरे माननीय कांग्रेसी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कोई यह नहीं जानता कि जनता कब किसके पक्ष में हो जाय । इस काम में उनको काफी समय लगेगा । अगर हर बार यही कोशिश करते रहे कि जहां वह जीत जायं यह योजना बने, इस तरह की प्लानिंग बने और १९६२ में पलट जायं तो फिर उस क्षेत्र में ले जायं जहां कि कांग्रेसी माननीय सदस्य हों । क्या यह ज्वलन्त उदाहरण नहीं है ? गवर्नमेंट को दूसरी जमीन एक्वायर करने का राइट था, लेकिन उन सदस्यों की राय के बाद जिलाधीश की हिम्मत नहीं हुई कि दूसरी लैंड एक्वायर कर सकें जहां पर स्कूल बन सके । वह ६०० एकड़ भूमि, जिसमें गवर्नमेंट ने पुनः फर्टिलाइजर फैक्टरी लगाने की सोची, पड़ी हुई है, लेकिन ५ एकड़ भूमि नार्मल स्कूल बनाने के लिये केवल इसलिये नहीं मिल सकी कि वह अन्तरिम जिला परिषद् की भूमि माननीय कांग्रेसी सदस्य के हाथ में बहुत कुछ थी । मैं आज इस बात को आपके द्वारा उन माननीय कांग्रेस दल के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है इस प्रदेश के हित में और यहां की जनता के हित में ।

आज सुबह माननीय गृह मंत्री जी उत्तर दे रहे थे मुरादाबाद की स्थिति के बारे में । तो उन्होंने बिलकुल निश्चित रूप से जिलाधीश मुरादाबाद की रिपोर्ट पर चार्ज लगा दिया । अध्यक्ष महोदय, जब किसी दल विशेष पर चार्ज लगता है और इस सदन में लगाना चाहें तो कम से कम जिले के स्तर पर चार्ज लगाने के पहले कोई जांच स्वयं करना चाहिये था । मुझे दुख है कि ऐसा प्रश्न, जो केवल व्यक्तिगत था, जो उनकी अपनी कमजोरी छिपाने के लिये था, उन्होंने उसको इस तरह से टाल दिया जो आज तक उनके प्रशासन का रूप रहा है, जो करते आये हैं, तो उन्होंने दल विशेष पर डाल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं देखता था कि आखिर उनका कमिटल कैसा है, क्यों ऐसा किया ? माननीय आचार्य जुगलकिशोर जी ने इसी विधान सभा में यह कहा था कि जब उनको कांग्रेस की सत्ता पर विश्वास नहीं रहा तो उसमें उन्होंने एक अच्छी बात कही थी कि—"यह जो सरकार है यह साधारण कांग्रेस जनों की आशाओं के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अनुरूप नहीं है" । तो जब यह बात कही गई थी उस समय मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन आज मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आज किसी भी व्यक्ति की, किसी भी दल की कोई आत्मसम्मान के विरुद्ध किसी प्रकार की बात, अगर वह साधारण कांग्रेस जन के हित में है, तो कही जायगी । बड़े लोगों के हित की बात जाने दीजिये, लेकिन साधारण लोगों के हित में कही जायगी ।

श्रीमन्, इस प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में तमाम स्थानों पर दंगे हुये । इसमें दो राय नहीं है कि वे इस कारण हुये कि पुलिस में क्षमता नहीं थी । इसमें दो राय नहीं है कि पुलिस उनको रोकने में असमर्थ रही । इसमें दो राय नहीं है कि आज पुलिस मंत्री ने जैसा बतलाया कि हम यहां पर प्रदेश में डकैती नहीं रोक सके । वह क्यों नहीं रोक सके क्योंकि हमारी पुलीस काम नहीं करती । यह बात दूसरी है कि बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने पुलिस की काफी तारीफ कर दी हो और यह लिखा हो कि उसके कारण ही आज यह सब सम्भव हो सका है कि प्रदेश में बड़ी सुरक्षा की भावना का निर्माण हुआ है, लेकिन स्वयं उनके अपने वक्तव्य से यह ध्वनि निकलती है कि इस राज्य में और इस राज्य की जनता में असुरक्षा की भावना अधिक बढ़ी है और देहाती क्षेत्रों में अराजकता की पूर्ण स्थिति है और निकट भविष्य में इस प्रकार से सम्भव नहीं दीखता कि वह भावना मिटाई जा सकेगी ।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट के संबंध में मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि इस प्रान्त के अलावा भी इस देश में और प्रान्त हैं । उनके यहां की बजट की प्रति तो मुझे प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा लेख मुझे यहां पर प्राप्त हो सका है . . . . .

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं अब आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें, अब दूसरा काम शुरू होगा ।

शकर मिलों द्वारा अधिक की गई रिकवरी से संबंधित १६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न ९ के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष--अब प्रताप सिंह जी अपने विषय को उपस्थित करेंगे ।

***श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने १८ लाख किसानों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिये हमें सुअवसर प्रदान किया । मान्यवर, यह प्रश्न जिस पर हमने विवाद मांगा है और आपने कृपा कर उसके लिये अनुमति प्रदान की है, क्या था उसे मैं आदरणीय सदन को बतलाना चाहता हूं । प्रश्न यह उठाया गया था कि "क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन शक्कर मिलों ने वर्ष १९५५-५६, १९५६-५७ १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० में अधिक रिकवरी की है उस अधिक रिकवरी के आधार पर प्राप्त लाभ में से कुछ अंश काश्तकारों को दिलवाये जाने की व्यवस्था पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसकी व्यवस्था कब तक हो जाने की आशा है ?" मान्यवर, यह मूल प्रश्न था और माननीय मंत्री जी ने जो उसका उत्तर दिया था वह इस प्रकार है कि "१९५८-५९ के सीजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्राइस लिंकिंग फार्मूला कानूनन लागू है । इस फार्मूले में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि किसी क्रशिंग सीजन में रिकवरी तथा ड्यूरेशन के आधार पर चीनी मिल को जो अतिरिक्त मुनाफा होगा उनमें गन्ना किसानों को जो उसका परसेंटेज निकलेगा वह, उन्हें अतिरिक्त मूल्य के रूप में दिया जायगा । केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल में इस फार्मूले को टैरिफ कमीशन के पास जांच के लिये भेजा है और कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही किसानों को हिस्से का भुगतान हो सकेगा । १९५८-५९ सीजन के पूर्व कोई व्यवस्था कानूनन नहीं थी ।"

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से तीन प्रश्न उठते हैं । पहला प्रश्न तो यह उठता है कि उन्होंने यह कहा कि १९५८-५९ के पहले का जो पैसा है वह किसानों को नहीं मिलेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रतापसिंह]

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल तक सवा दो अरब मन गन्ना जो मिनिमम प्राइस पर किसानों ने दिया उसका डेफर्ड पेमेंट अभी तक उनको नहीं मिला है और दूसरे इस आदरणीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जो उस समय के उद्योग मंत्री भी थे, उन्होंने विरोधीदल की मांग पर यह आश्वासन दिया था कि हम एक ऐसा फार्मूला निकाल रहे हैं कि जिसके आधार पर १९५४ से बराबर यह रिकवरी और डेफर्ड पेमेंट हम किसानों को दिलायेंगे, लेकिन उस दिन जब बार बार मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि १९५८-५९ के बाद से ही कानूनन यह चीज लागू होगी । इसके पूर्व के लिये उन्होंने कुछ नहीं कहा । दूसरे जब नम्र शब्दों में यह निवेदन किया गया कि १८ लाख किसानों का यह मसला है, एक ओर १८ लाख किसान हैं और दूसरी ओर चंद पूंजीपति, तो वह १९५४ से यह क्यों नहीं दिलाना चाहते, तो कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला ।

मान्यवर, यह जनतांत्रिक परम्परा है कि सदन में यदि एक मंत्री कोई आश्वासन दे देता है तो भले ही सरकार बदल जाय, दूसरी सरकार को उसके आश्वासन को आनर करना चाहिये । आज मंत्री जी उस आश्वासन को आनर नहीं करते । इस प्रणाली के आधार पर मैं आज से चाहूंगा कि जब यह किसानों का मसला है तो वे उस पर अधिक ध्यान दें । मैं इस समय अधिक समय नहीं लेना चाहता, पहले मंत्री जी की बात सुनना चाहता हूं । इसलिये कि उन्होंने कहा था कि २१ फरवरी को टैरिफ बोर्ड यहां आ रहा है । उसके सामने सरकार ने कौन सा नजरिया रखा है और क्या बात रखी है और किसानों की ओर से किस को पेश किया है और २१ को जब टैरिफ बोर्ड यहां आया तो उसने क्या फैसला किया, यह सब मैं जानना चाहता हूं । दूसरे मंत्री जी ने इस बात की भी सफाई नहीं की कि एक पूरक प्रश्न के उत्तर में तो कहा गया था कि हमने टैरिफ बोर्ड को भेजा है और जब पूछा गया कि यह मामला उसे कब भेजा गया तो माननीय मंत्री जी कहने लगे कि हम तो केन्द्रीय सरकार को भेजते हैं । मान्यवर, मुझे दुख होता है इसलिये कि माननीय मंत्री जी कुछ जिम्मेदारी के साथ अपनी कुर्सी पर बैठते हैं । उनकी जबान से जो चीज निकलनी चाहिये वह किसी आधार पर होनी चाहिये और बार बार किसी बात को कह कर उन्हें बदलना नहीं चाहिये । यह विरोधी दल का अधिकार है कि वह बार बार बुनियादी सवाल पूछे, लेकिन उनका फर्ज है कि वे उसका उचित उत्तर दें । मैं चाहूंगा कि यह १८ लाख किसानों का मसला जो सरकार ने अपनी दकियानूसी से रोक रखा है उसका वे स्पष्टीकरण दें ताकि वह रुपया किसानों को मिल सके ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---पहले माननीय मंत्री जी अपनी बात कह लें उसके बाद आप निवेदन करियेगा ।

श्री गेंदासिंह---मैं अपनी बात पहले इसलिये कहना चाहता था कि अगर आप दो मिनट मुझे पहले दे दें तो शायद प्रतापसिंह जी ने जो प्रश्न उठाये हैं, मेरे को सुन लेने के बाद वे उन्हें अधिक आसानी से स्पष्ट उत्तर दे सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष---नियम यह है कि जब प्रश्न उठाया जाता है तो उसके बाद मंत्री जी अपना वक्तव्य दे देते हैं । आप बाद को फिर सवाल कर सकते हैं । अगर मैं दो-दो व्यक्तियों को पहले बोलने की इजाजत दे दूंगा तो जो प्रथा है वह टूट जायेगी । आप बाद में प्रश्न कर सकते हैं ।

*सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतापसिंह जी ने जो दो तीन सवाल किये, मैं समझता हूं कि उनको कुछ गलत फहमी हो गयी है जिसके कारण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह प्रश्न उन्होंने किये। सब से पहली बात तो यह है कि असेम्बली के अन्दर जो माननीय मुख्य मंत्री, डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने, उस समय यह कहा था कि सन् १९५३–५४ से ही जो रकम बाकी है उसका पेमेन्ट वह करा देंगे। उसके बाद मैंने जो जवाब दिया था वह यह था कि चूंकि यह कानून सन् १९५८ से लागू है इसलिये उसके पूर्व वाला हम इसे न दिला सकेंगे। तो बात यह थी कि जो शुगर कन्ट्रोल आर्डर पास हुआ था वह सन् १९५५ में हुआ और फिर उसमें सन् १९५८ में कुछ संशोधन हुआ था। तो सन् १९५८ में जो फार्मूला तैयार किया गया उसी के अनुसार यह रकम दिलाने का प्रश्न उठता है। यह जो फार्मूला उस समय बना उसमें रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से दिलाने की बात स्वीकार नहीं की गयी थी। इसलिये यह मुनासिब नहीं मालूम होता कि उसे सन् १९५४ से दिलाया जाय। फिर माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि यह मामला केन्द्रीय सरकार से संबंधित है। वही इसको मुकर्रर करते हैं। केन की प्राइस जिस तरह से केन्द्रीय सरकार तय करती है, उसी प्रकार इस चीज को भी वही तय करती है।

माननीय सदस्य को याद होगा कि सब से पहले सन् १९५३ में यह मामला उठाया गया था। साउथ इंडिया के मिल एसोसिएशन ने अपने यहां यह बात उठाई थी और इस फार्मूले को तैयार किया था, लेकिन उस समय वह चीज और जगह लागू नहीं हुई। सन् १९५४ में फूड एण्ड एग्रीकलचरल मिनिस्टरी ने एक कमेटी इस पर विचार करने के लिये बैठाई थी जिसने इसकी जांच की। तो उसकी सिफारिशों के अनुसार सन् १९५८ में यह चीज यहां पर की गयी और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसको स्वीकार किया। इससे यह साबित हो जाता है कि जो कानून बना हुआ है उसी के मुताबिक हम कार्य कर रहे हैं। सन् १९५८ के पहले हम उसको नहीं कर सकते।

अब रहा यह कि माननीय मुख्य मंत्री ने उस समय क्या कहा था? इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जिस समय उन्होंने यहां वह बात कही थी तो उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया था कि उन्होंने वह बात गलत कही है। इस संबंध में वे एक स्टेटमेंट भी देने वाले थे किन्तु चूंकि असेम्बली का सेशन समाप्त हो गया, वे उस स्टेटमेंट को न दे पाये। उन्होंने सन् १९५३ से दिलाने के लिये कहा जरूर था। इस बात को हम मानते हैं, किन्तु वह बात उन्होंने गलती से कह दी थी।

माननीय गेंदा सिंह जी मेरे दफ्तर में भी आये थे और मैंने उनसे भी इस बारे में बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि किसी सूरत से इसे दिलाने की कोशिश कीजिये। तो मैंने यही कहा था कि परसुएशन किया जायेगा। यह हो सकता है, मैंने उनको बताया, कि वे किसानों को वापस न करें, किन्तु डेवलपमेंट के काम के लिये लेने के लिये परसुएड किया जा सकता है कानून के जरिये नहीं।

टैरिफ कमीशन के बारे में भी सवाल किया गया। मैं इस बारे में यह बतला देना चाहता हूं कि हम टैरिफ कमीशन को कोई चीज रेफर नहीं करते। हम तो केन्द्रीय सरकार को रेफर करते हैं और वह उसको टैरिफ कमीशन को भेज देती है। इस वक्त पोजीशन यह है कि कुछ मिल मालिकों ने रिप्रेजेन्ट किया। तो जो फार्मूला अभी बना हुआ है और किसानों का जो शेयर है, वह उनको उसके अनुसार कितना मिलना चाहिये वह अभी तय नहीं है। क्या उनका परसेंटेज हो इसी बात के लिये टैरिफ कमीशन के पास भेजा है। मिल मालिकों की तरफ से यह हुआ कि जब फार्मूला बन रहा था उस वक्त रिहेबिलिटेशन और ट्रांस्पोर्ट वगैरह सब बातों को ध्यान में रख कर और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो गयी जिसमें उन्होंने इन चीजों को एलाउ किया है, उसकी बुनियाद पर क्लेम किया है। बहर सूरत, यह टैरिफ कमीशन के सामने मामला था और जब वह आया तो किसानों के रेप्रेजेंटेटिव भी थे, जिनमें जहां तक मुझे याद है माननीय गेंदासिंह भी थे और ५–६ किसानों के रेप्रेजेंटेटिव्स की गवाही भी हुई। गवर्नमेंट ने यहां से एक सीधा-साधा फार्मूला भेजा था कि ६५ परसेण्ट किसानों को दिलाया जाय और

[श्री रऊफ जाफरी]

मिल वाले यह कहते हैं कि यह ज्यादा है। यहां यह कोशिश हुई कि कोई आसान-सा फार्मूला होना चाहिये, लेकिन क्या फैसला होगा यह वह जानें। हमारी तरफ से बराबर कोशिश है कि उन लोगों को जल्दी मिलना चाहिये, बार-बार गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा भी गया है।

माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं कि मिल वालों का ज्यादा खयाल किया जाता है, किसानों का नहीं किया जाता। तो मैं नहीं समझता कि इसकी बुनियाद क्या है। यह बात जरूर है कि हमारी सरकार चाहती है कि हमारी मिलें चलती रहें और सालवेण्ट हालत में चलती रहें, क्योंकि इसी में किसान का और सब का फायदा है, लेकिन किसान के हित का खयाल जितना किसी और को हो सकता है उससे ज्यादा सरकार को हो सकता है, क्योंकि उसको और उसकी पार्टी को उन्हीं किसानों के पास जाना है। यह दूसरी बात है कि माननीय सदस्यों को वाकफियत इतनी नहीं होती जितनी कि हालात से वाकफियत सरकार को होती है। उनके सामने तसवीर का महज एक रुख होता है, दूसरी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता।

श्री अध्यक्ष—माननीय उद्योग मंत्री, आपने काफी सूचना दे दी। अब दूसरों को प्रश्न पूछने दीजिये।

***श्री गेदासिंह**—श्रीमन्, मुझे एक बात तो यह कहनी है कि प्रतापसिंह जी का प्रश्न यह है कि १९५८-५९ से पहले का जो डेफर्ड पेमेंट है उसमें प्रस्ताव के बाद जो किसानों को मिलने वाला है, उसका प्रयत्न सरकार कर रही है और करना चाहिए। दूसरा इस संबंध में है कि १९५८-५९ और १९५९-६० का रुपया जो कानूनी तौर पर मिल मालिकों को देना है उसका मामला टैरिफ कमीशन के सामने पेश किया गया है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है?

मैं एक बात जानना चाहता हूं, थोड़ी-सी जानकारी भी मुझे है, लेकिन सरकार इस बात का यत्न करेगी कि कानून के मुताबिक जो रकम मिलने वाली है उसका तो टैरिफ कमीशन से फैसला होने के बाद जो निर्णय होगा, वह किया जायगा, लेकिन १९५८-५९ से पहले का जो मामला है उसको क्रास टेबिल बैठकर स्टेट गवर्नमेंट, मिल मालिक और गन्ना उत्पादकों के बीच में ही तय किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट इस तरह का आश्वासन दे कि इस तरह का प्रयत्न सरकार करेगी तो मामला काफी साफ हो जाता है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि जिन मामलों में सरकार का एक कमिटमेंट है उसके अनुसार एक बार तो वह प्रयत्न करें?

वह रकम जो पिछले पांच-छः वर्षों की है वह मिल जायगी और इससे सब को लाभ पहुंचेगा।

श्री रऊफ जाफरी—यह जो सुझाव रखा गया है माननीय सदस्य की तरफ से, उसमें गवर्नमेंट को मानने में कोई भी दुशवारी नहीं है, लेकिन वह मीटिंग कब बुलायी जाय, इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक टैरिफ कमीशन से शेयर किसानों के मुकर्रर न हो जायं उससे पहले बुलाने में शायद ज्यादा फायदा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने यही कहा कि उसके बाद बुलाना चाहिये।

श्री रऊफ जाफरी—मैंने अर्ज कर दिया कि सरकार पूरी तरह से प्रयत्न करेगी तीनों पार्टीज की कान्फ्रेन्स बुलाने की और परसुएड करने की भी कोशिश करेगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो बातचीत चलायेंगे उसमें किन-किन के हितों को रिप्रेजेन्ट करने वाले लोगों को बुलायेंगे और उसके बुलाने की कब तक आशा है?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रऊफ जाफरी---यह सजेशन तो अभी आया है इसलिये इसकी पूरी क्या शक्ल होगी यह यकायक बता देना मुमकिन नहीं है। यह जाहिर है कि उसमें तीनों पार्टीज के लोग होंगे। गवर्नमेंट भी होगी, केन-ग्रोवर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्स भी होंगे और मिल मालिकों के नुमाइन्दे भी होंगे।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---अभी मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने ६५ फीसदी की सिफारिश की है तो क्या सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि ६५ फीसदी ही उनको मिले, इससे नीचे तो सरकार नहीं आयेगी ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने टैरिफ बोर्ड को सिफारिश भेजी है, फैसला तो वही देंगे। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट कब तक आ जाने की आशा है ?

श्री रऊफ जाफरी---इसका जवाब मैं इस वक्त नहीं दे सकता।

श्री प्रताप सिंह---अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो दिलासा और भरोसा दिया गया उसके लिये वह बधायी के पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि १८ लाख किसानों का मसला जल्द से जल्द तय किया जायगा और किसानों को पेमेण्ट दिलाया जायगा। मुझे आशा है कि आज २४ तारीख को जो आश्वासन दिया गया है उसको सरकार याद रखेगी भुलायेगी नहीं।

श्री रऊफ जाफरी---गवर्नमेंट जो कहती है वह तो फाइल में आ जाता है, वह तो याद रहेगा ही, भूलने का कोई सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष---अब हम उठते हैं, सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १७ मिनट पर सोमवार, २७ मार्च, १९६१ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ मार्च, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१९ पर)

दूकान का नाम	१९५५–५६		१९५६–५७		१९५७–५८		१९५८–५९		१९५९–६०	
१–यूनिवर्सल बुकडिपो, लखनऊ ..	१०४	१९०९-७-०	११३	१०६६-५-६	५९	७९७-२८	७५	१२९३:९६	८३	१२८१:५१
२–ब्रिटिश बुकडिपो लखनऊ	..	..	..	..	१२	२०४:४०	६३	८२३:५४	१३	२४७:१२
३–पीपुल्स बुक हाउस, लखनऊ ..	..	..	..	..	..	..	१	८:४४	५०	१७९:८७
४–राम अडवानी बुकसेलर, लखनऊ ..	६	१०६–६–०	३९	५३३–०–०	३४	३३६:८५	७	९३:००	८	८४:२५
५–इंडियन आक्सफोर्ड, बम्बई	..	..	..	..	..	..	..	..	१	२२:९५
६–बालकृष्ण बुक-डिपो, लखनऊ ..	२	३५–११–०	९	१९३–२–९	४	५४–३३	४	४२–०५	२	२२–५०
७–चन्द्र लोक पब्लीकेशन, इलाहाबाद ..	..	..	..	..	..	..	..	..	३	१०:१५
८–इंस्टीट्यूट आफ स्टडी एण्ड ट्रीटमेन्ट आफ डेलीक्वेन्सी, लन्दन ..	..	..	..	..	..	..	..	..	६	१०:०२
९–आक्सफोर्ड बुक एण्ड स्टेशनरी कम्पनी, नई दिल्ली ..	..	..	..	..	..	..	२१	३७३:५२	१	९:६५
१०–ए० एच० व्हीलर, लखनऊ ..	..	..	..	..	५	५–८०	१	५:००	४	४:५०
११–इंडियन कान्फ्रेंस आफ सोशलवर्क, बम्बई	१	४–७–०	..	..	..	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१२–मक्तबे जामिया, नई दिल्ली ..	१	३–१२–०	..	..	..	..	..	..	..	..
१३–मनाशयन, नई दिल्ली	..	..	७	१५९–११–६	१९	३२२–१९	..	..	..	..
१४–विविलयो पोल कम्पनी, कलकत्ता ..	..	..	१	४२:००	..	..	..	..	..	..
१५–ओरियेण्टल लागमैन, कलकत्ता ..	..	..	६	३३–१२–०	..	..	..	..	..	..
१६–चिडरेन एण्ड सोसाइटी, नई दिल्ली ..	..	..	१	२२–१–०	..	..	..	..	..	..
१७–कैपटल ला हाउस, लखनऊ ..	..	..	१	११–८–०	..	..	..	..	..	..
१८–भारतीय सरकार सूचना प्रसारण विभाग, नई दिल्ली ..	..	..	२	९–१५–०	..	..	..	..	..	..
१९–इन्डियन काउंसिल आफ चाइल्ड वेलफेयर नई दिल्ली ..	..	..	१	६–१२–०	..	..	..	..	..	..
२०–कुमार प्रकाशन, लखनऊ	..	..	..	..	२	७–००	..	..	..	..
२१–नवजीवन कल्याण शाखा, लखनऊ ..	..	..	..	..	३३	२३–८६	..	..	..	..
२२–दानिश महल, लखनऊ	..	..	..	..	..	..	२	१४:०६	..	..
२३–कृष्ण प्रकाशन मंदिर, रायबरेली ..	..	..	..	..	..	..	२	७:६५	..	..
योग ..	११४	२०५९-११-०	१८०	२०७८-३-९	१६८	१७५१:७१	१७६	२६६१:२२	१७१	१८७२:५२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६–१७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२०–६२१ पर)

विवरण-पत्र 'अ'

अन्तर प्रदेशीय मार्ग जिन पर झांसी जिले के अन्दर हो कर मध्य प्रदेश की प्राइवेट तथा सरकारी बसें चलती हैं

क्रम-सं०	मार्गों का नाम		प्रत्येक मार्ग पर चलने वाली मध्य प्रदेश की प्राइवेट तथा सरकारी बसों की संख्या	
			प्राइवेट	सरकारी
१	टीकमगढ़ से मौरानीपुर	..	३	..
२	टीकमगढ़ से ललितपुर	..	२	..
३	दतिया से झांसी	..	२	..
४	ललितपुर से दतिया	..	२	..
५	दतिया से नौगांव	..	२	..
६	दतिया से समथर	..	१	..
७	नौगांव से टीकमगढ़	..	३	..
८	दतिया से झांसी उन्नाव होकर	..	१	..
९	टीकमगढ़ से हरपालपुर	..	२	..
१०	टीकमगढ़ से निवाड़ी	..	२	२
११	छतरपुर से मौरानीपुर	..	२	..
१२	ग्वालियर से झांसी डबरा और दतिया होकर	..	१	१
१३	झांसी से खनियादाना बबीना बसई माता टीला और विछौर होकर	..	१	१
१४	झांसी से लहर	..	२	..
१५	दबोह मोथ से समथर होकर	..	१	..
१६	औरछा दतिया से झांसी होकर	..	२	..
१७	टीकमगढ़ से मन्डौरा	..	१	..
१८	सागर से ग्वालियर	..	..	१
१९	झांसी से शिवपुरी		१	३
२०	ललितपुर से चन्देरी	..	..	१
२१	लहर चिरगांव से बिछौदना होकर	..	१	..
२२	रीवां से टीकमगढ़ ..	..	४	..

विवरण-पत्र 'ब'

अन्तर प्रदेशीय मार्ग जिन पर मध्य प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की गाड़ियां चल रही है

क्रम-सं०	मार्गों के नाम			प्रत्येक मार्ग पर उत्तर प्रदेश की चलने वाली प्राइवेट गाड़ियों की संख्या
१	टीकमगढ़ से मौरानीपुर	..	..	२
२	टीकमगढ़ से ललितपुर	..	..	६
३	ललितपुर से दतिया	..	..	१
४	दतिया से नौगांव	..	..	१
५	दतिया से समथर	..	..	५
६	टीकमगढ़ से निवाड़ी	..	..	२
७	छतरपुर से मौरानीपुर	..	..	१
८	झांसी से लहर	..	..	१

नोट—उक्त मार्गों पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार की बसें नहीं चल रही हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४–२५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२४ पर)

माह	स्वीकृत पेंशनों की संख्या	पुत्रियों के विवाहार्थ स्वीकृत अनुदानों की संख्या
जनवरी, १९६०	८	..
फरवरी, १९६०	१८१	६
मार्च, १९६०	३२	१
अप्रैल, १९६०	९३	११
मई, १९६०	६५	१२
जून, १९६०	६४	३
जुलाई, १९६०	४२	५
अगस्त, १९६०	३४	१३
सितम्बर, १९६०	२६	१०
अक्तूबर, १९६०	१	१
नवम्बर, १९६०	..	..
दिसम्बर, १९६०	..	..

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५–६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३० पर)

विवरण अ

मार्गों का विवरण तथा उनपर चलने वाली गाड़ियों की संख्या

मार्ग का नाम	पक्का मील	कच्चा मील	चलने वाली बसों की संख्या
१	२	३	४
१ झांसी—मऊरानीपुर ..	४०	..	४
२ झांसी—एरिच वाया मोथ ..	४५	..	२
३ झांसी—मोथ ..	३२	..	२
४ झांसी—गरौठा वाया बरेठाघाट ..	४३	..	४
५ झांसी—साहपुर मोथ होकर ..	३२	१३	२
६ झांसी—ललितपुर ..	५७	..	१०
७ झांसी—उरई ..	७०	..	१०
८ झांसी—टोडी, फतेहपुर मौराची होकर ..	४८	..	२
९ झांसी—गैरीठा वाया रामनगरघाट ..	२६	१९	४
१० झांसी—माताटीला, सुखवां, दुखवां होकर	३८	..	४
११ झांसी—माताटीला बरौरा होकर ..	४५	..	४
१२ झांसी—कालपी	९२	..	८
१३ झांसी—कोंच	६५	..	११
१४ ललितपुर—मडोरा वाया महरौनी ..	३९	..	३
१५ ललितपुर—महरौना सीजना ..	२२ १ २	१०	२
१६ ललितपुर—वानपुर	२३	९	२
१७ ललितपुर—मदनपुर	३१	२१	२
१८ ललितपुर—अमझेराघाटी ..	२६	..	४
१९ ललितपुर—घोरा-बेतना-घटवार बगरिया	१८	२२	३
२० ललितपुर—बेर बान्सी होकर ..	८	१२	२
२१ ललितपुर—झकोरा—वाया बांसी ..	८	१४	१
२२ समथर-उरई	४७	..	२
२३ मौरानीपुर—गरौठा—गुरसराय होकर ..	३६	..	४
२४ मऊ,—एरिच	४४	..	३

मार्ग का नाम	पक्का मील	कच्चा मील	चलने वाली बसों की संख्या
१	२	३	४
२५ बरूआसागर—गरौठा—मऊ—गुरसराय होकर	६२	..	३
२६ एरिच—बरुआसागर—मऊगुरसराय होकर	६७	..	३
२७ झांसी—बसई माताटीला (अन्तर्राजकीय)	२८	..	२
२८ झांसी—मंडेर—चिरगांव होकर ..	३३	..	३
२९ झांसी—लहर ,, ..	७०	..	३
३० ललितपुर—टीकमगढ़ ,, ..	३७	..	८
३१ ललितपुर—दतिया ,, ..	७५	..	१
३२ समथर—दतिया ,, ..	६२	..	८
३३ मौरानीपुर—छतरपुर ,, ..	४०	..	३
३४ मौरानीपुर—टीकमगढ़ ,, ..	४२	..	५
३५ बबीना—झांसी—दतिया ,, ..	३४	..	३
३६ निवारी—टीकमगढ़—बाया मऊ ..	६४	..	४
३७ झांसी—शिवपुरी ,, ..	६२	..	१
३८ लखरपुर—चिरगांव—विछोदना ..	७७	..	१
३९ टीकमगढ़—भडोरा ,, ..	२१	..	१
४० ओरछा—दतिया—झांसी होकर ..	२५	..	२
४१ दतिया—झांसी—ऊनी होकर,, ..	२०	..	२
४२ दतिया—झांसी सीधे ,, ..	१८	..	२
४३ दतिया—नौगांव ,, ..	९५	..	१
४४ खनियादाना से झांसी पिचोरा बसई माता टीला होकर ,, ..	६६	..	१
४५ रीवां—टीकमगढ़ ,, ..	२००	..	४
४६ दबोह—मोठ बाया समथर ..	९	१०	१
४७ ग्वालियर—झांसी ,, ..	६३	..	१

विवरण ब

मार्गों का विवरण जिन पर आर० टी० ए० ने १३–१४ अगस्त, १९५९ को गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का निश्चय किया

	मार्गों का नाम	बसों की संख्या जो पहले से थी	बसों की बढ़ाई गई संख्या	कुल संख्या
१	झांसी––मऊरानीपुर	४	२	६
२	झांसी––एरिच वाया मोथ ..	२	१	३
३	झांसी––कोंच	१०	२	१२
४	झांसी––गरोठा वाया बरेठाघाट ..	४	१	५
५	झांसी––शाहपुर, मोथ होकर ..	२	१	३
६	झांसी––ललितपुर	८	२	१०
७	झांसी––उरई	९	१	१०
८	झांसी––टोडी––फतेहपुर––मौरानीपुर	२	१	३
९	झांसी––लहर	१	२	३
१०	झांसी––कालपी	४	४	८
११	ललितपुर––मडौरा वाया महरौना ..	३	१	४
१२	ललितपुर––महरौनी––सौजना ..	२	१	३
१३	ललितपुर––टीकमगढ़	४	४	८
१४	ललितपुर––अमझेराघाटी ..	४	१	५
१५	समथर––दतिया	१	४	५
१६	मौरानीपुर––गरौठा गुरसराय ..	४	१	५
१७	मऊ––एरिच	३	१	४
१८	निवारी––टीकमगढ़––वाया मऊ ..	२	१	३
१९	बरूआसागर––गरौठा मऊ गुरसराय ..	३	२	४
२०	एरिच––बरूआसागर मऊ गुरसराय होकर ..	२	१	३

हाई कोर्ट द्वारा केवल एक ही वृद्धि रक्खी गई।

पी० एस० यू० पी०––ए० पी० २ एल० ए० १९६१––८४५।